GS WORLD

IAS PCS

Committed To Excellence

प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों का हिन्दी भावानुवाद

संदर्भित तथ्य एवं संभावित प्रश्नों सहित

(अप्रैल, 2018)

Head Office

629, Ground Floor, Main Road, Dr, Mukherjee Nagar, Delhi - 110009

Ph. : 011-27658013, 9868365322

INDEX

	आर्टिकल	प्रश्न-पत्र	पेपर	दिनांक
1.	कास्ट बलाइंड जस्टिस	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	इंडियन एक्सप्रेस	3 अप्रैल
2.	इसरो की समस्या	पेपर-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	4 अप्रैल
3.	नदी पर राजनीति	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	5 अप्रैल
4.	द फेक न्यूज	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	6 अप्रैल
5.	नवाचार की संस्कृति स्थापित करना	पेपर-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	द हिन्दू	7 अप्रैल
6.	स्मोक इन द वुड्स	पेपर-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)	द हिन्दू	9 अप्रैल
7.	भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंध	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	10 अप्रैल
8.	ए एजिस्टर बाइ द पीपल	पेपर-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)	द हिन्दू	11 अप्रैल
9.	क्रिप्टोकरेंसी के पीछे प्रौद्योगिकी मुद्दे	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	लाइव मिंट	12 अप्रैल
10.	इन सीजेआई कोर्ट	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	इंडियन एक्सप्रेस	13 अप्रैल
11.	15वाँ वित्त आयोग : एक प्रश्न	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	14 अप्रैल
12.	सीरिया में संकट	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	16 अप्रैल
13.	क्षेत्रीय पुनर्निर्माण की ओर	पेपर-II (अन्तर्राष्ट्रीय संबंध)	द हिन्दू	17 अप्रैल
14.	सामान्य मानसून और किसानों की समस्याएं	पेपर-I (भूगोल)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	18 अप्रैल
15.	क्या भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव में मजबूत है?	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू	19 अप्रैल
16.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम : एक प्रश्न	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	20 अप्रैल
17.	महाभियोग का प्रस्ताव : एक प्रश्न	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	इकनॉमिक टाइम्स/द हिन्दू	21 अप्रैल
18.	मृत्युदण्ड जवाब नहीं है	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	23 अप्रैल
19.	भारत और चीन संबंध	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	इंडियन एक्सप्रेस	24 अप्रैल
20.	आर्थिक अपराधियों पर नकेल	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	25 अप्रैल
21.	अफस्पा से राहत	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	26 अप्रैल
22.	क्या नाबालिकों के साथ बलात्कार करने वालों को मौत की सजा मिलनी चाहिए?	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	27 अप्रैल
23.	चौराहे पर सुप्रीम कोर्ट	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	28 अप्रैल
24.	शिखर सम्मेलन का सार और दृष्टिकोण	पेपर-II (अन्तर्राष्ट्रीय संबंध)	द हिन्दू	30 अप्रैल

* * *

CS World Committed To Excellence

कास्ट-ब्लाइंड जस्टिस

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

03 अप्रैल, 2018

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक-
अनीषा जॉर्ज (संपादक इपीडब्लू, मुम्बई)

''सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत आरोपी के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को जोड़ने का फैसला यह दर्शाता है कि न्यायपालिका को भारतीय समाज में जाति के संचालन के लिए संवेदीकरण की जरूरत है।''

नवंबर 1995 में, न्याय के लिए भंवरी देवी की याचिका को खारिज करते हुए, जिला सत्र न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि ऊपरी जाति के लोग (पांच आरोपियों में एक ब्राह्मण और बाकी गुज्जर शामिल थे), जाति की पवित्रता को अशुद्ध करने की कीमत पर दलित महिला के साथ बलात्कार नहीं कर सकते हैं। बाईस साल बाद, भारतीय न्यायपालिका की जाति अंधापन देखने को मिल रहा है। पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत मामलों के पंजीकरण के प्रावधानों को कठोर बनाया है, जो 'निहित हितों' द्वारा कानून के 'दुरुपयोग के उदाहरण' से बचने के लिए प्रतीत होता है। यह तीन महीने से भी कम समय में महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव हिंसा के मद्देनजर आता है।

सुभाष के.महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकारी कर्मचारियों को उनके यथार्थ कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान कथित अधिनियम द्वारा धोखाधड़ी या धमकी देने से बचाने के लिए संबंधित था। अदालत विशेष रूप से इस तरह के मामलों में अभियुक्तों के 'आसन्न गिरफ्तारी' की समस्या से चिंतित थी।

हालांकि, इस सन्दर्भ में चिंता व्यक्त करते हुए, बेंच इस कानून के इस तरह दुरुपयोग के प्रसार को स्थापित करने में विफल रहा है। दरअसल, अदालत ने यह अनिवार्य किया है कि अधिनियम के तहत एक सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, जबकि एक गैर-सरकारी कर्मचारी को एक वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

अत्याचार कानून के इस्तेमाल पर कट्टरताएं भारत में कानून के रूप में प्राचीन हैं। यह विवाद 2016 में इस अधिनियम में संशोधन किये जाने के बाद और बढ़ गया। हांलाकि, इसकी धारा 4 गुमराह जांच करने वाले अधिकारियों द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा करने पर उन्हें दंडित करता है, और इस अधिनियम की ताकत को बढ़ाता है। अपराधियों की जांच करने वाले अधिकारियों द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा को दंडित करती है, अपनी ताकत बढ़ाती है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेश की गई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों ने अपराधियों को अत्याचार करने और न्याय के लिए दलितों/आदिवासियों को संघर्ष करने पर मजबूर करने का काम किया। 2016-17 में ग्रामीण महाराष्ट्र में दलित महिलाओं के खिलाफ जाति/यौन उत्पीड़न के मामलों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला कि अपराधी द्वारा हर रोज अपमान और हमला किया जाता रहा है जो हिंसा के चरमपंथी प्रकरण को दर्शाता है, जो शिकायतकर्ता को उसकी चुप्पी तोड़ने और कानून लागू करने की मांग के लिए प्रेरित करता है।

फिर भी, वर्त्तमान में शिकायत दर्ज करने की लड़ाई बहुत कठिन है। सभी तीन मामलों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी अर्थात दो आधी रात्रि में हुए और एक अस्पताल में। यहाँ तक कि एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को मजबूर करने के लिए अक्सर नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और / या स्थानीय मीडिया द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है।

एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, अपराधियों ने अक्सर पुलिस के साथ मिलकर, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है और गवाहों को डराया धमकाया है, गांव वालों को बांडों पर हस्ताक्षर करने के लिए भड़काया जाता है कि जिसमें शिकायतकर्ता को खराब चरित्र या परेशान करने वाला बताया जाता है और शिकायतकर्ता के परिवार को पैसे का लालच दे कर लुभाने की कोशिश की जाती है, ताकि मामले को कमजोर बनाया जा सके। और अगर जब, शिकायतकर्ता अपनी शिकायत वापस लेने से इनकार करता है, तो आम तौर पर दोषी व्यक्ति, जो आम तौर पर गांव के अभिजात वर्ग से है, वह प्रभावी ढंग से शिकायतकर्ता और उनके समर्थकों के खिलाफ धमकियों और सामाजिक बहिष्कार को अंजाम देता हैं।

इस प्रकार, जब अपराधी एफआईआर को टालने में विफल रहते हैं, तो उनका अगला विकल्प कमजोर आरोपपत्र और अपरिहार्य समापन रिपोर्ट द्वारा जांच में बाधा डालना है। यही सब कुछ ऐसे कारण हैं जो यह दर्शाते है कि आखिर क्यों 15-16 (अदालत के अनुसार) प्रतिशत अत्याचार मामलें मजिस्ट्रेट की मेज पर ही खत्म हो जाते हैं।

दोषी व्यक्ति द्वारा धमकी और सक्रिय व्यवधान अदालतों में मामलों को कमजोर बना देता हैं। न्यायालयों के बाहर इस तरह का दबाव, न्यायपालिका की ऐतिहासिक जाति अंधापन के साथ-साथ दलित/आदिवासी याचिकाकर्ताओं पर भी भारी दबाव डालता है, जो पहले ही क्रूरता के आघात से जूझ रहे है।

कानून के कार्यान्वयन में सुधार के लिए वकालत और इसके प्रावधानों की कठोरता भी कानून के रूप में पुरानी है। आज, दलितों के राजनीतिक रूप से जागरूक और स्पष्ट विधानसभा ने अत्याचार के मामलों की रिपोर्ट, समर्थन और अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी है। डर और शर्म की बात धीरे-धीरे तर्क और प्रतिरोध को बढ़ावा दे रहे हैं। यह एक वैचारिक परिवर्तन है जिसने हर जगह जाति को जटिल बना दिया है। और सबसे प्रमुख जातियों का मानना है कि अत्याचार अधिनियम इस तरह की चेतना को बढ़ाता है अत्याचार अधिनियम ऐसे चेतना को बढ़ाता है और प्रतिशोध से प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तावित उपाय निर्विरोध नहीं है। व्याप्त असंतोष के बावजूद दलित सांस्कृतिक क्षेत्र और राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सामना करते हुए इन्होने कानून और संविधान में पूरा विश्वास किया है। यह ऐसा विश्वास है जिसे न्यायालय के हालिया आदेश ने कमजोर बना दिया है। यदि इस विश्वास को कायम रखना है तो न्यायपालिका को भारतीय समाज में जाति के प्रकृति और संचालन के प्रति संवेदनशीलता को बनाये रखना होगा।

ऐतिहासिक दृष्टि से पीड़ित लोगों के न्याय को नकारने से भी बदतर एक चीज उनके आघात को झूठा करना है। इच्छा और अमानवीय हिंसा के कृत्यों में सच्चाई को उजागर करना, जिसके लिए समाज में एक सहिष्णुता है, उसे अनिवार्य कानून की आवश्यकता है। जाति के उत्पीड़न की सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई के बिना कोई सुलह नहीं हो सकता है।

* * *

क्या था मामला?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, वह डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य और एएनआर मामले की सुनवाई के दौरान आया है। महाराष्ट्र के एक दलित कर्मचारी ने अपने खिलाफ की गई गोपनीय टिप्पणी के चलते अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ इस कानून के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था।
- मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति मांगी तो उन्होंने अनुमति नहीं दी। इसके बाद उस वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भी पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया।
- इस पर बचाव पक्ष का कहना था कि अगर किसी दलित व्यक्ति को लेकर ईमानदार टिप्पणी करना भी अपराध है, तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

न्यायालय द्वारा जारी किये गए नए दिशा-निर्देश

- ऐसे मामलों में किसी भी निर्दोष को कानूनी प्रताड़ना से बचाने के लिये कोई भी शिकायत मिलने पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। सबसे पहले शिकायत की जाँच डीएसपी स्तर के पुलिस अफसर द्वारा की जाएगी।
- न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह जाँच पूर्ण रूप से समयबद्ध होनी चाहिये। जाँच किसी भी सूरत में 7 दिन से अधिक समय तक न चले। इन नियमों का पालन न करने की स्थिति में पुलिस पर अनुशासनात्मक एवं न्यायालय की अवमानना करने के संदर्भ में कार्यवाई की जाएगी।
- अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली अथॉरिटी की लिखित मंजूरी के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है और अन्य लोगों को जिले के एसएसपी की लिखित मंजूरी के बाद ही गिरफ्तारी किया जा सकेगा।
- इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त की पेशी के समय मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कारणों पर विचार करने के बाद यह तय किया जाएगा कि क्या अभियुक्त को और अधिक समय के लिये हिरासत रखा जाना चाहिये या नहीं।
- इस मामले में सरकारी कर्मचारी अग्रिम जमानत के लिये भी आवेदन कर सकते हैं। आप को बता दें कि अधिनियम की धारा 18 के तहत अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिये जाने पर भी रोक है।

उत्पीड़न के ज्यादातर मामले झूठे हैं

- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के संबंध में विचार करने पर ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम में दर्ज ज्यादातर मामले झूठे पाए गए।
- न्यायालय द्वारा अपने फैसले में ऐसे कुछ मामलों को शामिल किया गया है जिसके अनुसार 2016 की पुलिस जाँच में अनुसूचित जाति को प्रताड़ित किये जाने के 5347 झूठे मामले सामने आए, जबकि अनुसूचित जनजाति के कुल 912 मामले झूठे पाए गए।
- वर्ष 2015 में एससी-एसटी कानून के तहत न्यायालय द्वारा कुल 15638 मुकदमों का निपटारा किया गया। इसमें से 11024 मामलों में या तो अभियुक्तों को बरी कर दिया गया या फिर वे आरोप मुक्त साबित हुए। जबकि 495 मुकदमों को वापस ले लिया गया।
- केवल 4119 मामलों में ही अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। ये सभी आँकड़े 2016-17 की सामाजिक न्याय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किये गए हैं।

अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम

- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम के लिये लाया गया। यह अधिनियम मुख्य अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का संशोधित प्रारूप है।

* * *

संभावित प्रश्न

"सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए एससी/एसटी एक्ट पर फैसले पर व्याप्त असंतोष गम्भीर चिंता का विषय है, जो उच्च जाति एवं निम्न जातियों के बीच के अन्तर को और बढ़ाने वाला प्रतीत होता है। इस संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

(250 शब्द)

The dissatisfaction over the recent decision on the SC/ST Act given by the Supreme Court is a matter of grave concern, which seems to increase the difference between upper castes and lower castes. Present your views in this context.

(250 words)

इसरो की समस्या

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) से संबंधित है।

04 अप्रैल, 2018

''हाल ही में इसरो ने पिछले माह भारत के सबसे बड़े कम्युनिकेशन सैटलाइट **GSAT- 6A** को लॉन्च किया था, लेकिन 48 घंटे के भीतर ही सैटेलाइट से संपर्क टूट गया। इसे वैज्ञानिकों के साथ-साथ सशस्त्र सेनाओं के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है।'' **इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू'' एवं ''द न्यू इंडियन एक्सप्रेस''** में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे **"GS World"** टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

द हिन्दू
(इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण समस्या पर)

''पूरी तरह से विफल हो जाने जैसी बड़ी चीज कुछ भी नहीं है; इसलिए इसरो को अपने उपग्रह प्रक्षेपण समस्या से सीख लेनी चाहिए।''

मार्च, 29 को शुरू होने के बाद ग्राउंड स्टेशन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नवीनतम उपग्रह के बीच संचार टूट गया है जो कि बहुत निराशाजनक है। इसरो के मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में संचार उपग्रह, जीएसएटी-6 ए को स्थापित करना था। इसके तीसरे और अंतिम चरण में लैम इंजन की फायरिंग के दौरान सैटेलाइट का संपर्क इसरो से टूट गया।

इसरो ने सैटेलाइट से संपर्क टूटने की जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ यह समझना या जानना महत्वपूर्ण है। एक लॉन्च ऑपरेशन को प्रारंभिक तीन चरणों में सरलीकृत किया जा सकता है, जिसके दौरान उपग्रह को लॉन्च वाहन द्वारा अलग-अलग ऊंचाइयों पर बढ़ाया जाता है और फिर एक भौगोलिक तुल्यकालिक स्थानान्तरण कक्षा में रखा जाता है।

यह एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है जिसमें एक उपग्रह को भू-समकालिक कक्षा में स्थानांतरित करने से पहले रखा जाता है, जहां यह एक निश्चित देशांतर के ऊपर अपनी स्थिति बनाए रखता है।

इन चरणों में से प्रत्येक के दौरान, रॉकेट का एक हिस्सा अपनी भूमिका और अलग होने का कार्य पूरा करता है। तब उपग्रह अपने अंतिम और वांछित कक्षा के लिए आगे बढ़ता है। जीएसएटी-6ए को सबसे पहले दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हुआ, जिसे निम्न पैरामीटर द्वारा चिह्नित किया गया था अर्थात इसकी भू-समीपक, या धरती पर निकटतम बिंदु 5,054 किमी थी; और इसके दूरतम बिन्दु 36,412 किमी था।

जिसके बाद इसे 31 मार्च को एक दूसरे कक्षा में स्थापित करना था। उसके बाद तीसरे ऐसे आपरेशन के दौरान यह उपग्रह ग्राउंड स्टेशन के साथ संपर्क खो दिया। यही कारण है कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लॉन्च वाहन, जीएसएलवी, शायद शॉर्ट सर्किट या बिजली की गड़बड़ी की वजह से विफल हो गयी है।

हांलाकि, इसरो के अधिकारियों द्वारा उपग्रह के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश जारी है। फिर भी, इसरो की परियोजनाओं जैसे जटिल वैज्ञानिक कार्य में, ऐसा कोई मिशन नहीं है, जो सीखने के एक पहलू से रहित है।

जीएसएलवी के पास अतीत में कई सफलताएं हैं और यह इसकी 12वीं उड़ान है। उदाहरण के लिए, यह अगस्त, 2015 में उन्नत संचार उपग्रह, जीएसएटी-6 को लॉन्च करने के लिए उपयोग किया गया था। जीएसएटी-6ए के पूर्ववर्ती जीएसएटी-6 मोबाइल फोन के मामले में दो-तरफा संचार के लिए एस-बैंड सेवाएं प्रदान करता है।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
(जीएसएटी-6 ए : 'लापता')

''हर बीतते दिन, सैन्य ग्रेड संचार उपग्रह जीएसएटी-6ए को फिर से शुरू करने की आशा धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है। लापता उपग्रह के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का संघर्ष चौथे दिन भी कायम है और इस प्रयास में शामिल वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल इस समस्या का कोई त्वरित समाधान नहीं है।''

एक शीर्ष इसरो अधिकारी ने बताया कि अंतरिक्ष एजेंसी के पास दिन में केवल दो संचार लिंक को दोबारा स्थापित करने का एक वास्तविक मौका है। हमारे पास एक त्वरित समाधान नहीं है और यही सबसे बड़ी समस्या है।

इसके अलावा, वैज्ञानिकों का कहना है कि अन्य देशों में भी ऐसे कई उदाहरण मौजूद है, जहाँ अर्थ लॉक या उपग्रह के साथ संचार लिंक खो गया था या लॉन्च के कुछ दिन बाद इसे पुनः स्थापित करना पड़ा था। एक अन्य अधिकारी का कहना था कि ये सभी उदाहरण यह दर्शाते हैं कि हमें कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए।

इस बीच, सूत्रों ने बताया कि पूर्व इसरो सैटेलाइट सेंटर (आईएसएसी) के निदेशक पीएस गोयल की अध्यक्षता वाली जांच समिति को पूर्ण डाटा सेट तक पहुंचा दिया गया था और जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर गलती हुई कहाँ है। इसरो ने खो चुके उपग्रह का पता लगाने के लिए अपने सभी ग्राउंड स्टेशनों के वैश्विक नेटवर्क को भी तैनात किया है।

आईस्ट्रैक वैश्विक नेटवर्क स्टेशन मॉरीशस, इंडोनेशिया, नॉर्वे, अंटार्कटिका, पनामा, वियतनाम और रूस में स्थित हैं। 29 मार्च को, भारतीय रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी) ने जीएसएटी-6ए को अपनी कक्षा में छोड़ा था।

इस सैटेलाइट को लॉंच करने के लिए इसरो ने जीएसएलवी-एफ08 रॉकेट की मदद ली थी। बताया जा रहा है कि भारत के दूसरे चांद मिशन के लिए यह रॉकेट अहम साबित होने वाला था।

जीएसएटी-6ए उपग्रह की सफलतापूर्वक काफी देर तक फायरिंग के बाद जब सैटेलाइट तीसरे और अंतिम चरण के तहत 1 अप्रैल, 2018 को सामान्य ऑपरेटिंग की प्रक्रिया में था, इससे हमारा संपर्क टूट गया। जीएसएटी-6ए, जीएसएटी-6 का जुड़वां है, जो अगस्त, 2015 के बाद से कक्षा में स्थापित है।

मार्च, 29 को लॉन्च किये गये वर्तमान मिशन को अतिरिक्त सुविधाओं के साथ पूरा किया गया था, जैसे कि उच्च गति विकास इंजन ने इसे भारी पेलोड ले जाने की क्षमता दी थी। यह बताया गया था कि यह मिशन इसरो के अगले चंद्र मिशन के लिए एक परीक्षण स्थल होगा।

अंतरिक्ष विज्ञान न केवल विशेषज्ञों के लिए रोमांचक है, बल्कि यह इस क्षेत्र के बाहर संबंधित कई लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि एजेंसी खुद को दुनिया के समक्ष और खुल कर सामने लाये।

* * *

यह सैटेलाइट का कार्य एस-बैंड में पांच स्पॉट बीम के माध्यम से और रणनीतिक उपयोगकर्ताओं के लिए सी-बैंड में एक राष्ट्रीय बीम के जरिए संचार प्रदान करना था। जीएसएटी-6ए की मिशन लाइफ 10 साल बताई जा रही है, साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि इससे मोबाइल कम्युनिकेशन में बड़े सुधार की उम्मीद की जा रही थी। इतना ही नहीं सेना के लिए भी इसका बड़ा महत्व है।

* * *

GS World टीम...

क्या है पूरा मामला?

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को अपने एक अहम मिशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को लॉन्च किए गए GSAT & 6A का संपर्क इसरो के कम्युनिकेशन विंग से टूट गया है।
- इसरो ने अपनी वेबसाइट पर खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कम्युनिकेशन बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। बता दें कि इसके पहले पिछले साल 31 अगस्त, 2017 को भी स्पेस एजेंसी का एक मिशन नाकामयाब हो गया था।

LAM इंजन का इस्तेमाल

- इसरो ने पहली बार जीसैट-6ए में नए इंजन का इस्तेमाल किया है। इसे लैम (Liquid Apogee Motor) कहा जाता है।
- वेबसाइट पर बताया गया है कि कम्युनिकेशन उस वक्त टूटा जब फाइनल राउंड के लिए कनफिगरेशन प्रॉसेस किया जा रहा था।

कब किया गया था लॉन्च?

- इसरो ने 29 मार्च को जीएसएलवी-एफ08 रॉकेट के जरिए जीसैट-6ए को लॉन्च किया था। इसे पृथ्वी से 35,900 किलोमीटर ऊपर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया गया था।
- 31 मार्च को 53 मिनट की फायरिंग प्रॉसेस की गई। यह कक्षा में दूसरी स्थापना के लिए किया जाता है। 1 अप्रैल की सुबह जब जीसैट को नॉर्मल ऑपरेशन के लिए तीसरे राउंड की फायरिंग के लिए बूट किया गया तो इसका संपर्क इसरो की कम्युनिकेशन विंग से टूट गया।

समस्या?

- जानकारों की मानें तो इसरो को सैटेलाइट की लॉन्चिंग में महारत हासिल है। कक्षा यानी ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद भी सैटेलाइट को नॉर्मल फंक्शन के लिए टेस्ट किया जाता है और इसमें कई बार दिक्कतें सामने आती हैं।
- कहा जा रहा है कि इसरो इस सैटेलाइट को फिर से कम्युनिकेट करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन, हो सकता है कि इसमें कुछ वक्त लगे।

GSAT-6A से क्या होगा?

- रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2140 किलोग्राम के इस सैटेलाइट से बेहद दूर-दराज के इलाकों में भी संचार सेवाएं आसानी से स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसके लिए बड़े टॉवरों की जगह हैंड-हैल्ड टर्मिनल्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा। GSAT-6A का इस्तेमाल 10 साल तक किया जा सकेगा।
- दूर-दराज और दुर्गम इलाकों में तैनात भारतीय सैनिकों के लिए तो इस सैटेलाइट का खासा महत्व है। उनके लिए देश के किसी भी हिस्से में संपर्क करना बेहद आसान हो जाएगा।
- इस तरह के 9 सैटेलाइट इसरो अगले 9 महीने में लॉन्च करने वाला है।

जीसैट-6ए

- 270 करोड़ रुपए लागत 21.40 क्विंटल वजन। 1.53 X 1.56 X 2.4 साइज।

इसरो

- **कब हुई स्थापना? :** वर्ष 1969 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) की स्थापना हुई। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है।
- इसे भारत सरकार के 'स्पेस डिपार्टमेंट' द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है।
- के. सिवान को इसरो का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।

वर्ष 1975 की उपलब्धियाँ

- भारत के प्रथम उपग्रह जिसका नाम आर्यभट्ट था। इसरो द्वारा छोड़ा गया। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध खगोलविद आर्यभट्ट थे।
- पूर्णत: स्वदेश निर्मित यह स्पेसक्रॉफ्ट अंतरिक्ष में भारत की मजबूत उपस्थिति का परिचायक बना।

वर्ष 1993 की उपलब्धियाँ

- पीएसएलवी यानी कि भारतीय अंतरिक्ष संगठन का ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अस्तित्व में आया।
- प्रक्षेपण यान ऐसे रॉकेट्स को कहते हैं ,जो उपग्रहों, मानव रहित और मानव सहित यानों को अंतरिक्ष में ले जाने का काम करते हैं।

वर्ष 2014 की उपलब्धियाँ

- इसरो की मदद से भारत पहले ही प्रयास में मंगल तक सफलतापूर्वक पहुँचने वाला पहला देश बना।
- नासा, सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम और यूरोपीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अलावा, रेड प्लैनेट यानी मंगल पर पहुँचने वाला इसरो चौथा अंतरिक्ष संगठन बना।

वर्ष 2017 की उपलब्धियाँ

- 15 फरवरी, 2017 को इसरो ने अंतरिक्ष में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किये। इन सैटेलाइट्स को पीएसएलवी-सी 37 द्वारा एक ही लॉन्च कार्यक्रम के जरिये छोड़ा गया। 29 जुलाई, 2017 को इसरो ने GSAT-17 नामक संचार उपग्रह छोड़ा। GSAT-17 को लगभग 15 वर्षों के लिये डिजाइन किया गया है।

संभावित प्रश्न

हाल ही में इसरो द्वारा प्रक्षेपित सैटेलाइट जीसैट 6-ए का संपर्क टूटना इसरो के समक्ष विभिन्न तकनीकी चुनौतियों को दर्शाता है। इसरो के समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियों को स्पष्ट करते हुए इसके निदान हेतु उपाय सुझाए। (250 शब्द)

Recently, the communication loss of satellite GSAT 6A launched by ISRO presents various technical challenges before ISRO. Explain the various challenges existing infront of ISRO and suggest ways to resolve it. (250 words)

नदी पर राजनीति

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

05 अप्रैल, 2018

''सुप्रीम कोर्ट द्वारा कावेरी जल विवाद पर दिए गये ऐतिहासिक फैसले के छह सप्ताह बाद ही यह मामला फिर से अदालत समक्ष आ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र इस मुद्दे को संभाल कर रखना चाहती है जब तक कि मध्य मई में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव खत्म न हो जाए।'' **इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू'' एवं ''इंडियन एक्सप्रेस''** में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे **"GS World"** टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

द हिन्दू
(कावेरी अगेन)

''कावेरी विवाद का दूसरी बार अदालत के पास जाना चिंता का विषय है, जिसके लिए केवल केंद्र जिम्मेदार है।''

इंडियन एक्सप्रेस
(कीचड़ से भरी नदी)

''कावेरी मुद्दे पर भावनात्मक प्रतिक्रिया से तमिलनाडु और कर्नाटक को दूर रहना चाहिए।''

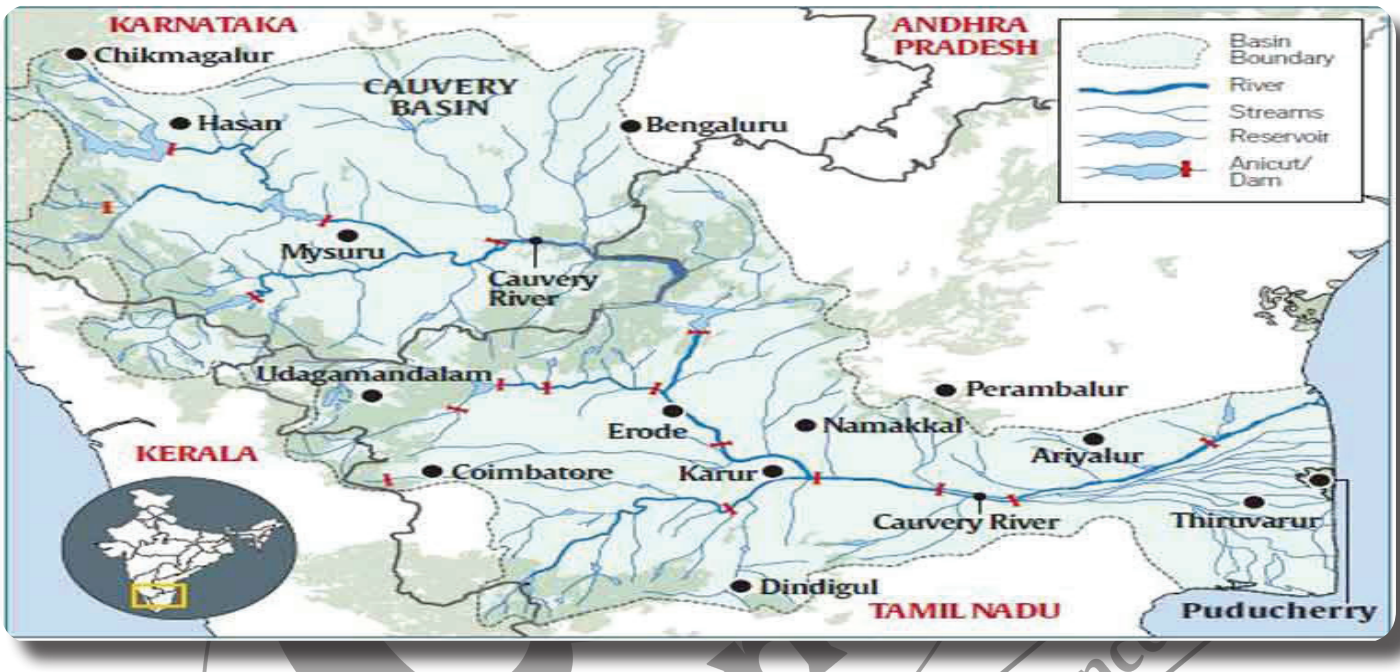

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतिम फैसला दिए जाने के कुछ ही हफ्तों बाद कावेरी विवाद फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और इस विवाद का एक और दौर में जाने के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराना बिलकुल उचित होगा।

जहाँ एक तरफ तमिलनाडु ने न्यायालय में 16 फरवरी फैसले में निर्धारित जल-साझाकरण व्यवस्था को लागू करने के लिए एक योजना तैयार करने के निर्देश का पालन न करने के लिए केंद्र के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अदालत में कदम रखा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र ने अदालत के फैसले पर तीन महीने और कुछ स्पष्टीकरण की मांग की है।

ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र इस मुद्दे को संभाल कर रखना चाहती है जब तक कि मध्य मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव खत्म न हो जाए। हमेशा से राजनीतिक और चुनावी विचारों ने केंद्र की कार्रवाई को नियंत्रित किया है। यह लगभग ऐसा है जैसा कि यह मान लेना कि जब तक समय खरीदने के विकल्प उपलब्ध हैं, तब तक इसकी कानूनी दायित्वों को पूरा करने की जरूरत नहीं है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत की छह सप्ताह की समयसीमा समाप्त होने से पहले, केंद्र ने एक याचिका दायर की जिसमें अदालत से यह पूछा कि क्या प्रस्तावित योजना उसी तरह की होनी चाहिए, जैसा कि ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2007 में अपने अंतिम आदेश में निर्धारित किया था या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

16 फरवरी को कावेरी जल विवाद पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी को कहा था कि ये सभी राज्य जो नदी के पानी के लिए अपना-अपना दांव पेश कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले अपने संकीर्ण दृष्टिकोण को ठीक करना होगा, क्योंकि इसने बेसिन-केंद्रित दृष्टिकोण को अस्पष्ट बना दिया है। लेकिन फैसले के छह सप्ताह बाद, यह मामला विवाद के कारण अदालत के फैसले के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय के पास वापस आ गया।

यह देखते हुए कि कावेरी विवाद एक सदी से भी अधिक लम्बा और जटिलताओं से भरा विवाद है, यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि दोनों तटवर्ती राज्यों का समाधान तंत्र के ऊपर कई मतभेद मौजूद है। हालांकि, दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि इस असहमति से यह विवाद तमिलनाडु में एक भावनात्मक रंग और कर्नाटक में चुनावी मुद्दा बन कर रह गया है।

फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल (सीडब्ल्यूडीटी) के एक 2007 के फैसले को संशोधित किया था, एक एजेंसी जिसे 1990 में गठित किया था, जहाँ तमिलनाडु की लागत पर कावेरी जल का हिस्सा कर्नाटक के लिए बढ़ा दिया था। कोर्ट ने केंद्र से छह हफ्तों के भीतर एक 'योजना' तैयार करने के लिए कहा है ताकि इसका फैसला सुचारू रूप से कार्यात्मक किया जा सके।

Committed to Excellence

यह सच है कि प्रस्तावित तंत्र और इसकी संरचना पर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच मतभेद है। जहाँ एक तरफ तमिलनाडु का कहना है कि अदालत द्वारा परिकल्पित 'योजना' का मतलब कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल विनियमन समिति के अलावा कुछ भी नहीं है, जो कि ट्रिब्यूनल के अंतिम आदेश में वर्णित है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में 'बोर्ड' का कोई संदर्भ नहीं है और केंद्र सरकार उस योजना से एक अलग योजना बना सकती है जो ट्रिब्यूनल द्वारा वर्णित है।

यह तर्क देता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 'विवाद समाधान निकाय' की परिकल्पना की थी, न कि ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित 'प्रबंधन बोर्ड' की। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, केंद्र को अपने विवेक का उपयोग करके एक ऐसी योजना के साथ सामने आना चाहिए, जिसमें जल-साझाकरण की देखरेख करने के लिए एक अंतर-राज्य निकाय शामिल हो।

अपने नवीनतम सुनवाई में, भारत के मुख्य न्यायाधीश, दीपक मिश्रा ने कहा कि फैसले में उल्लिखित शब्द 'योजना' केवल 'बोर्ड' का ही उल्लेख नहीं करता है। उन्होंने तमिलनाडु को यह आश्वासन दिया कि अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि वह कावेरी जल के उसके अपने हिस्से से उसे वंचित नहीं करेगी।

यह एक संकेत है कि यह केवल एक नामकरण नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी राहत है जो कि दोनों राज्यों के लिए काफी मायने रखता है। सभी पार्टियों के लिए यह समझदारी वाली बात होगी कि विवाद बेहतर इक्विटी के आधार पर सुलझाए जाएं और उचित विचारों के साथ लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद को समाप्त कर दिया जाये।

* * *

लेकिन सबसे जटिल समस्या यह है कि यह तंत्र सीडब्लूडीटी द्वारा तैयार किए गए योजना से बिलकुल अलग है। ट्रिब्यूनल ने सिफारिश की है कि कावेरी प्रबंधन बोर्ड को 'जलाशयों के पर्यवेक्षण और कावेरी जल के रिलीज के नियमन के कार्य को सौंपा जाये।'

देखा जाये तो यहाँ नामकरण में थोड़ा अंतर नहीं है। 'योजना' शब्दावली का प्रयोग अंतर राज्य नदी विवाद अधिनियम, 1956 में किया गया है और कर्नाटक सरकार के अनुसार, न्यायालय का अर्थ है 'विवाद समाधान निकाय' जो सीडब्ल्यूडीटी द्वारा अनिवार्य विनियामक एजेंसी से बहुत अलग है। कर्नाटक ने भी तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने योजना के विषय-वस्तु को केंद्र के विवेक पर छोड़ दिया है। तमिलनाडु इस व्याख्या को नहीं मानता है और इसके अनुसार 'योजना' सीडब्लूडीटी की सिफारिशों के अनुसार होनी चाहिए।

कर्नाटक विधानसभा के चुनावों में एक महीने से भी कम समय बचा है, इसलिए केंद्र ने इस मुद्दे को सुरक्षित रख रखा है। तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से यह भी कहा है कि फरवरी के फैसले को प्रभावी बनाने में केंद्र की देरी 'अदालत की अवमानना' को दर्शाता है।

राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अपने अधिकारों के अंतर्गत रह कर अच्छी तरह से कार्य कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि सत्तारूढ़ एआईएडीएमके और विपक्षी डीएमके दोनों एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए राज्य में भावनात्मक मुद्दे का निर्माण कर रहे हैं।

मंगलवार को, एआईएडीएमके ने मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी और उनके उप मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम के साथ हड़ताल की। सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल को इस मामले को सुनेंगे। इसलिए इन पार्टियों को अपनी राजनीति को कम से कम तब तक के लिए नियंत्रण में रखना चाहिए।

* * *

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि नदी पर किसी एक राज्य का अधिकार संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी राष्ट्रीय संपत्ति है। फैसले के मुताबिक कावेरी नदी से तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में कटौती की है। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने अंतरराज्यीय बिलीगुंडलु बांध से कावेरी नदी का 177.25 टीएमसीएफटी जल तमिलनाडु के लिए छोड़े।
- फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि कर्नाटक को अब प्रति वर्ष 14.75 टीएमसीएफटी जल अधिक मिलेगा, जबकि तमिलनाडु को 404.25 टीएमसीएफटी जल मिलेगा जो न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में निर्धारित जल से 14.75 टीएमसीएफटी कम होगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शामिल कुछ तथ्य?

- कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में किए गए आवंटन के अनुसार कर्नाटक को 270 टीएमसीएफटी जल आवंटित किया गया था। वह अब बढ़कर 284.75 टीएमसीएफटी हो जाएगा।
- प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने यह बहुप्रतीक्षित आदेश सुनाया। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में किए गए आवंटन के खिलाफ याचिका दायर की थी।
- पीठ ने इस याचिका पर अपना फैसला पिछले साल 20 सितंबर को सुरक्षित रखा था।
- प्रधान न्यायाधीश ने फैसले का मुख्य भाग सुनाते हुए कहा कि वर्ष 2007 में न्यायाधिकरण द्वारा केरल के लिए निर्धारित किए गए 30 टीएमसीएफटी और पुडुचेरी के लिए निर्धारित सात टीएमसीएफटी जल में कोई बदलाव नहीं होगा।
- शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु को कावेरी बेसिन के नीचे कुल 20 टीएमसीएफटी जल में से अतिरिक्त 10 टीएमसीएफटी भूजल निकालने की अनुमति भी दी।
- न्यायालय ने कहा कि बेंगलुरु के निवासियों की 4.75 टीएमसीएफटी पेयजल एवं 10 टीएमसीएफटी भूजल आवश्यकताओं के आधार पर कर्नाटक के लिए कावेरी जल का 14.75 टीएमसीएफटी आवंटन बढ़ाया गया।
- कोर्ट ने कहा कि पेयजल को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। कावेरी जल आवंटन पर उसका फैसला आगामी 15 वर्षों तक लागू रहेगा।

क्या है कावेरी नदी जल विवाद?

- कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी इस नदी के बेसिन में आते हैं। इन्हीं चारों राज्यों के बीच एवं विशेष रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इस नदी के जल के बँटवारे को लेकर विवाद चला आ रहा है।

- इस ऐतिहासिक विवाद के समाधान के लिये 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के बीच एक समझौता हुआ था।
- उसके बाद भारत सरकार द्वारा 1972 में बनाई गई एक कमेटी की रिपोर्ट और विशेषज्ञों की सिफारिशों के बाद अगस्त 1976 में कावेरी जल विवाद के सभी चारों दावेदारों के बीच एक समझौता हुआ था।
- इस बीच जुलाई 1986 में तमिलनाडु ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत इस मामले को सुलझाने के लिये आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार से एक न्यायाधिकरण के गठन किये जाने का निवेदन किया।
- केंद्र सरकार ने 2 जून, 1990 को कावेरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। वर्ष 1991 में इसने एक अंतरिम फैसला दिया था। वर्ष 2007 में इसने अंतिम फैसला दिया। परन्तु कोई भी पक्ष इसके फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ। तब से अब तक इस विवाद को सुलझाने की कोशिश चल रही है।
- भारत में नदी जल विवाद एक गंभीर विषय है। लगभग इसी तरह की समस्या कुछ अन्य नदियों के जल के बँटवारे को लेकर भी है। प्रत्येक राज्य इसी देश का हिस्सा है और राज्यों के बीच इस तरह का विवाद किसी के हित में नहीं है।

देश के महत्त्वपूर्ण नदी जल विवाद

1. नर्मदा नदी जल विवाद – गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान
2. माही नदी जल विवाद- गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश
3. गोदावरी नदी जल विवाद- आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश
4. यमुना नदी जल विवाद- उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली
5. सतलज यमुना लिंक नहर विवाद – पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
6. रावी और ब्यास नदी जल विवाद- पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली
7. कावेरी नदी जल विवाद- तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी
8. कृष्णा नदी जल विवाद- महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश
9. कर्मनाशा नदी जल विवाद- उत्तर प्रदेश और बिहार
10. बराक नदी जल विवाद- असम और मणिपुर
11. अलियार और भिवानी नदी जल विवाद- तमिलनाडु और केरल
12. तुंगभद्रा नदी जल विवाद- आंध्र प्रदेश और कर्नाटक

नदी जल विवाद से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान है।
- अनुच्छेद 262(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में न्यायिक पुनार्विलोकन और सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है।
- अनुच्छेद 262 संविधान के भाग-11 का हिस्सा है जो केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रकाश डालता है।
- अनुच्छेद 262 के आलोक में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का आगमन हुआ।
- इस अधिनियम के तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे हेतु अधिकरण बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बराबर महत्त्व रखता है।
- इस कानून में खामी यह थी कि अधिकरण के गठन और इसके फैसले देने में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
- सरकारिया आयोग(1983-88) की सिफरिशों के आधार पर 2002 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन कर अधिकरण के गठन में विलम्ब वाली समस्या को दूर कर दिया गया।

नदी जल विवाद से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत-

- हर्मन डॉक्ट्रिन या प्रादेशिक अखंडता का सिद्धांत (1896): इसमें ऊपरी तटीय देशों/राज्यों की नदी जल पर प्रादेशिक संप्रभुता होने की बात कही गई थी।
- संपूर्ण प्रादेशिक अखंडता का सिद्धांत (1941): यह सिद्धांत, नदी जल के प्राकृतिक बहाव को अवरुद्ध करने का विरोध करता है।
- न्यायसंगत विभाजन का सिद्धांत: इसमें जरूरत के मुताबिक नदी जल की प्राथमिकता तय करने की बात की गई है, उदहारण के लिये- भारत के सन्दर्भ में सिंधु, कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के जल का बँटवारा इसी आधार पर किया गया है।
- परमित क्षेत्रीय संप्रभुता का सिद्धांत(1997): इसमें माना गया है कि नदी जल बहाव वाले समस्त तटीय देशों/राज्यों का नदियों पर समान अधिकार है।

* * *

Committed To Excellence

संभावित प्रश्न

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद को लेकर एक सुदृढ़ और मजबूत संस्थागत ढाँचा अत्यधिक आवश्यक है। इस सन्दर्भ में विशेष पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए समावेशी और सतत् विकास को अपनाना जरूरी है न कि एकतरफा विकास को। इस कथन का विश्लेषण कीजिये।

(250 शब्द)

A strong and robust institutional framework is essential for inter-state river water disputes. In this context, it is important to adopt inclusive and sustainable development while ensuring special transparency, not one-sided development. Analyze this statement.

(250 words)

द फेक न्यूज़

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

06 अप्रैल, 2018

द हिन्दू

लेखक-
करण थापर (टेलीविजन एंकर)

''स्मृति ईरानी का इलाज रोग से भी बदतर है।''

क्या स्मृति ईरानी, जो केंद्रीय कपड़ा और सूचना एवं प्रसारण मंत्री (IB) है, सरकार के लिए एक शर्मिंदगी बन गयी है? इनके द्वारा फेक न्यूज प्रेस विज्ञप्ति पहली बार नहीं जारी किया गया है, जिससे यह कहा जा सके कि उनसे ये गलती अनजाने में हुई है। कई बार कई मौकों पर उन्होंने खुद का मजाक बनाने के लिए खुद ही मौका दिया है। इस आलेख में लेखक द्वारा कई ऐसे तथ्यों का ब्योरा दिया जा रहा है जिससे कि ये सभी आरोप सही साबित हो जायेंगे।

फेक न्यूज प्रकरण निश्चित रूप से सबसे खराब है। सोमवार को मंत्रालय की ओर से फेक न्यूज बनाने पर पत्रकार की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया गया था, जिसे मंगलवार को पीएमओ के दखल के बाद 24 घंटे के भीतर ही वापस ले लिया गया। निश्चित रूप से फेक न्यूज पर पत्रकारों को दंडित करने का फैसला मीडिया को दबाने का एक प्रयास था और आगे भी ऐसे प्रयास होते रहेंगे।

पीएम मोदी की नाराजगी इस बात से बढ़ गई कि इसकी तुलना 1980 के दशक में राजीव गांधी सरकार की ओर से लाए गए मानहानि कानून से की जाने लगी थी। यही नहीं कहा जा रहा है कि स्मृति इरानी ने इस मसले पर पीएमओ को अंधेरे में रखकर फैसला लिया था। अब प्रश्न उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा जारी विवादास्पद गाइडलाइन से अनजान रहे होंगे, या फिर उन्हें इस बारे में पता ही नहीं होगा?

उल्लेनखनीय है कि मंत्रालय ने आज ही कहा था कि अगर कोई पत्रकार फर्जी खबरें करता हुआ या इनका दुष्प्रचार करते हुए पाया जाता है तो उसकी मान्यता स्थाई रूप से रद्द की जा सकती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा था कि पत्रकारों की मान्यता के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर फर्जी खबर के प्रकाशन या प्रसारण की पुष्टि होती है तो पहली बार ऐसा करते पाए जाने पर पत्रकार की मान्यता 6 महीने के लिए निलंबित की जाएगी और दूसरी बार ऐसा करते पाए जाने पर उसकी मान्यता एक साल के लिये निलंबित की जाएगी।

इसके अनुसार, तीसरी बार उल्लंघन करते पाये जाने पर पत्रकार (महिला/पुरूष) की मान्यता स्थाई रूप से रद्द कर दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा था कि अगर फर्जी खबर के मामले प्रिंट मीडिया से संबद्ध हैं तो इसकी कोई भी शिकायत भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) को भेजी जाएगी और अगर यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबद्ध पाया जाता है तो शिकायत न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन (एनबीए) को भेजी जाएगी ताकि यह निर्धारित हो सके कि खबर फर्जी है या नहीं। मंत्रालय ने कहा था कि इन एजेंसियों को 15 दिन के अंदर खबर के फर्जी होने का निर्धारण करना होगा।

वर्ष 2014 से

हांलाकि, सुश्री इरानी वर्ष 2014 से ही विवादों के घेरे में रही है जो उनके प्रमाणपत्र को लेकर शुरू हुए विवाद से शुरु हैं। जिसके कारण उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय से स्थानांतरित कर दिया गया था। तब तक उन्हें 'एनडीए सरकार में सबसे विवादास्पद मंत्री' माना जाता था।

लेकिन मीडिया के साथ संबंध में उनसे सबसे बड़ी गलती हुई है। जिसमें पहली घटना जुलाई में कपड़ा और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में पदभार संभालने के कुछ ही हफ्ते बाद ही हुआ। इस घटना से पता चला कि उनमें न केवल बेहतर निर्णय लेने का अभाव है बल्कि उनके अन्दर सेंस ऑफ ह्यूमर की भी बेहतर समझ की आवश्यकता है।

ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि उस वक्त जब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के मास्क पहने हुए कुछ लोगों की एक तस्वीर को मित्रता दिवस के रूप में चिह्नित करने के लिए जारी किया। निश्चित रूप से यह गंभीर और हानिकारक बात नहीं थी, लेकिन ईरानी को क्रोधित करने के लिए पर्याप्त थी। जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर कहा, क्या आपके द्वारा चुने गये प्रमुख को इस तरह से पेश करना उचित है?

जाहिर है, आईएंडटी मंत्री ने समाचार एजेंसी को एक तस्वीर जारी करने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि राजनेताओं से भी मजाक किया जा सकता है।

हांलाकि, उस समय प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप नहीं किया था और पीटीआई को माफी जारी करने के लिए मजबूर किया गया। जिसके कारण सुश्री इरानी को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और वो ये भी नहीं समझ सकी कि भाषण की स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या होता है।

मंत्रालय में नौकरशाहों ने कई आदेश पारित किए हैं जो यह बताते हैं कि उन्हें प्रसार भारती अधिनियम से कितनी परेशानी है। वास्तव में, वे इस तरह से व्यवहार करते हैं कि इस कानून का कोई वजूद ही नहीं है। शायद समस्या का सबसे गंभीर कारण मंत्रालय का आदेश है कि प्रसार भारती के सीईओ के मूल्यांकन को आईएंडबी सचिव द्वारा किया जाना चाहिए और मंत्री द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।

हालांकि, निगम के मतभेद और मंत्रालय के साथ विवाद के कई और कारण हैं। फरवरी में, मंत्रालय ने प्रसार भारती को सभी अनुबंधित कर्मचारियों को समाप्त करने का निर्देश दिया था। यह अपने स्वयं के कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए अपनी स्वायत्तता को कमजोर करने का एक बड़ा प्रयास था। यह निगम के बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त एक सेवा प्रदाता आईएएस अधिकारी चाहता था जो इस तथ्य की अनदेखी है कि इसके लिए प्रसार भारती का कर्मचारी होना आवश्यक और उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा चुना जाना चाहिए। यह दूरदर्शन और एआईआर न्यूज डिवीजनों के साथ काम करने के लिए मंत्रालय के अधीन आने वाली भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी चाहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मुंबई की एक निजी फर्म को सेवाओं के लिए 2.92 करोड़ रुपये का भुगतान करना चाहता था, जो आसानी से प्रसार भारती द्वारा ही किया जा सकता था। इसलिए, प्रसार भारती और मोदी सरकार के बीच स्पष्ट दरार मौजूद है। श्री प्रकाश केवल 'नौकरशाहों' के बारे में बात कर सकते हैं लेकिन वे बिना ईरानी के समर्थन के कार्य नहीं करेंगे।

नवीनतम मूर्खता

हालिया फेक न्यूज के दिशानिर्देशों ने उनकी मूर्खता को और अधिक साबित कर दिया है। सच्चाई यह है कि फेक न्यूज को परिभाषित करना और कभी-कभी इसकी पहचान करना काफी मुश्किल है। यह न सिर्फ केवल पत्रकारों द्वारा बल्कि कई स्रोतों से भी उत्पन्न होता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि सुश्री इरानी का 'इलाज' रोग से भी ज्यादा गंभीर है। अपराध के साक्ष्य से पहले एक पत्रकार के मान्यता को निलंबित करने का प्रयास कहीं से भी उचित नहीं है। बहुत से लोगों ने वर्ष 2019 के चुनावों से पहले इस महत्वपूर्ण वर्ष में मीडिया को कमजोर करने का प्रयास किया है। जहां तक पत्रकार समुदाय का सवाल है, इस अवसर पर वह एक कदम बहुत दूर चला गया। उसने दिखाया है कि वह पत्रकारिता को समझ नहीं पा रही है।

* * *

GS World टीम...

क्या है मामला?

- फेक न्यूज को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से जारी गाइडलाइन और उसके तुरंत बाद पीएम मोदी द्वारा फैसले को वापस लेने के आदेश से राजनीति गरमा गई है।

फेक न्यूज है क्या?

- फेक न्यूज वह 'न्यूज' है जो यह जानते हुए बनाई जाती है कि यह सच नहीं है। किसी गलत रिपोर्टिंग की स्थिति में अखबार या मीडिया संस्थान उसे सही करते हैं या उसके लिए खेद प्रकट करते हैं लेकिन फेक न्यूज में ऐसा नहीं होता। फेक न्यूज संयोगवश या त्रुटिवश नहीं बनाई जाती बल्कि यह जानबूझकर की गई गलती है। यह नितांत झूठ होती है और इसका मकसद गुमराह करना होता है।

कौन इसकी पुष्टि करता कि न्यूज फेक है?

- प्रिंट मीडिया के खिलाफ शिकायत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के पास भेजी जाती।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ शिकायत न्यूज एंड ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) को भेजी जाती।
- दोनों एजेंसियां 15 दिन में जांच करके न्यूज के फेक या सही होने का फैसला करतीं।
- जांच के दौरान संबंधित पत्रकार की मान्यता निलंबित रहती।

कानून का दायरा

- भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 295 के तहत झूठी खबरों से पीड़ित व्यक्ति झूठी खबर फैलाने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है।
- **न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन :** यह निजी टेलीविजन समाचारों और हालिया घटनाओं के प्रसारण पर नजर रखता है।
- **इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन :** 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। यहां 24 x 7 चलने वाले चैनलों की सामग्री के बारे में शिकायत की जा सकती है।
- **ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल :** टीवी पर आपत्तिजनक प्रसारण या किसी झूठी खबर के बारे में यहां शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- **प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया :** 1978 के प्रेस काउंसिल एक्ट के तहत यह संस्था किसी समाचार पत्र, किसी समाचार एजेंसी, संपादक, पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

विदेश में प्रावधान

- **सिंगापुर :** जानबूझकर ऑनलाइन माध्यमों पर गलत खबर फैलाए जाने को रोकने के लिए संसदीय समिति उपाय ढूंढ रही है। इस समिति ने सिंगापुर के इतिहास की सबसे लंबी आठ दिनी सुनवाई की है। यह समिति मई में नए कानून के निर्माण के संबंध में रिपोर्ट पेश करेगी।
- **मलेशिया :** झूठी खबरें फैलाने वालों पर 1.70 लाख डॉलर जुर्माना और अधिकतम छह वर्ष कारावास हो सकता है। अगर झूठी खबर से मलेशियाई नागरिक प्रभावित हो रहा है तो ऐसी खबर उड़ाने वाले विदेशी नागरिक को भी सजा दी जा सकती है।
- **फिलीपींस :** राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतर्ते ने साफ तौर पर यहां की न्यूज साइट रैपलर को झूठा करार किया है और आधिकारिक आयोजनों की रिपोर्टिंग करने से रोक दिया है। यहां नया कानून बनाया जा रहा है जिसमें गलत खबरें फैलाने पर जुर्माना लगाने के साथ 20 वर्ष तक जेल की सजा का प्रावधान होगा।
- **थाइलैंड :** यहां साइबर सिक्योरिटी कानून के तहत झूठी खबर फैलाने वाले व्यक्ति या मीडिया संस्थानों को सात वर्ष तक की जेल हो सकती है। यहां की सेना ऐसे कानूनों का सख्ती से पालन करती है जिससे शाही परिवार का कोई अपमान न कर सके।

संभावित प्रश्न

फेक न्यूज को लेकर मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन को प्रधानमंत्री द्वारा वापस लेने के आदेश से राजनीति गरमा गई है। फेक न्यूज के हालिया घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए सामाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Politics has been fervented by the Prime Minister's order to withhold the guidelines issued by the ministry regarding the Fake News. Referring to recent developments in Fake News, discuss its impact on society. (250 words)

नवाचार की संस्कृति स्थापित करना

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।।। (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) से संबंधित है।

07 अप्रैल, 2018

द हिन्दू

लेखक-
फिरोज वरुण गाँधी (संसद के सदस्य)

''भारत की नवाचार नीति को पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए आरएंडडी पर नाम मात्र खर्च से परे सोच कर देखना होगा।''

कागज पर, अनुसंधान और विकास (R & D) के खर्च के मामले में भारत को एक अच्छी स्थिति में होना चाहिए। शोधकर्ताओं की हमारी श्रृंखला कमजोर नहीं प्रतीत होती है; हम विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पीएचडी की संख्या में तीसरे स्थान पर हैं और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग में सुधार हुआ है, अर्थात 66 से 60 तक।

और फिर भी, शीर्ष 100 (क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, 2018) में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय मौजूद नहीं है और 2016 में भारत में केवल 46,904 पेटेंट दर्ज किए गए हैं (जहाँ चीन ने एक मिलियन पेटेंट दायर की है)। हमने किसी तरह प्रकाशन के लोकाचार को सक्षम किया है, लेकिन अभी भी 'पेटेंटिंग, प्रकाशन और समृद्धि' में हमने सफलता हासिल नहीं की है।

संख्याओं के बीच

वर्ष 2005-15 के दौरान आरएंडडी पर भारत का सकल व्यय तीन गुना बढ़ गया है, जो 2016-17 में 1 लाख करोड़ था। केंद्र ने वर्ष 2015 में कुल राशि का 45.1% खर्च किया, जबकि निजी उद्योग ने 38.1% का योगदान दिया। पश्चिम की तुलना में, अनुसंधान एवं विकास में उच्च शिक्षा संस्थानों के योगदान में कमी थी।

सरकार का आरएंडडी खर्च अमेजॅन या अल्फाबेट के आरएंडडी के खर्च के बराबर है, जबकि आरएंडडी द्वारा विश्व स्तर पर शीर्ष 2500 कंपनियों की सूची में केवल 26 भारतीय कंपनियां शामिल हैं॰ हमारी आरएंडडी की गतिविधियां अभी भी बाजार-केंद्रित होने के बजाय बिना तथ्यों पर विचार किये आयोजित की जाती हैं।

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का आरएंडडी खर्च अब भी काफी कम है, 2015 में यह 0.69% था और यह हिस्सा पिछले दशक से स्थिर हो गया है। यहां तक कि अन्य ब्रिक्स देशों के बीच, केवल दक्षिण अफ्रीका आरएंडडी खर्च के मामले में भारत के पीछे है।

खर्च का आबंटन काफी महत्वपूर्ण होता है। 90% से अधिक भारतीय स्टार्ट-उप को शुरुआती विफलता का खतरा रहता है, जो अक्सर वित्तपोषण तक पहुंच की कमी के कारण होते है। ऐसे वित्तपोषण धाराओं तक पहुंच के लिए संस्थागत बाधाओं में कमी के साथ सार्वजनिक और निजी खिलाड़ियों के लिए बेहतर तरीके से सुधार की आवश्यकता है।

आरएंडडी का अनुवाद पेटेंट में खर्च संस्थागत बाधाओं से प्रभावित हो सकता है। अंततः केवल 28% पेटेंट आवेदनों के लिए पंजीकृत किए गए हैं। इस बीच, भारत में लंबित पेटेंट का समय, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा शामिल हैं, जहाँ पेटेंट के निरीक्षण के लिए अनुरोध और अंतिम कार्यालय कार्रवाई के बीच 6-7 साल लग जाते हैं।

अगर अन्य देशों से तुलना की जाये तो पेटेंट के लिए दक्षिण कोरिया और चीन में क्रमशः 16 और 22 महीने का लंबित समय निर्धारित हैं। इस बीच, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने वर्ष 2014-2017 के दौरान 13,000 से अधिक पेटेंट दायर किये थे, लेकिन वित्तपोषण की कमी के कारण, सीएसआईआर-टेक, अपनी व्यावसायिक इकाई बंद कर दी।

भारत का बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) परिवर्तन के लिए परिपक्व हो चुका है, जहाँ प्रारंभिक नॉन-रॉयल्टी आधार पर दायर पेटेंट का उपयोग करने के लिए शुरूआत को प्रोत्साहित करने के लिए एक संशोधन की आवश्यकता होती है, साथ ही राजस्व साझा करने के बाद एक बार महत्वपूर्ण व्यावसायिकीकरण हासिल हो जाता है।

खर्च को एक तरफ कर भी दे तो भी, उद्योगों में परिवर्तनकारी नवीनता की कमी को लेकर भारत को चिंतित होना चाहिए। 77% से अधिक भारतीय उद्यम पूंजीपतियों का मानना है कि भारत में अद्वितीय व्यवसाय मॉडल या नई प्रौद्योगिकियां मौजूद नहीं हैं।

आरएंडडी, एक पेशेवर कार्य के रूप में, शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित करने में विफल रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे 216 शोधकर्ताओं प्रति मिलियन की तुलना में चीन 1,177, रूस की 3,131 और अमेरिका 4,232 है। वर्ष 2009 से लेकर 2013 में वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या 62,955 से बढ़कर 106,065 कागजात हो गई थी, साथ ही वैश्विक शोध प्रकाशनों का भारत का हिस्सा 2000 में 2.2% से बढ़कर 2013 में 3.7% हो गया। और अभी तक, जाली पत्रिकाओं में 35% से अधिक प्रकाशन भारत से है।

सीएसआईआर के पेटेंट, ज्यादातर 'जैव डेटा पेटेंट' थे, और दावा किया जाता है कि वे वैज्ञानिक रूप से फिर से शुरू करने के लिए मुख्य रूप से दर्ज किए गए हैं। पेटेंट के संग्रह में एक महत्वपूर्ण लागत भी जुड़ा हुआ है; बिना गुणवत्ता के पेटेंट की एक उच्च संख्या का संग्रह, हमारे नवाचार के सूचकांक को बढ़ने के लिए सफलता का एक संस्थागत चिन्ह बन गया है।

एप्लिकेशन द्वारा परीक्षित

विकास और आर्थिक चुनौतियों के समाधान प्रदान करने पर ध्यान देने के लिए हमें मेट्रिक्स, पेपर और पेटेंट से आगे बढ़ने की जरूरत है। एक नवप्रवर्तन संस्कृति के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, विशेष रूप से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिवर्तनशील बदलावों को देखते हुए- अर्थात ऑटोमोबाइल में आईटी सेवाओं में निवेश करने से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक, क्योंकि अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण रोजगार घाटे का सामना कर रही है और निर्यात में भी कमी आई है।

हमारे नवाचार नीति को हमारे विश्वविद्यालयों, स्टार्ट-अप्स और कॉरपोरेट्स में 'आउट-ऑफ-द-बॉक्स' की सोच वाली मानसिकता को प्रोत्साहित करने के लिए R & D के खर्च को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भारत की शैक्षिक नीतियों को पुनः डिजाइन करने की जरूरत है, जिसमें ध्यान देने योग्य ज्ञान के साथ-साथ संज्ञानात्मक क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान देने और मात्रात्मक विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अटल इनोवेशन मिशन, एक उत्साहजनक शुरुआत है, जो नवाचार की प्रारंभिक स्तर का पोषण करने में मदद करने के लिए स्कूल-स्तरीय वित्तीय अनुदानों को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है। लेकिन हमें इससे आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि इसे डेटा एनालिटिक्स के बढ़त का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

इसके लिए एक समर्थित पारिस्थितिकी तंत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक डेटा तक पहुंच और सार्वजनिक डेटा (उदाहरण के लिए, ट्रेन की समय-पाबंदी, पानी की कमी, वायु प्रदूषण मैट्रिक्स) को वास्तविक समय के आधार पर अभिनव अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए तैयार किया जा सके।

पूंजी और आईपी पर आधारित वस्तु-आधारित विकास से देश की गति को बदलने पर अनुसंधान और विकास खर्च का प्रभाव अच्छी तरह से ज्ञात है; दक्षिण कोरिया ने पिछले 45 वर्षों में 12 बार जीडीपी बढ़ाया, जबकि 2011 में आरएंडडी का खर्च 1965 में जीडीपी के 0.26% से बढ़कर 4.04% हो गया; 2011 में कुल आरएंडडी खर्च के निजी कंपनियों का 76.5% हिस्सा था। एक ऐसा देश, जिसे ऐतिहासिक और पौराणिक अतीत में नवाचारों को याद करने के लिए सार्वजनिक बहस में उदहारण के तौर पर याद किया जाता है, उसे अपने आरएंडडी गतिविधियों के भविष्य पर महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है।

* * *

GS World टीम...

क्या है बौद्धिक संपदा अधिकार?

- व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किये जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। वस्तुत: ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन (जैसे साहित्यिक कृति की रचना, शोध, आविष्कार आदि) करता है तो सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अनन्य अधिकार होना चाहिये। चूँकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिये ही दिया जाता है, अत: इसे बौद्धिक संपदा अधिकार की संज्ञा दी जाती है।

बौद्धिक संपदा से अभिप्राय है

- नैतिक और वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान बौद्धिक सृजन। बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किये जाने का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिये कि अमुक बौद्धिक सृजन पर केवल और केवल उसके सृजनकर्ता का सदा-सर्वदा के लिये अधिकार हो जाएगा। यहाँ पर ये बताना आवश्यक है कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित समयावधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनजर दिये जाते हैं।
- बौद्धिक संपदा अधिकार दिये जाने का मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्षेत्र व्यापक होने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि क्षेत्र विशेष के लिये उसके संगत अधिकारों एवं सम्बद्ध नियमों आदि की व्यवस्था की जाए। इस आधार पर इन अधिकारों को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

पेटेंट क्या है?

- पेटेंट वह व्यवस्था है जिसके तहत किसी भी नई खोज से बनने वाले उत्पाद पर आविष्कारक को एकाधिकार दिया जाता है। यह अधिकार खोज करने वाले व्यक्ति (Inventor यानी आविष्कारक) को सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके बाद एक निश्चित समय तक न तो कोई उस उत्पाद को बना सकता है और न ही बेच सकता है। अगर बनाना चाहे, तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा और Royalty देनी होगी। विश्व व्यापार संगठन ने पेटेंट की अवधि 20 साल तय कर रखी है।
- पेटेंट हासिल करने वाला व्यक्ति (Product Inventor) अपना यह अधिकार बेच या ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा प्रोसेस पेटेंट भी होता है, जिसका संबंध नई तकनीक या किसी उत्पाद को बनाने वाली विधि से है। मतलब किसी नई विधि पर भी पेटेंट लिया जा सकता है। लेकिन पेटेंट का ये आदेश जिस देश में जारी किया जाता है, उसकी सीमाओं के भीतर ही उसे लागू माना जाता है।
- **यूटिलिटी पेटेंट :** ये उपयोगी प्रक्रिया, मशीन, उत्पाद का कच्चा माल, किसी उत्पाद का कंपोजिशन या इनमें से किसी में भी सुधार को सुरक्षित करता है। उदाहरण:- फाइबर ऑप्टिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, दवाइयां आदि।
- **डिजाइन पेटेंट :** ये उत्पाद के नए, मूल और रचना के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकता है। जैसे कि किसी एथलेटिक शूज का डिजाइन, बाइक का हेलमेट या कोई कार्टून कैरेक्टर, सभी डिजाइन पेटेंट से प्रोटेक्ट किए जाते हैं।
- **पेटेंट :** इसके जरिए नए तरीकों से तैयार की गई पेड़-पौधों की विविधता को प्रोटेक्ट किया जाता है। हाइब्रिड गुलाब, सिल्वर क्वीन भुट्टा और बेटर बॉय टमाटर आदि प्लांट पेटेंट के उदाहरण हैं। यहां गौर करने वाली बात ये है कि आप किसी आविष्कार के अलग-अलग पहलुओं के लिए यूटिलिटी और डिजाइन दोनों तरह के पेटेंट फाइल कर सकते हैं यथार्थ के ही उत्पाद को दो प्रकार से पेटेंट करवा सकते हैं।

इनका नहीं होता पेटेंट

- प्रकृति के नियम (हवा और गुरुत्वाकर्षण)
- नेचरल चीजें (मिट्टी, पानी)
- भाववाचक (एब्स्ट्रैक्ट) आइडिया (मैथमेटिक्स, कोई फिलॉसफी)
- लिट्रेचर, नाटक, म्यूजिक जैसे क्रिएटिव काम को कॉपीराइट के जरिए प्रोटेक्ट किया जाता है।

इनका हो सकता है पेटेंट

- ऐसे आविष्कार जो- 1. अनोखा या नया हो 2. सबसे अलग- इसका मतलब है कि आविष्कार पूरी तरह से अलग होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, किसी दवा के किसी तत्व या आकार में बदलाव करके पेटेंट नहीं कराया जा सकता। पेटेंट हासिल करने के लिए आपका आविष्कार पूरी तरह से नया होना चाहिए, जो पहले कभी नहीं बना। 3. ऐसे आविष्कार, जो यूजफुल हों। आपका गैजट काम का होना चाहिए और कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा करता हो और जो दावे किए गए हों, उन पर यह प्रैक्टिकली खरा उतरता हो।

संभावित प्रश्न

हाल ही में 'अटल इनोवेशन मिशन' के द्वारा नवाचार को गति प्रदान करने की पहल की गई, किन्तु अगर पूर्व की स्थिति को देखा जाए तो R & D में भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। इस संदर्भ में इसके कारणों को स्पष्ट करते हुए इसमें सुधार हेतु आवश्यक सुधारात्मक कदमों की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Recently, the 'Atal Innovation Mission' was initiated to accelerate innovation, but if the situation of the former is seen, then India has been much backward in comparison to other countries in the world. Explain its reasons in this context and discuss the necessary corrective steps to improve it. (250 words)

स्मोक इन द वुड्स

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।।। (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

09 अप्रैल, 2018

द हिन्दू

लेखक- शरचचंद्र लेले (सदस्य, पर्यावरण एवं विकास केंद्र, एट्रीई, बेंगलरू)

''मसौदा वन नीति वानिकी के निर्माण पर जोर देती है, जिसमें कई पारिस्थितिक और सामाजिक चिंताएं बढ़ जाती हैं।''

सरकारी नीति दस्तावेजों में लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और रणनीतियों का विवरण होता हैं। यदि हम पुराने रणनीतियों में विफल हो गए हैं या हालात बदल गए हैं, तो उन्हें संशोधित किया जाना चाहिए। यह देखते हुए कि 1988 में हमारी वन नीति को अंतिम रूप से संशोधित किया गया था, परिवर्तन संभवत: अतिदेय हैं। हालांकि, नई मसौदा वन नीति, 2018 इस अवधि के सबक पर ध्यान नहीं देते हुए 1950 के दशक के राज्य-प्रबंधित वनों में लौट चुका, लेकिन नव उदारवादी मोड़ के साथ।

नीति पहेली

भारत के विविध वन 250 मिलियन लोगों की आजीविका का समर्थित करते हुए, उन्हें लकड़ी, चारा, बांस, बीड़ी के पत्ते और कई अन्य उत्पाद प्रदान करते हैं। लकड़ी वर्तमान में राज्य के खजाने को लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा, वन नदी के प्रवाह और तलछट को विनियमित करते हैं, जो डाउनस्ट्रीम समुदायों को लाभान्वित करते हैं। अंत में, वे जैव विविधता और कार्बन का अवशोषण करते हुए वैश्विक लाभ प्रदान करते हैं।

हालांकि, ये कई वस्तु और सेवाओं, जो विभिन्न लाभार्थियों को लाभ पंहुचा रही हैं, एक साथ अधिक नहीं हो सकता। इसलिए वन नीति, मुख्य रूप से ध्यान देती है कि किस प्रक्रिया के माध्यम से और कहाँ से किस लाभ (और लाभार्थियों) को प्राथमिकता देना है। एक और फोकस क्षेत्र यह तय करना है कि किस तरह से और किस प्रक्रिया के तहत वन निर्माण, खनन और कृषि जैसे 'गैर-वन' गतिविधियों के लिए वन भूमि संरक्षण की अनुमति होगी।

औपनिवेशिक भारत में वन नीति ने वन विभाग के माध्यम से राज्य के लिए अधिकतम उत्पाद और राजस्व के लिए एकमात्र मालिक के रूप में ध्यान केंद्रित किया है। उद्योगों के लिए वनों को कच्चे माल के स्रोत के रूप में देखा जाता था और स्थानीय समुदायों को केवल श्रम के रूप में माना जाता था।

एक आदर्श बदलाव में, 1988 वन नीति ने जंगलों की कई भूमिकाओं को मान्यता दी और राजस्व में अधिकतम वृद्धि को प्राथमिकता दी। यह भी स्वीकार किया गया है कि वन-आश्रित समुदायों की जरूरतों को वन उत्पादन पर 'पहला प्रभार' होना चाहिए। उतना ही महत्वपूर्ण है, इस नीति ने जंगलों को बचाने और पुनर्जीवित करने में लोगों की भागीदारी पर बल दिया, इस प्रकार औपचारिक रूप से राज्य-प्रबंधित वनों की सीमाओं को पहचाना गया।

1988 के बाद का अनुभव

लोगों की भागीदारी को अवधारणा को लागू करने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) 1990 के दशक में शुरू किया गया था। परन्तु जिसे महान अपेक्षाओं के साथ शुरू किया गया था, अंतत: एक राष्ट्रव्यापी पहेली के रूप में समाप्त हो गया। जंगल के अफसरों द्वारा हजारों गांव वन समितियां बनाई गयी है, लेकिन उनकी स्वायत्तता और न्यायक्षेत्रों को गंभीर रूप से सीमित कर दिया गया।

1988 के राष्ट्रीय वन नीति के प्रशंसनीय लक्ष्यों को वैध शर्तों के साँचे में ढालने के लिये सबसे पहले हमें 'वन' शब्द को परिभाषित करने की आवश्यकता है। परिभाषा तय करना कठिन काम नहीं है, क्योंकि वन पौधों का स्व-सिंचित एवं स्व-पुनर्जीवित समुदाय है, जहाँ उन पौधों पर निर्भर जीवों का एक समुदाय और इन जीवों पर निर्भर अन्य समुदाय एक साथ रहते हैं।

यह परिभाषा तय करना इसलिये जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ जंगल लगाए जाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी राशि खर्च की जाती है। हमें जंगल लगाना नहीं है, बल्कि व्यवधान रहित परिस्थितियों का निर्माण करना है जिससे कि वन स्वयं अपना आकार ले सकें।

दाता का पैसा वृक्षारोपण पर खर्च किया जाता था, लेकिन एक बार फंड समाप्त होने पर कार्यवाई को रोक भी दिया जाता था। कार्यकारी आदेश द्वारा 'लोगों की भागीदारी' बहुत कमजोर थी और इसकी अवधारणा भी एकतरफा थी। इसके बजाय जंगलों पर नियंत्रण के वास्तविक हस्तांतरण की आवश्यकता थी।

2006 के वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) ने इस तरह के हस्तांतरण के लिए एक ऐतिहासिक अवसर का निर्माण किया। इसके सामुदायिक वन संसाधन प्रावधानों ने जंगलों का उपयोग और प्रबंधन दोनों के लिए समुदायों को अधिकार प्रदान किए हैं। आज, महाराष्ट्र और ओडिशा में हजारों गांवों को ये अधिकार प्राप्त है और सैकड़ों ने इसका प्रयोग करना भी शुरू कर दिया है।

1990 के दशक में सुप्रीम कोर्ट को भी जंगल प्रशासन में हस्तक्षेप करते हुए देखा गया था। जंगल के विचलन को विनियमित करने के लिए, भूमि पर एक उच्च 'शुद्ध वर्तमान मूल्य' (एनपीवी) प्रभार शुरू किया गया। लेकिन अदालत ने इससे प्रभावित स्थानीय समुदायों को कोई भूमिका सौंपने से इनकार कर दिया, यहां तक कि एनपीवी में भी कोई हिस्सा नहीं दिया गया। ओडिशा में नियामगिरी के आदिवासियों ने अपने पवित्र पहाड़ी इलाकों में बॉक्साइट खनन को रोकने के लिए इस प्रावधान का इस्तेमाल किया है।

उत्पादन और वृक्षारोपण

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या 2018 वन नीति का मसौदा 1988 की नई दिशा पर बना है और क्या उस समय सीखे गए सबक को इसमें शामिल किया गया है? दुर्भाग्य से, उत्तर नहीं है। वन उत्पादकता में गिरावट के बारे में सोचते हुए, यह 'नवीन वन क्षेत्र' के रूप में 'वानिकी निर्माण' और वृक्षारोपण को पहचानता है।

कार्बन और कैम्पा

तो, इस नई मसौदा नीति के पीछे क्या छिपा है? निजी क्षेत्र को सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंचाना एक अलग बात है, लेकिन हमारे जंगलों में 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने के लिए 2015 में पेरिस में भारत की वचनबद्धता पोर्रण होते नहीं दिखती है। 'कार्बन मुद्दे' को जंगलों से प्राप्त होने वाले लाभ से पहले सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों को महत्व दिया जाना चाहिए।

सुविधाजनक रूप से, जमा किए गए 50,000 करोड़ एनपीवी मनी (जिन्हें कैम्पा कहा जाता है या मुआवजा वाले वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, निधि) इस कार्बन लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन प्रदान करता है। कैम्पा अधिनियम और इसके हाल ही में जारी किए गए नियमों ने नए 'राष्ट्रीय' लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्य-प्रबंधित वनों पर वापस आने के लिए सरकार के इरादे को दर्शाया है।

* * *

GS World टीम...

राष्ट्रीय वन नीति

- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। इस नीति के अनुसार, वनों से अधिकतम आय प्राप्त करना सरकार का मुख्य लक्ष्य हो गया। सरकार की वन नीति के कारण ही वर्ष 1952 से वर्ष 1981 के बीच कृषि फसलों के अंतर्गत क्षेत्र 1187.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1429.4 लाख हेक्टेयर हो गया। कृषि फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र में 242 लाख हेक्टेयर की यह वृद्धि ग्रामीण अंचल में स्थित वनाच्छादित भूमि को वृक्षविहीन करके प्राप्त की गई।
- वन नीति, 1952 को वर्ष 1988 में संशोधित किया गया। संशोधित वन नीति, 1988 का मुख्य आधार वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास है।

इस नीति के मुख्य लक्ष्य हैं

- पारिस्थितिकीय संतुलन के संरक्षण और पुनर्स्थापन द्वारा पर्यावरण स्थायित्व को कायम रखना।
- प्राकृतिक सम्पदा का संरक्षण।
- नदियों, झीलों और अन्य जलधाराओं के मार्ग के क्षेत्र में भूमि कटाव और मृदा अपरदन पर नियंत्रण।
- व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से वन और वृक्षों के आच्छादन में वृद्धि।
- ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन की लकड़ी, चारा तथा अन्य छोटी-मोटी वन्य उपज आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कदम उठाना।
- राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनोत्पादों में वृद्धि।
- वनोत्पादों के उचित उपयोग को प्रोत्साहन देना और लकड़ी का अनुकूल विकल्प ढूंढना।
- वन संरक्षण हेतु जन-सहभागिता में वृद्धि के लिए उचित कदम उठाना।

राष्ट्रीय वन नीति में व्याप्त

दरअसल, राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में जिन बातों को आधार मानकर लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं, सच में वैसा कुछ अस्तित्व में ही नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के बुनियादी उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- 'संरक्षण' द्वारा 'पर्यावरण स्थिरता' को बनाए रखना।
- देश में वनों की कमी के कारण गंभीर अवस्था में पहुँच चुके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना।
- विदित हो कि इस प्रशंसनीय उद्देश्य का दुर्भाग्य यह है कि 'पारिस्थितिकी संतुलन' ऐसी कोई चीज है ही नहीं। जिसे आज हम पारिस्थितिकी संतुलन कह रहे हैं, उसका उल्लेख सर्वप्रथम प्राचीन ग्रीस में 'प्रकृति का संतुलन' के तौर पर हुआ है।
- हालाँकि, प्राकृतिक प्रणालियों के कामकाज की बेहतर समझ के साथ, पिछली शताब्दी की शुरुआत से इस अवधारणा को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया है और पारिस्थितिकी की पाठ्य पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं है।
- कुछ इसी तरह, 'पर्यावरण स्थिरता' की अवधारणा भी संदिग्ध है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक प्रक्रियाएँ स्थिर नहीं होतीं, बल्कि उनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है।
- यह दिलचस्प है कि राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में 'वन' की अभी तक कोई आधिकारिक परिभाषा तय नहीं की गई है।

संभावित प्रश्न

किसी देश की संपन्नता उसके निवासियों की भौतिक समृद्धि से अधिक वहाँ की जैव विविधता से आँकी जाती है। इस कथन के सन्दर्भ में राष्ट्रीय वन नीति 1988 में वांछित परिवर्तनों के महत्त्व पर प्रकाश डालें। (250 शब्द)

The prosperity of a country is greater than the physical prosperity of its inhabitants, there is an estimate of biodiversity. In the context of this statement highlight the importance of the desired changes in National Forest Policy 1988. (250 Words)

GS World Committed to Excellence

भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंध

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

10 अप्रैल, 2018

*''हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली पद संभालने के बाद पहली बार भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं। इस मुलाकात में दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बराबरी, परस्पर विश्वास और सम्मान की भावना पर खासा जोर दिया गया है।'' **इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू'' एवं ''इंडियन एक्सप्रेस''** में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे **"GS World"** टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

द हिन्दू
(भारत-नेपाल संबंधों पर)

''दिल्ली और काठमांडू को कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संबंधों को फिर से सुदृढ़ बनाना चाहिए।''

नेपाली प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की भारत यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों का महत्वपूर्ण पुनर्लेखन होता साफ तौर पर देखा जा सकता है। वर्तमान में, आधिकारिक घोषणाओं का ध्यान कनेक्टिविटी पर केंद्रित है, इसलिए सार्वजनिक संबंधों और आधिकारिक बैठकों में तनाव का अनुचित अभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिससे यह उम्मीद की जा सकती है कि नेपाल के नए संविधान के संबंध में भारत का विचार रिश्तों की मरम्मत करने पर केन्द्रित है।

यह यात्रा दिल्ली और काठमांडू दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखा जाये तो कुछ समय पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने काठमांडू में श्री ओली को बधाई देने के लिए प्रोटोकॉल से दूर हट कर उनके शपथ लेने के पहले चुनाव जीत के लिए उन्हें बधाई दी थी।

यह 2015-17 से एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जब पांच माह लंबी नेपाल-भारत सीमा पर ट्रक व्यापार की नाकाबंदी और चीन के साथ नेपाल के संबंधों ने रिश्ते पर एक गंभीर तनाव का निर्माण कर दिया था।

श्री ओली ने अपने चुनाव अभियान में भारत विरोधी बयानबाजी को दरकिनार करते हुए विदेशों में अपनी पहली यात्रा अर्थात भारत आने का उनका एकमात्र मकसद दोस्ती और दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना था।

हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने संविधान, चीन पर विवादास्पद मुद्दों से निपटने और नेपाल की प्राथमिकताओं से मिलने वाले विकास परियोजनाओं पर समर्थन देने का वादा किया है।

संबंधो में सुधरर की मांग लंबे समय से अतिदेय है और बेहतर रिश्ते के लिए परिवर्तन समय के साथ होना चाहिए। काठमांडू भारतीय दखल के बारे में षडयंत्र सिद्धांतों के प्रति अतिसंवेदनशील रहा है, जबकि नई दिल्ली और इसके नेपाल दूतावास में राजनयिक कभी-कभी एक संरक्षणवादी रवैया अपनाते हुए नेपाल को भरोसा दिलाने की कोशिश करते रहे हैं।

बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए पहला कदम 1950 की भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि को अपडेट करने की निरंतर प्रक्रिया द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

नेपाल यह जानता है कि संधि के अनुसार उसके नागरिकों को भारत में रोजगार और निवास के सन्दर्भ में आसानी से लाभ मिला है। लेकिन भारत को यह समझना चाहिए कि अन्य सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के जैसे ही नेपाल की महत्वाकांक्षी युवा जनसंख्या अवसरों के लिए खुली भारतीय सीमा से भी परे देख रही है।

इंडियन एक्सप्रेस
(गुड नेबर्स)

''सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के निर्माण की सहमति देते हुए भारत और नेपाल रिश्तों को पुन: बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।''

नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. ओली की भारत यात्रा को दोनों पक्षों द्वारा रिश्तों को पुन: बेहतर बनाने में मिली 'सफलता' के रूप में स्वागत किया गया है। जहाँ एक तरफ ओली, जिसे भारत में 'चीन समर्थक' के रूप में देखा जाता है तो दूसरी तरफ उनके मेजबान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के माध्यम से दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास किया है।

275 सदस्यीय संसद के दो-तिहाई संसद के समर्थन के साथ जीतने वाला नेपाली प्रधानमंत्री हालिया दिनों में अपने देश का नेतृत्व करने वाला सबसे शक्तिशाली राजनेता है। राष्ट्रवादी मंच पर उनका उदय प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक शैली के समान मालूम पड़ता है और इन्होने नए निर्वाचित नेपाल नेताओं की परंपरा को कायम रखते हुए भारत की पहली यात्रा भी की।

नेपाल में चीनी पदचिह्न के बारे में चिंतित होने के बावजूद भारत ने दिखाया कि वह दोनों देशों के बेहतर संबंध के लिए तैयार है।

दरअसल, यात्रा से आने वाले मुख्य परिणामों में से एक भारत की चीन की चिंता थी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि चीन की तिब्बत से नेपाल में अपनी रेलवे विस्तार करने की रिपोर्ट की प्रतिक्रिया के जवाब में भारत सीमावर्ती शहर रक्सौल और काठमांडू के बीच एक विद्युतीय रेल लिंक का निर्माण करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना को बड़े पैमाने पर एवरेस्ट को सागर से जोड़ने की योजना के रूप में वर्णित किया है।

भारत के अन्य देशों में परियोजनाओं के पूरा होने के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, इस परियोजना को ट्रैक पर लाने और इसे बिना किसी देरी के पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि यह नेपाल में लोगों को उपलब्ध कराया जा सके, जिससे हजारों लोग जो इस देश में कार्यरत हैं, यहां अध्ययन करें या व्यापार या धार्मिक पर्यटन के लिए नियमित रूप से यात्रा करें।

परिवहन के लिए नेपाल अंतर्देशीय जलमार्ग की कनेक्टिविटी प्रदान करना एक और महत्वाकांक्षी परियोजना है। दोनों पक्षों ने कृषि में एक नए क्षेत्र के सहयोग का खुलासा किया है। ओली ने यह भी कहा है कि भारत को महाकाली नदी पर पंचेश्वर बांध जैसी अधूरी परियोजनाएं पूरी करने और तराई से सड़क के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता बनाए रखने की जरूरत को पूरा करने की आवश्यकता है।

GS World Committed To Excellence

इस समय केवल नई पहल की घोषणा द्वारा साझेदारी की सफलता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे सुनिश्चित करने के लिए सड़क और रेलवे लिंक, बिजली परियोजनाएं और भूकंप के बाद पुनर्निर्माण की प्रतिबद्धता को स्थापित करना होगा।

भारत ने नेपाल के मैदानी इलाके के मधेसी आबादी के लिए संविधान के प्रावधानों को बढ़ाने के सन्दर्भ में अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन इस मुद्दे को सावधानी से और राजनयिक रूप से अंजाम दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध अभी भी नाजुक स्थिति में है और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या दिखावटीपन इसे और नाजुक बना देगा।

* * *

संयुक्त वक्तव्य ने दोनों प्रधानमंत्रियों के संकल्प को 'समानता, आपसी विश्वास, सम्मान और लाभ' के आधार पर नए ऊंचाइयों पर द्विपक्षीय संबंधों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया है। यह दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को भी दर्शाता है।

प्रधानमंत्री मोदी का सुशासन मंत्र अर्थात सबका साथ सबका विकास को पड़ोसी देशों के साथ भारतीय भागीदारी के लिए एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में उल्लेखित किया गया है। इस तरह का दावा संयुक्त वक्तव्य के लिए अच्छा है। लेकिन, इसके बावजूद दोनों देशों को एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए एक दूसरे के साथ गहरी समझ के साथ कार्य करना होगा।

* * *

GS World टीम...

भारत-नेपाल मैत्री संधि

- अनेक कूटनीतिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप 1950 में भारत और नेपाल के मध्य मैत्री संधि हुई।

संधि के प्रावधान

- दोनों देशों ने एक-दूसरे की सुरक्षा की गारंटी ली।
- एक-दूसरे के विरूद्ध विदेशी आक्रमण को सहन नहीं करेंगे।
- नेपाल अपनी युद्ध सामग्री भारत से खरीदेगा।
- यदि नेपाल युद्ध सामग्री किसी अन्य देश से खरीदता है तो वह भारत से होकर जायेगी।
- अन्य देश के कारण उत्पन्न समस्या पर एक-दूसरे से विचार करेंगे।

मधेशी समस्या

मधेशी का अभिप्राय

- नेपाल में पहाड़ी और तराई क्षेत्रों के मध्य क्षेत्र को ही मधेशी क्षेत्र कहा गया, जो नेपाल के पहाड़ी और मैदानी भाग के बीच का भाग है। इस मधेशी क्षेत्र में नेपाल के 22 जिले सम्मिलित है, जिनके जनपद की सीमा भारत की सीमा के साथ मिलती है।
- मधेशियों में भारतीय मूल के मधेशी हैं और नेपाली मधेशी भी है। नेपाल की जनसंख्या का लगभग 40% से ज्यादा हिस्सा इस भाग में निवास करता है। नेपाल के कृषि उत्पादन का 65% तथा नेपाल के कुल राजस्व का 70% भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है।
- मधेशी, मैथिली, भोजपुरी एवं हिन्दी भाषा बोलते हैं। इसलिए इनके सांस्कृतिक और वैवाहिक संबंध भारतीयों से हैं।

मधेशियों के साथ नेपाल में भेदभाव

- मधेशियों के साथ अनेक प्रकार के भेदभाव हुए। उदाहरण के लिए, वर्ष-1964 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार मधेशियों को नागरिकता के सर्टिफिकेट से वंचित कर दिया गया, जिससे उन्हें नेपाल में भूमि खरीदने के अधिकार से भी वंचित होना पड़ा।
- मधेशियों के अनुसार, मधेशी क्षेत्र का विकास नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र की तुलना में अत्यधिक कम हुआ है।
- मधेशी ये भी मानते हैं, कि भारत का दृष्टिकोण सदैव काठमांडू केन्द्रित होता है और भारत भी मधेशियों के हितों की उपेक्षा करता है।

नेपाल सरकार का मधेशियों के बारे में दृष्टिकोण

- नेपाल सरकार मधेशियों को भारत समर्थक मानती है।
- माओवादियों और मधेशियों के बीच भी हिंसक संघर्ष हो चुके हैं।
- माओवादियों ने आरोप लगाया कि मधेशियों को भारत उकसाता है।

नेपाल और चीन की नजदीकी से भारत का नुकसान

- नेपाल अपना 60% आयात भारत के जरिये पूरा करता है। चीन के साथ समझौते से भारतीय बंदरगाहों पर नेपाल की निर्भरता खत्म हो जाएगी।
- हिमालय जो कि नेपाल और चीन के संपर्क में एक बाधक बना था, अब दोनों देशों को जोड़ने वाला बन गया है।
- ट्रांजिट एंड ट्रेड समझौता दक्षिण एशिया में नए समीकरण का सूत्रपात करेगा। चीन का नेपाल में प्रवेश भारत को घेरने की उसकी योजना का हिस्सा है।
- चीन द्वारा नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की योजना भारतीय सीमाओं तक चीनी सैनिकों की पहुंच सुनिश्चित करेगी।
- नेपाल-चीन के बीच रेल संपर्क की बहाली सिलिगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा बढ़ाएगी। यही एक मात्र कॉरिडोर है जो पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ता है।
- नेपाल में चीन की मौजूदगी का अर्थ है कि भारत के अलगाववादियों और माओवादियों तक उसकी पहुंच बढ़ जाएगी।
- साथ ही भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा संबंधी दूसरी समस्याएं पैदा होंगी।

* * *

संभावित प्रश्न

''किसी भी देश की राजनीतिक अस्थिरता उसके पड़ोसी देशों को प्रभावित करती है।'' इस कथन के संदर्भ में वर्तमान में भारत-चीन के मध्य उभरे तनाव को मद्देनजर रखते हुए भारत-नेपाल संबंधों पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिये।

(250 शब्द)

"The political instability of any country affects its neighboring countries." In the context of this statement, make a critical comment on India-Nepal relations in present time, in view of the tensions arising between India and China.

(250 words)

GS World Committed to Excellence

ए रजिस्टर बाइ द पीपल

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।।। (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

11 अप्रैल, 2018

द हिन्दू

लेखक- नेहा सिन्हा (वन्यजीव संरक्षणवादी)

''मसौदा वन नीति, 2018 वनों पर व्याप्त समस्या की पहचान तो करता है, लेकिन सार्वजनिक भागीदारी के लिए एक बेहतर प्रणाली प्रदान नहीं करता है।''

भारत के वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। लगभग इसी समय जब इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, तब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मसौदा वन नीति, 2018 जारी किया, जिसमें वनों को बढ़ाना, वन प्रबंधन में समुदायों को शामिल करना और औद्योगिक उपयोग के लिए वृक्षारोपण को शामिल किया गया है। ऐसी नीति तैयार करने से पहले, एक सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी है कि वास्तव में भारत में कितना वन क्षेत्र मौजूद है?

बढ़ते और जंगलों को खोने

वन रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2015 में 2017 में भारत में वन कवर 0.21% बढ़ा था और कुछ क्षेत्रों में इस अवधि में 'बहुत घने वन' मौजूद थे। साथ ही मंत्रालय ने भी यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2014 से 2017 के बीच, भारत ने 1,419 विकास परियोजनाओं के लिए 36,575 हेक्टेयर जंगल क्षेत्र को खो दिया या कानूनी तौर पर दे दिया गया। इसलिए, दो चीजें अब स्पष्ट हो चुकी हैं कि भले ही वन आवरण को बढ़ाया जा रहा हो, लेकिन साथ ही साथ हम इससे और नए वनों को भी खो रहे हैं।

इसलिए, अब जब नए वनों के सन्दर्भ में दावा पेश किया जा रहा है तो सवाल उठना लाज़मी है। कई लगातार वन रिपोर्टों में, वास्तविक सच्चाई की अनुपस्थिति का मतलब यह है कि ऐसे इलाके जो हरे रंग के लगते हैं, जैसे कि चाय बगान और वाणिज्यिक वृक्षारोपण, को जंगलों के रूप में गिना जाता है। पर्यावरणविदों का कहना है कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि पिछले दो वर्षों में भारतीय वनों का आवरण अधिक घना हो गया है, क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है।

अब मुद्दा यह है कि हमारे वास्तविक वन आकृति और प्राकृतिक संपदा की गणना करने के लिए तंत्र बनाने की आवश्यकता है और यह वन नीति के आधार पर बनाया जाना चाहिए। इसके लिए, हमें अन्य मौजूदा पर्यावरण कानून और नीति के साथ वन नीति का अधिक कठोर एकीकरण करने की आवश्यकता है। जिससे बदले में, वनों के बारे में जानकारी विकेंद्रीकृत करने में हमें मदद मिलेगी।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002, प्रत्येक स्थानीय निकाय में जैव विविधता प्रबंधन समिति स्थापित करने की मांग करता है। जिसके बाद यह समिति पीपुल्स जैव विविधता रजिस्टर (पीआरबी) तैयार करेगी, जनजातियों के सदस्यों के साथ या प्राकृतिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वन के रूप में कानूनी रूप से वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

रजिस्टरों में क्षेत्रों के जैव विविधता का एक पूरा प्रलेखन होगा अर्थात पौधों, खाद्य स्रोतों, वन्यजीव, औषधीय स्रोत, आदि। ये संरक्षण के लिए स्थानीय जैव विविधता निधि बनाने और निर्णय लेने में सहायता करने के लिए होंगे।

एक बेहतर पीबीआर सिर्फ एक शक्तिशाली पाठ नहीं होगा, यह ये भी पता लगाने में भी मदद कर सकता है कि निवास स्थान कैसे बदल रहे हैं और हमारे जंगलों के कुछ हिस्सों को समझने और अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं।

सम्पूर्ण जांच होने के नाते, यह सांस्कृतिक और प्राकृतिक जैव विविधता के अतिव्यापी को समझने का भी एक साधन है। कई स्थानिक पक्षियों वाले क्षेत्र, जैसे पश्चिमी घाट, ऐसे हैं जहाँ टोडस जैसे आदिवासी निवास करते हैं।

इन समुदायों के पास पर्यावरण के साथ घुलने-मिलने के विशिष्ट तरीके होते हैं और ये एक स्थायी तरीके से इसे संरक्षित करने में मदद कर सकते हैं। बाहर से संरक्षित वन क्षेत्र जो तत्काल खतरे में हैं, उसमें पीबीआर संरक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करते हुए हमारी मदद कर सकते हैं।

कुशल प्राकृतिक क्षेत्र की निगरानी की व्यवस्था स्थापित करने का एक सुनहरा मौका खो जाएगा यदि पीबीआर और जैव विविधता प्रबंधन समितियां मसौदा वन नीति के केंद्र में एकीकृत नहीं होते है, तब।

नीति को परंपरागत और आधुनिकीकरण के इस मायावी मिश्रण को प्राप्त करने के लिए मौजूदा कानून से आगे ले जाना चाहिए और साथ ही जमीनी स्तर पर सच्चाई के साथ डिजीटल मानचित्र भी तैयार करना चाहिए।

विकेन्द्रीकरण

परंपरागत रूप से, भारत में वनों का दृश्य एक प्राकृतिक संसाधन है जो प्रबंधन और प्रभावी व्यावसायिक उपयोग की आवश्यकता है। यह एक बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत, सरकार द्वारा संचालित अभ्यास है। वनों को वन विभागों द्वारा प्रबंधित किया जाता है और उनके आकलन और सीमा की गणना सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाती है।

जबकि मसौदा वन नीति जंगलों को बढ़ाने के बारे में बात करती है, जिसमें वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से, लेकिन यह उन लोगों को शामिल करने के लिए कोई तंत्र का निर्माण नहीं करती है जो जंगलों के आसपास रहते हैं।

यह मसौदा वनों पर व्याप्त खतरे की पहचान तो करता है, लेकिन साथ ही यह समुदायों की भागीदारी के लिए कोई सिस्टम प्रदान नहीं करता है। इसके अनुसार: 'अतिक्रमण के कारण वनों पर विभिन्न खतरा, अवैध वृक्ष, जंगल की आग, खरपतवार आदि, को अनुमोदित कार्य योजना / प्रबंधन योजना के ढांचे के भीतर तथा वन प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए संबोधित किया जाएगा।' इसके अलवा, एक प्रमुख चिंता यह भी है कि मौजूदा वनों का उपयोग औद्योगिक उपयोग के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन वनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

वन संपदा के विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक कदम, जो व्यापार से परे हो और सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाये हुए हो, पारदर्शिता प्रदान करेगा और साथ ही साथ यह हमारी विरासत को एक वास्तविक रूप प्रदान करेगा।

* * *

मसौदा वन नीति, 2018 के प्रमुख दिशा-निर्देश

- प्राकृतिक वनों के परिरक्षण और संरक्षण के माध्यम से पर्यावरण स्थिरता और जैव विविधता के संरक्षण का रख-रखाव।
- वनों की प्राकृतिक रूपरेखा से समझौता किये बिना इनके क्षरण को रोकना।
- पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं द्वारा लोगों की आजीविका में सुधार करना।
- वानिकी से संबंधित राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों (एनडीसी) की प्राप्ति में योगदान देना।
- नदियों के जलभराव क्षेत्रों और आर्द्रभूमि क्षेत्रों में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन तकनीकों और कार्यों द्वारा अनाच्छादन तथा मृदा अपरदन को रोकना।
- भूमिगत जल-भंडारों के पुन: भरण और सतही जल के विनियमन से जलापूर्ति बढ़ाना ताकि वनों की मृदा और वनस्पति की सेहत अच्छी बनी रहे।
- सरंक्षित क्षेत्रों और अन्य वन्यजीवन समृद्ध क्षेत्रों का जैव-विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र समृद्धिकरण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ प्रबंधन करना।
- शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में निवासियों की बेहतरी के लिये हरित क्षेत्रों का प्रबंधन और विस्तार करना।

मसौदा नीति की खामियाँ

- नई मसौदा नीति के प्रावधान काफी अस्पष्ट हैं। इस नीति में उत्पादन वानिकी की मुख्य बल क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है।
- वन विकास निगमों को एक इस हेतु संस्थागत वाहन बनाया गया है। किंतु, एक नए नव उदारवादी मोड़ के तहत ये संस्थागत वाहन सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा वन भूमियों पर कॉर्पोरेट निवेश लाने का प्रयास करेंगे जो यहाँ बाजारीकरण हेतु संसाधनों के अनुचित दोहन को बढ़ावा दे सकता है।
- पूर्व में, उत्पादन वानिकी ने हिमालय में प्राकृतिक ओक वनों को पाइन मोनोकल्चर से , मध्य भारत में प्राकृतिक साल वनों को सागौन पौधों से और पश्चिमी घाटों में आर्द्र सदाबहार वनों को यूकेलिप्टस और एकेसिया से प्रतिस्थापित कर दिया। इस सब ने विविधता को नष्ट कर दिया है, जलधाराओं को सुखा दिया और स्थानीय आजीविका को दुर्बल बना दिया। सार्वजनिक-निजी भागीदारी इस तरह के विनाश को और बढ़ावा दे सकती है और वनों से उत्पन्न लाभांश को कॉर्पोरेट जगत के हाथों में संकेंद्रित कर सकती है।
- यदि स्थानीय समुदायों को वन शासन में भागीदारी का मौका दिया जाए तो वे इस उत्पादन वानिकी मॉडल को चुनौती देंगे। अत: मसौदा नीति में विकेंद्रीकृत शासन के बारे में बहुत कम जिक्र किया गया है और 'सामुदायिक भागीदारी' शब्द का बेहद हल्के रूप में प्रयोग किया गया है।

'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017'

- हाल ही में केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन ने 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017' जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में है।
- वनों पर मानवीय आबादी और मवेशियों की संख्या के बढ़ते दवाब के बावजूद भारत अपनी वन संपदा को संरक्षित रखने और उसे बढ़ाने में सफल रहा है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह इस श्रेणी की 15वीं रिपोर्ट है।
- इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिये भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट-2 से प्राप्त आँकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में सटीकता लाने के लिये आँकड़ों की जाँच हेतु वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है।
- रिपोर्ट में दी गई जानकारी देश की वन संपदा की निगरानी और उसके संरक्षण के लिये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित प्रबंधन व्यवस्था और नीतियां तय करने में काफी सहायक है।
- संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के उन 10 देशों में 8वाँ स्थान दिया गया है, जहाँ वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट में सबसे उत्साहजनक संकेत घने वनों का बढ़ना है। रिपोर्ट में वनों को घनत्व के आधार पर तीन वर्गों-बहुत घने जंगल, मध्यम घने जंगल और खुले जंगल में बाँटा गया है।
- घने वन क्षेत्र वायुमंडल से सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड सोखने का काम करते हैं। घने वनों का क्षेत्र बढ़ने से खुले वनों का क्षेत्र भी बढ़ा है।
- रिपोर्ट के ताजा आकलन के अनुसार देश के 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का 33% भू-भाग वनों से घिरा है। जबकि त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरल, उत्तराखण्ड, दादरा नगर हवेली, छत्तीसगढ़ और असम का 33 से 75% के बीच का भू-भाग वनों से घिरा है। देश का 40% वनाच्छादित क्षेत्र 10 हजार वर्ग किमी. या इससे अधिक के 9 बड़े क्षेत्रों के रूप में मौजूद है।
- इनमें से 7 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों जैसे- मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नगालैंड, मेघालय और मणिपुर का 75% से अधिक भूभाग वनाच्छादित है।
- देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र 4921 वर्ग किमी. है, जिसमें वर्ष 2015 के आकलन की तुलना में कुल 181 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।
- मैंग्रोव वनस्पति वाले सभी 12 राज्यों में पिछले आकलन की तुलना में सकारात्मक बदलाव देखा गया है। मैंग्रोव वनस्पति जैव विविधता में समृद्ध होती है जो कई तरह की पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं को पूरा करती है।
- रिपोर्ट के अनुसार देश में बाह्य वन एवं वृक्षावरण का कुल स्टॉक 582.377 करोड़ घन मीटर अनुमानित है, जिसमें से 421.838 करोड़ घन मीटर क्षेत्र वनों के अंदर है, जबकि 160.3997 करोड़ घन मीटर क्षेत्र वनों के बाहर है।
- पहली बार इस रिपोर्ट में वनों में स्थित जल स्रोतों का 2005 से 2015 की अवधि के आधार पर आकलन किया गया है। इसके अनुसार इन जल निकायों के क्षेत्रफल में 2647 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य हैं।
- पिछले आकलन की तुलना में बाह्य एवं वृक्षावरण स्टॉक में 5.399 करोड़ घन मीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें 2.333 करोड़ घन मीटर की वृद्धि वन क्षेत्र के अंदर तथा 3.0657 करोड़ घन मीटर की वृद्धि वन क्षेत्र के बाहर हुई है। इस हिसाब से यह वृद्धि पिछले आकलन की तुलना में 3 करोड़ 80 लाख घन मीटर रही।
- देश में बाँस के अंतर्गत कुल 1.569 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र आकलित किया गया है। वर्ष 2011 के आकलन की तुलना में देश में बाँस वाले कुल क्षेत्र में 17.3 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। बाँस के उत्पादन में वर्ष 2011 के आकलन की तुलना में 1.9 करोड़ टन की वृद्धि दर्ज हुई है।

संभावित प्रश्न

नई मसौदा नीति में वानिकी उत्पादन पर अत्यधिक जोर दिया गया है जो विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे में यदि नई मसौदा नीति में कुछ परिवर्तन या संशोधन आवश्यक हों तो ऐसा करने से हिचकना नहीं चाहिये। इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

The New draft policy emphasizes forestry production which can promote various environmental and social concerns. In such a situation, if there are any changes or amendments in the new draft policy, it should not hesitate to do so. Analyze this statement. (250 words)

क्रिप्टोकरेंसी के पीछे प्रौद्योगिकी मुद्दे

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

12 अप्रैल, 2018

लाइव मिंट

लेखक- राधिका पाण्डे, भव्या शर्मा (सार्वजनिक वित्त और नीति के राष्ट्रीय संस्थान में सलाहकार)

''क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क पर एक समानांतर अर्थव्यवस्था का मुद्दा सरकारों को क्रिप्टोकरेंसी पर कठोर कदम उठाने को मजबूर कर दिया है।''

हालिया प्रयास में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्रिप्टोकरेंसी के डीलरों से निपटने के लिए बैंकों और अन्य नियामक संस्थाओं पर इसके लिए रोक लगा दिया है। जनवरी में एक साइबर लॉ विशेषज्ञ ने कलकत्ता हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए उचित ढांचे की मांग की गई थी। इन घटनाक्रमों ने क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित संभावित जोखिमों को सामने लाया है।

देखा जाये तो शोधकर्ताओं और हितधारकों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी और इसके अंतर्निहित प्रौद्योगिकियों के लाभों की खोज की जा रही हैं, तो यहाँ ये अस्थिरता और हमले की संवेदनशीलता जैसे कई कमियों का निदान ढूंढ कर संभावित लाभों को प्रदान कर सकते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ा जोखिम अपने संभावित लाभों के साथ-साथ, तेजी से स्पष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार तकनीकी मुद्दों की उचित समझ की आवश्यकता को रेखांकित करना काफी आवश्यक हो गया है, जो मजबूत समाधानों के साथ ही संभव है।

बिटकॉइन नेटवर्क पर कुछ व्यापक उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षण अलग-अलग प्रतिभागियों और कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपयोगों को उजागर करता है। इस तरह के एक सर्वेक्षण में, अधिकांश प्रतिभागियों ने सुझाव और दान के लिए बिटकॉइन का उपयोग करते हुए, आभासी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के बाद इसकी सूचना दी थी। ड्रग्स क्रय करने के लिए एक बहुत छोटा अनुपात स्वीकार किया गया।

जोखिम धारणा के सवाल पर, दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को मुख्य रूप से मूल्य में उतार-चढ़ाव पर विचार करना पड़ता है, इसके बाद प्राथमिक जोखिम वाले कारकों के रूप में वॉलेट और मैलवेयर के हमलों में गिरावट होती है। हाल ही की अवधि में सुरक्षा उल्लंघनों के कई उदाहरण और नेटवर्क पर क्रिप्टोकरेंसी की हानि सामने आई है।

गुप्त कुंजी (private key) पर होने वाले नुकसान का कारण व्यक्तियों की समझ में कमी और अपनी वॉलेट, एक्सचेंजों को पासवर्ड-सुरक्षा करने में अक्षमता के कारण हो सकता है, जो कि अन्यथा विकेन्द्रीकृत नेटवर्क में केंद्रीकरण का एक बिंदु है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण एमटी गोक्स हैक (Mt Gox hack) है।

वर्ष 2014 में, सबसे बड़ी बिटकॉइन ट्रेडिंग एक्सचेंज अचानक एक तकनीकी पतन का सामना करना पड़ा, जिसके बाद हजारों उपभोक्ताओं को पता चला कि लगभग 460 मिलियन अमरीकी डॉलर क्रिप्टोकरेंसी को हैकर्स द्वारा मिटा दिया गया था।

जिसके बाद केवल एक छोटे से हिस्से को ही प्राप्त किया जा सका, लेकिन यह घटना एक स्पष्ट उदाहरण था कि सिस्टम में कमजोरियां कितनी अधिक मजबूत हैं और कैसे गलत तंत्र द्वारा वैश्विक बचत के एक बड़े हिस्से को नष्ट किया जा सकता हैं।

यदि हैकर्स की गुप्त कुंजी (private key) का पता लगाया जा सके, तो अधिकारियों द्वारा पैसे वसूल किया जा सकता हैं। लेकिन अगर ट्रेसिंग या उससे लिंक संभव नहीं हो सका, तो निश्चित रूप से हम पैसा खो देंगे।

इस तरह के नुकसान को अवशोषित करने के लिए बीमा का कोई तंत्र भी मौजूद नहीं है, और ऐसे हमलों के विकास के कारण, यह अन्य वित्तीय संस्थानों जैसे कई एक्सचेंजों के लिए भी अनिवार्य हो गया है कि वे साइबर हमलों की ऐसी घटनाओं को टालने के लिए अधिक मजबूत प्रणाली का निर्माण करे।

क्रिप्टोकरेंसी विकास के दर्शकों के बीच विवाद का एक और कारण छद्म-अज्ञातता है और ऐसे चैनल जो कि आपराधिक गतिविधियों का निर्माण करते हैं, जिनमें धन शोधन और नशीले पदार्थों की तस्करी शामिल है। सबसे बड़ा उदाहरण सिल्क रोड स्कैंडल है। अमेरिका में, सिल्क रोड एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केट था जो कि अनाम उपयोगकर्ताओं द्वारा गैरकानूनी दवाओं में लेनदेन करने में मदद करता था।

क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क पर समानांतर अर्थव्यवस्था का मुद्दा भी सरकारों को क्रिप्टोकरेंसी के प्रति कठोर रुख रखने का कारण बना है। ब्लॉक चैन-आधारित तकनीकों के कामकाज के लिए आवश्यक नियमों, संचालन और नेटवर्क नोड्स के बीच संचार को नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर के नियमित प्रोटोकॉल का अपडेट आवश्यक हैं मौजूदा ब्लॉक चैन में कोई भी बदलाव, भले ही यह हमला न हो कर एक आम सहमति के माध्यम से हो, तो यह मौद्रिक और सुरक्षा मुद्दों को बढ़ा सकता है।

यदि लंबे समय तक बिटकॉइन को प्रबंधन के दायरे से बाहर रखा जाता है तो आपराधिक तत्त्वों के साथ-साथ आतंकी गुटों द्वारा भी इसका गलत इस्तेमाल किये जाने का खतरा बना रहेगा। सरकार को यह भी चिंता है कि देश में बिटकॉइन की आड़ में बड़े पैमाने पर ठगी और धोखाधड़ी का कारोबार चल रहा है, जिससे मनीलांड्रिंग का खतरा बढ़ने की आशंका है। ऐसे में इसका प्रबंधन एवं नियमन ठीक उसी तरह से किया जाना चाहिये, जिस तरह पूंजी बाजार में मौजूद पी-नोट्स का सेबी द्वारा किया जाता है।

क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी तकनीकी चुनौतियां कई हैं, लेकिन सभी हितधारकों द्वारा पूरी तरह से समझने से यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे मुद्दों को केवल लगातार अपडेट के माध्यम से ही हल नहीं किया जा सकेगा, बल्कि इसके लिए मजबूत व्यवस्थाएं लागू की जानी चाहिए, जो सामाजिक रूप से अनुकूलतम सकारात्मक निकायों को उत्पन्न करने की अनुमति दे सकती हो।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी क्या है?

- ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो एक सुरक्षित एवं आसानी से सुलभ नेटवर्क पर लेन -देनों का एक विकेंद्रीकृत डाटाबेस तैयार करती है। लेन-देन के इस साझा रिकॉर्ड को नेटवर्क पर स्थित कोई भी व्यक्ति देख सकता है।
- वास्तव में ब्लॉकचेन डाटा ब्लॉकों की एक श्रृंखला होती है तथा प्रत्येक ब्लॉक में लेन-देन का एक समूह समाविष्ट होता है। ये ब्लॉक एक-दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होते हैं तथा इन्हें कूट-लेखन के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- इस तकनीक की एक प्रमुख विशेषता इसका विकेंद्रीकृत होना है जिसका अर्थ यह है कि लेन-देनों को पूरा करने के लिये इसमें किसी विश्वसनीय मध्यस्थ (जैसे- बैंक) की आवश्यकता नहीं होती।
- ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम एवं सबसे बड़ा उदाहरण बिटकॉइन नेटवर्क है।
- यह तकनीक सुरक्षित है। इसे हैक करना मुश्किल है। साइबर अपराध और हैकिंग को रोकने के लिये यह तकनीक सुरक्षित मानी जा रही है।
- भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पायलट परियोजना के तौर पर इसकी शुरुआत की गई है। इसका इस्तेमाल आँकड़ों के सुरक्षित भंडार के रूप में किया जा सकता है।
- मास्टरकार्ड इसी तरह के एक नेटवर्क पर काम कर रहा है, जो वैश्विक स्तर पर वितरित वित्तीय नेटवर्क की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के लाभों को शामिल कर सकता है।

इसे कौन विनियमित करेगा?

- भारत में एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति इसे विनियमित करने के लिये विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है।
- इसे बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के भुगतान विनियामक बोर्ड के तहत लाने पर विचार किया जा रहा है। इस बोर्ड में केंद्रीय बैंक और केंद्र से प्रत्येक के तीन सदस्य होंगे।
- बिटकॉइन जैसे ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को रैनसमवेयर हमलों का सामना करना पड़ सकता है। अत: इसका विनियमन बड़ी सावधानी से करने की आवश्यकता है।
- **क्या है बिटक्वाइन? :** बिटक्वाइन एक डिजिटल मुद्रा है, जो विनिमय को वैध बनाते हुए विनिमय करने वाले पक्षों की पहचान को उजागर नहीं करती। सरकारी अथवा निजी किसी भी संस्था के पास न तो इसका स्वामित्व है और न ही नियंत्रण है। एक बिटक्वाइन का मूल्य 60 ग्राम सोने के मूल्य के बराबर होता है। हाल ही में इनका बाजार कैप +100 बिलियन को पार कर गया है। एक अप्रैल तक इनका बाजार कैप मात्र +25 बिलियन ही था। इस तरह यह पिछले साठ दिनों में तीन सौ फीसदी बढ़ा है।
- **क्रिप्टोकरेंसी की वैधता के संबंध में वर्तमान स्थिति :** "नॉन-फिएट" क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक समूह, क्रिप्टोकरेंसी को वैधानिक मान्यता देने के मसले पर गंभीरता से विचार कर रहा है। आरबीआई ने संकेत दिया है कि केंद्रीय बैंक को 'फिएट क्रिप्टोकरेंसी' से किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह "नॉन-फिएट" क्रिप्टोकरेंसी जैसे कि बिटक्वॉइन को लेकर खासा चिंतित है।
- **फिएट क्रिप्टोकरेंसी' और 'नॉन-फिएट क्रिप्टोकरेंसी' में अंतर :** नॉन फिएट' क्रिप्टोकरेंसी उदाहरण के लिये बिटक्वॉइन, एक निजी क्रिप्टोकरेंसी है, जबकि 'फिएट क्रिप्टोकरेंसी' एक डिजिटल मुद्रा है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा।
- **भारत में क्रिप्टोकरेंसी की वैधता :** आरबीआई समय-समय पर बिटक्वॉइन के संभावित खतरों के प्रति आगाह करता आया है। हालाँकि, असली तस्वीर तब सामने आएगी जब आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करेगी, जिसे भौतिक मुद्रा के तौर पर संचित करने के बजाय साइबर स्पेस में रखा जा सकता है। जहाँ तक 'नॉन फिएट' क्रिप्टोकरेंसी का सवाल है तो आरबीआई इसे लेकर सहज नहीं है। गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अभी तक अपनी किसी योजना का खुलासा नहीं किया है।
- **भारत में बिटकॉइन की खरीद की प्रक्रिया :** वर्तमान में चार बिटकॉइन एक्सचेंज प्रभाव में है- जेबपे (zebpay), यूनोकॉइन (unocoin), BTCX इंडिया तथा कॉइनसिक्योर (coinsecure)। इन चार एक्सचेंजों में ही उद्यम पूंजी (venture capital) तथा निजी शेयर पूंजी (private equity capital) का धन के रूप में निवेश किया जा रहा है।
- **बिटकॉइन की पूर्ति का स्रोत :** भारत में अधिकतर बिटकॉइन मुद्रा का प्रसार चीन से होता है, जिसका प्रसार क्षेत्र बहुत बड़ा होने के साथ-साथ प्रभावी भी है। कुछ समय पहले यूनोकॉइन एक्सचेंज ने प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत भेजी जाने वाली धनराशि (remittances) को बिटकॉइन के रूप में भेजने के लिये नई व्यवस्था भी प्रदान की है।
- **बिटकॉइन का संग्रहण :** देश के सभी एक्सचेंज बिटकॉइन खरीदारों द्वारा अपनी मुद्रा को संचित करने के लिये बिटकॉइन वॉलेट्स (wallets) की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में देश में दो तरह की संग्रहण व्यवस्था कार्यरत है- ऑनलाइन संग्रहण के रूप में एवं वास्तविक संग्रहण के रूप में। ध्यातव्य है कि ये दोनों ही व्यवस्थाएँ निःशुल्क उपलब्ध हैं।
- **बिटकॉइन मुद्रा के विषय में भारतीय परिदृश्य :** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि बिटकॉइन एक करेंसी अथवा मुद्रा नहीं है। हालाँकि, कुछ निजी शेयर कंपनियाँ बिटकॉइन के लेनदेन, व्यापार इत्यादि में निवेश कर रही हैं।
- **जोखिम एवं नियम :** बिटकॉइन के विषय में सबसे बड़ी समस्या इसका ऑनलाइन होना हैं, क्योंकि सम्पूर्ण व्यवस्था ऑनलाइन होने के कारण इसकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। दरअसल, इसके चलते इसके हैक होने का खतरा बना रहता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या इसके नियंत्रण एवं प्रबन्धन की है। भारत जैसे कई देशों ने अभी तक इसे मुद्रा के रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं की हैं, ऐसे में इसका प्रबन्धन एक बड़ी समस्या है। विशेषज्ञों के अनुसार, इंटरनेट के आविष्कार के बाद तकनीकी रूप से यह 21वीं सदी की दूसरी सबसे बड़ी क्रांतिकारी खोज है। हालाँकि, बहुत से आर्थिक विशेषज्ञों ने इससे दूरी बनाए रखने यानी बिटकॉइन के अंतर्गत निवेश न करने की सलाह भी दी है।

संभावित प्रश्न

क्रिप्टोकरेंसी से आप क्या समझते हैं? भारतीय सन्दर्भ में इसके विकास के लिये उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करते हुए इसके लाभ और हानियों को बताएँ। (250 शब्द)

What do you mean by crypto currency? Describe its advantages and disadvantages while considering the factors responsible for its development in the Indian context. (250 Words)

GS World Committed to Excellence

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

13 अप्रैल, 2018

इंडियन एक्सप्रेस

''रोस्टर के मास्टर के रूप में सीजेआई मिश्रा की स्थिति रेखांकित होती है। अब इन्हें न्यायिक आजादी और खतरों के मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए।''

जनवरी में, एक नाटकीय और अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे अधिक वरिष्ठ न्यायाधीशों ने अपने कामकाज के बारे में अपनी गंभीर चिंताओं को सार्वजनिक किया था। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश, विशेषकर बैंच के गठन और मामलों के आवंटन के संचालन के बारे में सवाल उठाए।

चारों न्यायाधीशों ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश समकक्ष न्यायाधीशों में सिर्फ पहला स्थान भर रखते हैं। चारों न्यायाधीशों ने कहा कि रॉस्टर निर्धारण के मामले में प्रधान न्यायाधीश के लिए एक सुव्यवस्थित और स्पष्ट दिशानिर्देश है, जिसके अनुसार पीठ की क्षमता के आधार पर ही किसी विशेष मामले को उसे सौंपा जाता है।

बुधवार को सीजेआई की अगुवाई वाली एक सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यह नोटिस किया कि सीजेआई आवंटन में सबसे पहले के साथ मामलों को आवंटित करने और बेंच का गठन करने के लिए अनन्य विशेषाधिकार के साथ होता है और सीजीआई की संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के बारे में अविश्वास की प्रकल्पना नहीं की जा सकती है।

हालांकि कानूनी बिरादरी में सवाल उठाए गए हैं कि क्या सीजेआई को अपने कार्यालय की शक्तियों से जुड़े मामले को सुनना चाहिए था या नहीं, बुधवार का फैसला अपने कार्यालय को 'अधिकार का सौंपना' के मुद्दे को स्पष्ट करता है, जो न सिर्फ 'अदालत के प्रशासनिक और न्यायिक कार्य के कुशल लेनदेन' के लिए है, बल्कि यह 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र सुरक्षा के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति को सुरक्षित करने के उद्देश्य' के लिए भी है।

अब, सीजेआई दीपक मिश्रा, जो रोस्टर के मालिक के रूप में अपनी स्थिति के रूप में अग्रसर हैं, को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है जो संस्थानों के रूप में न्यायालय की स्थिति और स्वतंत्रता से संबंधित है। उन्हें जस्टिस कुरियन जोसेफ द्वारा लिखित एक पत्र द्वारा चिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना होगा, जिसे न्यायिक नियुक्तियों की वैधता और प्रक्रिया के साथ करना होगा।

कॉलेजियम के एक सदस्य न्यायमूर्ति जोसेफ ने न्यायाधीश की तरफ बढ़ने और सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता को पदोन्नत करने के लिए सरकार को अभूतपूर्व कार्रवाई की ओर इशारा किया है। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय की 'स्वतंत्रता और अस्तित्व' को खतरे में डालता है।

कॉलेजियम प्रणाली विश्व के किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि जवाबदेही तय नहीं हो और जज ही जज की नियुक्ति करें। लेकिन, सरकार न्यायिक प्रणाली में सुधार के नाम पर अदालत की स्वतंत्रता को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकती है।

कथित तौर पर, केंद्र सरकार दो उम्मीदवारों के नाम पर विराजमान है, न्यायमूर्ति के.एम. यूसुफ, जिन्होंने अप्रैल, 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के मामले में केंद्र के खिलाफ शासन किया था। लेकिन यह सिर्फ न्यायमूर्ति के.एम.यूसुफ की नियुक्ति नहीं है, जिसने अनुचित कार्यकारी हस्तक्षेप के आरोपों को आमंत्रित किया है। देखा जाए तो, पिछले महीने जस्टिस चेलमेश्वर, जो कॉलेजियम के एक सदस्य भी है, इन्होने उच्च न्यायालय में पदोन्नति का नाम दोहराते हुए कॉलेजियम के बावजूद, कर्नाटक हाईकोर्ट में सीधे कानून मंत्रालय के संदिग्ध प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के मुद्दे पर सीजेआई को पत्र लिखा था।

सरकार के इस रवैये को लेकर ही जस्टिस कुरियन ने सीजेआई को पत्र में कहा है कि 'इस कोर्ट के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि तीन महीने बाद भी कुछ नहीं पता कि उसकी सिफारिश का क्या हुआ।' उन्होंने सीजेआई से अपील की कि वे इस मामले में अदालत द्वारा स्वयं संज्ञान लेने के लिए सात सबसे वरिष्ठ जजों की बेंच का गठन करें। चिट्ठी में जस्टिस कुरियन ने कहा है कि कॉलेजियम अपनी सिफारिशों पर नियुक्तियां नहीं करवा पा रहा। इससे सुप्रीम कोर्ट का सम्मान और गरिमा हर रोज गिर रहे हैं।

न्यायिक अधिकारी पी कृष्ण भट की स्थगित नियुक्ति, जिनपर एक महिला न्यायिक अधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और अदालत की जांच से यह सिद्ध भी हो गया था, ने भी इस विवाद को और बड़ा बना दिया था और साथ ही केंद्रीय कानून मंत्रालय, सीजेआई मिश्रा, कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश एचसी दिनेश महेश्वरी और न्यायमूर्ति चेलेश्वर के बीच पत्रों का एक आदान-प्रदान ने इस मुद्दे को और भड़का दिया।

ये मामलें, चाहे वह सरकार द्वारा एक न्यायाधीश के पदोन्नति को रोकने का हो, जो राजनीतिक रूप से एक गलत फैसला था या चाहे वह सरकार द्वारा अदालत द्वारा किए गये नियुक्ति को अवरुद्ध करना हो, वर्तमान राजनीतिक क्षण में हलचल ला दिया है।

चिंताओं का एक आधार है कि एक निर्णायक जनादेश के साथ सशस्त्र राजनीतिक कार्यकारिणी के चेहरे में संस्थाएं अधिक असुरक्षित दिखती हैं। यह सीजेआई मिश्रा पर है कि वह अपनी संस्था की स्वतंत्रता को बनाए रखने की जिम्मेदारी और चुनौती को आगे बढ़ाने और स्वयं को नियंत्रित करने और आत्म-विनियमन करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग कैसे करते हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

- भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि न्यायपालिका की सलाह से कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी। इस संबंध में अनुच्छेद 124 और 217 प्रासंगिक प्रावधान हैं।
- अनुच्छेद 124 में उल्लिखित है कि उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, परंतु मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के प्रधान न्यायाधीश से सदैव परामर्श किया जायेगा।
- अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि श्भारत के प्रधान न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित। अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा।

कॉलेजियम व्यवस्था?

- देश की अदालतों में जजों की नियुक्ति की प्रणाली को कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है।
- कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी वरिष्ठ जजों की समिति जजों के नाम तथा नियुक्ति का फैसला करती है।
- सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। उच्च न्यायालय के कौन से जज पदोन्नत होकर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है।
- उल्लेखनीय है कि कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख न तो मूल संविधान में है और न ही उसके किसी संशोधित प्रावधान में। वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था के अध्यक्ष चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं और जस्टिस जे. चेलामेश्वरम, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी. लोकूर और जस्टिस कुरियन जोसेफ इसके सदस्य हैं।

विवाद?

- दरअसल, कॉलेजियम पाँच लोगों का समूह है और इन पाँच लोगों में शामिल हैं- भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीश। कॉलेजियम के द्वारा जजों के नियुक्ति का प्रावधान संविधान में कहीं नहीं है।
- कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर विवाद इसलिये है क्योंकि यह व्यवस्था नियुक्ति का सूत्रधार और नियुक्तिकर्त्ता दोनों स्वयं ही है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका की भूमिका बिल्कुल नहीं है या है भी तो बस मामूली।

सुधार के प्रयास

- गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले के लिये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बनाया था।

उल्लेखनीय है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले इस आयोग की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश को करनी थी। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश, केन्द्रीय विधि मंत्री और दो जानी-मानी हस्तियाँ भी इस आयोग का हिस्सा थीं।

आयोग में जानी-मानी दो हस्तियों का चयन तीन सदस्यीय समिति को करना था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता विपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल थे।

आयोग से संबंधित एक दिलचस्प बात यह थी कि अगर आयोग के दो सदस्य किसी नियुक्ति पर सहमत नहीं हुए तो आयोग उस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफ़ारिश नहीं करेगा।

कॉलेजियम की समीक्षा का प्रस्ताव

- शीर्ष न्यायपालिका ने वर्ष 1961 में एस.पी. गुप्ता मामले में अपने लिये वरीयता का दावा त्याग दिया था और जजों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण के सिलसिले में होने वाले पत्र व्यवहार को गोपनीय नहीं रखने का आदेश देते हुए कहा था कि पारदर्शिता के बिना भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद मुक्त प्रशासन की कल्पना नहीं की जा सकती।
- इसी प्रकार 31 अगस्त, 2017 को केनरा बैंक बनाम सी.एस. श्याम मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि जब जजों की नियुक्ति, पदस्थापना और स्थानांतरण से संबंधित कारणों और उनके प्रस्तावों के बारे में जाना जा सकता है तो फिर क्लर्कों और अन्य सरकारी अधिकारियों के बारे में सूचना निजी कैसे हो सकती है और इस बारे में कुछ भी सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा सकता?

संभावित प्रश्न

"भारतीय संविधान में न्यायाधीशों को विशेष प्रावधान प्रदान किया गया है ताकि न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे। ऐसे में न्यायाधीशों के बीच आपसी विवाद से न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।" इस कथन का सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बीच चल रहे विवाद के आलोक में विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

"Special provisions have been provided to the judges in the Indian Constitution so that the dignity of the judiciary continues. In this case, mutual dispute between the judges has been questioned on the dignity and independence of the judiciary. "Let's analyze the statement in the light of the controversy between the Supreme Court judges. (250 words)

15वां वित्त आयोग : एक प्रश्न

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

14 अप्रैल, 2018

"द हिन्दू"

"वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों पर बहस को फिर से बदलने की जरूरत है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 वें वित्त आयोग की संदर्भ शर्तों (टर्म ऑफ रेफरेंस) को लेकर कुछ दक्षिणी राज्यों द्वारा लगाये जा रहे आरोपों को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 वें वित्त आयोग की संदर्भ शर्तें कुछ राज्यों अथवा एक खास क्षेत्र को राजकीय आवंटन में नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ऐसे आरोपों का जिक्र करते हुए पीएम ने इसे आधारहीन बताया।

हांलाकि, उन्होंने किसी क्षेत्र का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वे केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व-साझाकरण का निर्धारण करने के लिए आयोग के मापदंडों पर पुनर्विचार की मांग कर रहे दक्षिणी राज्यों द्वारा उठाये जा रहे आवाज के सन्दर्भ में स्पष्ट रूप से जवाब दिया है।

दक्षिणी राज्यों को चिंता है कि वित्त आयोग केवल 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बना रहा है और उसने 1971 के आंकड़ों को पूरी तरह छोड़ दिया है। इसके विपरीत 14वें वित्त आयोग ने केवल थोड़ा परिवर्तन किया था।

उन्होंने 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों का भारांक 25 प्रतिशत से घटा कर 17.5 प्रतिशत कर दिया था और 2011 के जनगणना के आंकड़ों को 10 प्रतिशत भारांक दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि जो राज्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अपेक्षाकृत बेहतर कार्य कर चुके हैं, उन्हें अपने आवंटन और कुल संसाधनों का काफी कम हिस्सा प्राप्त होगा।

हालांकि, चेन्नई में बोलते हुए मोदी ने कहा कि तमिलनाडु जैसे राज्य को वास्तव में आयोग के जनादेश से फायदा होगा, क्योंकि केंद्र ने उनके लिए बेहतर आवंटन पर विचार किया है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा इस विरोध को 'अनावश्यक' कहने के बाद, इस विरोध को प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ा, क्योंकि भाजपा को इस बात का डर था कि कर्नाटक चुनाव से पहले यह विवाद उन्हें नुकसान पहुँचा सकती है।

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने कहा, आय में अंतर, एक अन्य मापदंड है जो कि राज्यों में लोगों की गरीबी को आंकता है, इसका भी उनकी मात्रात्मक जरूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। इन दो मापदंडों के तहत अधिक जनसंख्या वाले और गरीब राज्यों को अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं।

ऐसे राज्यों को अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, जो कि इन गरीब राज्यों के अपने संसाधनों के तहत मुश्किल होता है।

उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग की शर्तों में हालांकि 2011 की जनगणना को संज्ञान में लेने के बारे में कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं दिया गया था, लेकिन उसने 1971 के बाद से जनसांख्यिकीय बदलाव की सही तस्वीर को आंकने के लिये 2011 की जनगणना का ही इस्तेमाल किया ताकि राज्यों की वास्तविक जरूरतों का आकलन किया जा सके। 14वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में से 42 प्रतिशत हिस्सा राज्यों के बीच आवंटित करने की सिफारिश की थी।

हांलाकि, हमें अक्टूबर, 2019 तक इंतजार करना होगा, जब तक वित्त आयोग की अंतिम सिफारिशें राज्यों के वित्त प्रवाह पर वास्तविक प्रभाव का आकलन करने के लिए नहीं आ जाती हैं, लेकिन इस मुद्दे को तैयार करना दक्षिणी बनाम उत्तरी राज्यों की बहस के रूप में रचनात्मक नहीं है।

जैसा कि 14 वें वित्त आयोग ने अपनी गणना में 2011 की जनगणना के लिए 10% महत्व दिया था, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों को इस आवंटन का कोई स्पष्ट लाभ नहीं हुआ।

इसके अलावा, ऐसे अन्य कई राज्य भी हैं जिन्होंने 1971 और 2011 के बीच अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल, गोवा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब भी शामिल हैं, लेकिन, सवाल यह है कि इनके द्वारा इस तरह की मांग क्यों नहीं की जा रही है? क्या इन्हें अपने राज्यों के लिए बेहतर आवंटन की आवश्यकता नहीं है?

इसलिए, इस तथ्य के अनुसार दक्षिण राज्यों द्वारा 2011 की जनगणना को आधार बनाने वाली गलत सिद्ध हो जाती है। अंत में, यह राज्य सरकारों को यह मानने के लिए भ्रामक है कि जनसांख्यिकी में सभी सकारात्मक बदलाव स्वयं के कार्यों या नीतियों का परिणाम हैं।

आयोग के लिए, यह सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण है कि संसाधन उन तक कैसे पहुंचते हैं, जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है और यथार्थ रूप से इससे जरूरतमंद वंचित नहीं रहे, चाहे वे जहां कहीं भी हो।

इसके अलावा, राज्यों का यह कहना कि उनके प्रयासों के कारण जनसंख्या पर लगाम लगी तो यह कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए और भी करक जिम्मेदार होते हैं, जिसमें केंद्र की भी हिस्सेदारी होती है, इसलिए अगर दक्षिण राज्यों या किसी भी राज्यों की जनसंख्या पर लगाम लगा है तो इसमें केवल राज्यों का ही योगदान नहीं होता है।

* * *

क्या है विवाद?

- गौरतलब है कि चौदहवें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफेरेंस में जनसंख्या के आंकड़ों को इस्तेमाल करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। इसके बावजूद राज्यों की जरूरतों का सटीक आंकलन करने के लिए 14 आयोग ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया और उसकी तुलना 1971 की जनगणना के आंकड़ों से की।
- ऐसे में जो नतीजा मिला उसके आधार पर 14 आयोग ने 2011 की जनसंख्या को 10 फीसदी का वेटेज देते हुए राज्यों को केन्द्रीय राजस्व का 42 फीसदी धन आवंटित करने का काम किया। यह पूर्व में राज्यों को आवंटित सबसे अधिक राजस्व था।
- अब 15वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफेरेंस में केन्द्र सरकार ने नया निर्देश दिया है कि राज्यों को राजस्व का आवंटन करने के लिए ऐसे राज्यों का भी संज्ञान लिया जाए जिन्होंने जनसंख्या पर लगाम लगाने में अच्छी पहल की है। सरकार ने ऐसे राज्यों को इस काम के लिए अधिक आवंटन का निर्देश दिया है जिससे बाकी राज्यों को भी जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

वित्त आयोग द्वारा राज्यों में राजस्व का आवंटन

- केन्द्र सरकार अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा राज्यों में बांटता है, जिससे जिन राज्यों के पास न्यूनतम जीवन स्तर बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, वह केन्द्रीय राजस्व से यह काम कर सके। लिहाजा केन्द्र सरकार के राजस्व का यह बंटवारा करने के लिए केन्द्र सरकार हर 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन करती है।
- वित्त आयोग इस बंटवारे के लिए राज्यों की जरूरत का आंकलन करती है और सटीक आंकलन के लिए वह कई कसौटियों का इस्तेमाल करती है। इनमें राज्य की जनसंख्या और राज्य की कमाई दो अहम कसौटियां हैं। जहां जनसंख्या से राज्य की जरूरत निर्धारित की जाती है वहीं राज्य की जीडीपी से राज्य में गरीबी का आंकलन किया जाता है।
- इन दोनों कसौटियों के आधार पर ज्यादा गरीबी और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को ज्यादा से ज्यादा संसाधन देने की कोशिश की जाती है, जिससे वह राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं को अपने नागरिको तक पहुंचा सके।

केंद्रीय वित्त आयोग का गठन

- संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता पड़ने पर एक केंद्रीय वित्त आयोग का गठन देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। संसद विधि द्वारा आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित करेगी। केंद्रीय वित्त आयोग के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं- केंद्र व राज्यों के बीच करों का बँटवारा करना।
- भारत की संचित निधि में से राज्यों हेतु अनुदान के लिये सिफारिश करना।
- केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से जुड़े अन्य किसी मामले की देखरेख।

15वें केंद्रीय वित्त आयोग के समक्ष चुनौतियाँ

- देश के कुछ राज्यों में पर्याप्त मात्रा में निजी निवेश होता है, वहीं कुछ राज्यों में निजी निवेश की कमी है। निजी निवेश के इस असंतुलित वितरण के कारण राज्यों के बीच असमानता बढ़ रही है। नए आयोग को बढ़ती असमानता पर गंभीरता से विचार करना होगा।
- विद्युत-वितरण कंपनियों के आर्थिक पुनरुद्धार के लिये केंद्र द्वारा शुरू की गई "उदय" योजना का भार राज्यों की वित्तीय स्थिति पर पड़ रहा है। आयोग को इस हेतु भी उपाय करने होंगे।
- देश के कई राज्यों के समक्ष आज सूखा, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती है। नए आयोग को आपदा प्रबंधन के लिये राज्यों को समुचित कोष उपलब्ध कराने का प्रयत्न करना होगा।
- समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने और जलवायु-परिवर्तन से निपटने की सरकारी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु एक सुसंगत वित्तीय रणनीति बनाने पर ध्यान देना होगा।
- राज्यों के बीच करों के क्षैतिज वितरण के लिये अब तक लगभग 50 वर्ष पुरानी 1971 की जनगणना के आँकड़ों को आधार बनाया जाता रहा है। आयोग द्वारा अब 2011 की जनगणना के आँकड़ों को आधार रूप में लिया जा सकता है, परंतु दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों को इससे होने वाले नुकसान का ध्यान भी आयोग को रखना होगा।

* * *

संभावित प्रश्न

केंद्रीय वित्त आयोग की संवैधानिक स्थिति व कार्य को स्पष्ट करते हुए 15वें वित्त आयोग के समक्ष आने वाली चुनौतियों और इसके निदान हेतु उपाय सुझाये।

(250 शब्द)

Explaining the constitutional position and function of the Central Finance Commission, the challenges faced by the 15th Finance Commission and ways to diagnose it. (250 Words)

सीरिया में संकट

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

16 अप्रैल, 2018

*''हाल ही में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने शुक्रवार की रात सीरिया में एक के बाद कई मिसाइलें दाग दीं। जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने सीरिया में अमेरिका और उसके सहयोगियों की तरफ से किए गए हमले की आलोचना करते हुए इसे एक आक्रामक कार्रवाई करार दिया और कहा कि इससे सीरिया में मानवीय विपत्ति और बढ़ेगी।'' **इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू'' एवं ''इंडियन एक्सप्रेस''** में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे **"GS World"** टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

द हिन्दू
(सीरिया पर अमेरिकी हमला)

''मिसाइल हमले के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीरिया के संघर्ष को गैर-जिम्मेदार रूप से बढ़ा दिया है।''

सीरिया पर मिसाइल हमले शुरू करने में यदि रासायनिक हथियारों का उपयोग किया जा रहा है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बेहतर कदम उठाया है, लेकिन इसके साथ-साथ इन्होने विनाशकारी, बहु-पक्षीय संघर्ष को भी बढ़ावा दिया है।

यह दूसरी बार है जब ट्रम्प ने सीरिया पर मिसाइल हमले का आदेश दिया है। पिछले साल इडलीब प्रांत में एक रासायनिक हमले के बाद, अमेरिका ने राष्ट्रपति बशर अल असद के हवाई अड्डे पर 59 क्रूज मिसाइलें दागी। इस बार, दमासास के निकट डौमा में एक संदिग्ध रासायनिक हमले के बाद, यू.के. और फ्रांस ने असद के शासन को सजा देने के लिए यू.एस. के साथ हाथ मिला लिया।

शुक्रवार की रात में, 100 से अधिक मिसाइलों को तीन स्थानों पर लक्षित किया गया; इसके साथ, पेंटागन ने कहा, सीरिया के रासायनिक हथियारों के कार्यक्रम को तबाह कर दिया गया है।

इन्होंने कहा कि नागरिकों के खिलाफ रासायनिक एजेंटों का उपयोग नहीं किया जा सकता है और न ही ऐसा करने पर इन्हें दण्डित किये बगैर छोड़ा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और उसके सहयोगी ने काम किया है वह गंभीर प्रश्न उठाता है।

इस बीच, असद का समर्थन कर रहे रूस के राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन ने अमेरिकी हमले को युद्ध का संकेत कहा है। उन्होंने कहा कि इस हमले से सीरिया में लोगों की त्रासदी और बढ़ जाएगी। रूस ने कहा है कि वह इस मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने जा रहा है।

अमेरिका ने रासायनिक हथियारों के निषेध को रोकने के लिए डूमा में इसकी जांच शुरू की। अंतर-सरकारी निगरानी एजेंसी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कार्रवाई के लिए अपेक्षित साक्ष्य के साथ मामले को पेश किया। उनकी खुफिया एजेंसियों से निविष्टियों के आधार पर केवल कार्य करके, अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि जब तक राष्ट्रपति असद अपने ही लोगों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधित रसायनों से हमले करना बंद नहीं कर देते तब तक अमेरिका उन पर आर्थिक, कूटनीतिक और सैनिक दबाव बनाए रखने के लिए तैयार है।

इस हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके औचित्य को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई है। इसके अलावा, ट्रम्प ने सीरिया के गृह युद्ध में अमेरिका को शामिल कर स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है।

क्योंकि, अगर भविष्य में रासायनिक हमला हुआ है, तो उनके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा, अमेरिका को फिर से कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जाएगा, शायद अधिक कठोर रूप से। चिंता की बात यह है कि हर बार सीरिया पर अमेरिकी बम, अमेरिका और रूस के बीच देश में एक सैन्य टकराव की संभावना बढ़ा देता है।

इंडियन एक्सप्रेस
(एक सतत त्रासदी)

संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, ब्रिटेन और फ्रांस ने सप्ताहांत में सीरिया पर मिसाइलों की बारिश कर दी, इस कार्रवाई की वैधता और प्रभावशीलता के बारे में कई सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों के लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पूर्व अनुमोदन के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए बढ़ते पश्चिमी उपेक्षा को दर्शाया गया है।

फैसले के समर्थकों का कहना है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद द्वारा अपने नागरिकों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करना अपमानजनक है। वे कहते हैं कि कठोर दंड, जन विनाश के इन गैरकानूनी हथियारों के उत्पादन और उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है।

हालांकि, आलोचकों ने इस तथ्य को इंगित किया है कि पश्चिमी बम विस्फोटों के कारण एक अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ टीम ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की पुष्टि की थी, जो भी ये तर्क दिए जा रहे हैं, उनका शायद यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बल के उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिक विचारों की बारीकियों को मध्य पूर्व देशों में नहीं लागू किया जाता है।

सामान्य रूप से मध्य पूर्व और विशेष रूप से सीरिया नवीनीकृत महान शक्ति प्रतिद्वंद्विता का शिकार बन गए हैं, जो कई देशों में क्षेत्रीय संघर्ष और आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था के कमजोर होने का कारण बन चुका है। यहाँ केवल पश्चिमी शक्तियां और रूस नहीं है जो इस क्षेत्र में अपने राजनीतिक उद्देश्यों का पीछा करने के लिए सैन्य बल का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि क्षेत्रीय देश जैसे ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और इजराइल सभी सीरिया के क्रूर गृह युद्ध में गहराई से शामिल हैं। सीरिया के पश्चिमी बम विस्फोट की निंदा करते हुए रूसी संकल्प की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्वीकृति गम्भीर अंतरराष्ट्रीय प्रभागों को रेखांकित करती है। केवल चीन और बोलीविया ने रूसी संकल्प का समर्थन किया है।

लेकिन अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने इसके खिलाफ मतदान किया। वर्तमान में कुवैत ही सुरक्षा परिषद में पश्चिम देशों के पक्ष में है।

GS World committed to Excellence

देखा जाये तो सीरिया को बम और मिसाइल से अधिक जरूरत युद्ध का अंत है, जिसने सात सालों में कम से कम 400,000 लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी है।

निश्चित रूप से इस पर कोई विवाद नहीं है कि श्री असद एक ऐसे सैन्य मशीन की अध्यक्षता कर रहे हैं जिसने अपने ही लोगों के खिलाफ क्रूर बल का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सीरिया में वास्तविकता इतनी जटिल है कि शासन का अचानक पतन देश और लाखों लोगों को संकट में डाल देगा।

इसके लिए, संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत अमेरिका और रूस को मिलकर काम करना होगा। इसके अलावा सीरिया में शांति का कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है।

देखा जाये तो जैसे ही यह दावा किया गया कि बमबारी सफल रही है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प संकेत दे रहे हैं कि उन्हें सीरियाई संघर्ष में आकर्षित होने का कोई इरादा नहीं है। वह सीरिया में वर्तमान में 2,000 अमेरिकी सैनिकों को घर ले जाना चाहते हैं।

पश्चिमी बल का उपयोग दस्युस के मुख्य सैन्य समर्थकों, रूस और ईरान के साथ टकराव के बढ़ने से बचने के लिए ध्यान से बनाया गया था। हमले, जो सीरियाई नेतृत्व और इसके सैन्य कमांड को लक्षित करने से बचा था, इस तथ्य को भी रेखांकित करता है कि पश्चिम अब असद को सत्ता से निकालकर या क्षेत्रीय शांति को लागू करने में रूस में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं रखता।

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस द्वारा सीरिया में किए गए मिसाइल हमलों के बाद विश्व मंच दोफाड़ हो गया है। एक तरफ जहां ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, इस्राइल, जर्मनी, तुर्की, जार्डन, इटली, जापान, सऊदी अरब समेत तमाम देश अमरीका के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं काफी आक्रामक तेवर अख्तियार कर चुके रूस के साथ ईरान, चीन हैं। ये सीरिया के राष्ट्रपति बसर अल असद का साथ दे रहे हैं। अमरीका समेत अन्य देशों ने यह हमला सीरिया में हुए रासायनिक हमले के जवाब में किया है।

सीरियाई शहर डूमा पर क्यों हुआ हमला?

- फरवरी माह में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने पूर्वी गूटा में विद्रोही लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें खदेड़ने के मकसद से एक अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान में 1700 नागरिकों के मारे जाने की खबरें आईं।
- मार्च में सेना ने इस इलाके को तीन टुकड़ों में बांट दिया। सबसे बड़ा इलाका डूमा का था, जहाँ 80 हजार से लेकर डेढ लाख लोग रह रहे थे। अन्य दो स्थानों पर रह रहे विद्रोहियों ने अपना इलाका छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन डूमा पर जाएश अल-इस्लाम ने अपना नियंत्रण बरकरार रखा। इसके बाद 6 अप्रैल को सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद इस इलाके में हवाई हमले किए गए।

क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय कानून?

- संयुक्त राष्ट्र संघ देशों को स्वरक्षा के लिए सेना का इस्तेमाल करने की छूट देता है। साथ ही अगर सरकार ही अपने लोगों के खिलाफ हो जाए तो उनकी सुरक्षा के लिए भी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी बल का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इस तरह की किसी भी कार्रवाई की कितनी जरूरत है, यह एक अहम मुद्दा है।
- हालांकि यह व्यवस्था सिर्फ इसलिए है कि हमले के दौरान देश अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें लेकिन सिर्फ राजनैतिक इस्तेमाल के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 1945 से लागू अंतरराष्ट्रीय कानून प्रतिशोध के लिए किसी भी तरह के सैन्य हमले का विरोध करता है।
- 1981 में इजराइल ने इराक के ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला कर दिया था, जिसकी संयुक्त राष्ट्र संघ ने काफी आलोचना की थी। इस पर इजराइल ने यह दलील दी थी कि यहां ऐसे हथियार बन सकते थे जो भविष्य में एक बड़े जनमानस के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। इसके अलावा एक कथित रासायनिक हमले के बदले 1988 में अमरीका द्वारा सूडान पर हमले की भी कड़ी निंदा की गई थी।
- इस मामले में ब्रिटेन, अमरीका और फ्रांस ने यह दलील दी है कि वो सीरिया को यह याद दिलाना चाहते थे कि वो रासायनिक हथियार सम्मेलन के तहत तय किए गए दायित्वों को भूले नहीं। सीरिया साल 2013 में इसका हिस्सा बना था।
- यह रासायनिक हथियारों के निर्माण, उसे रखने और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाता है। 192 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2118 में सीरिया के रासायनिक हथियारों के जखीरे को नष्ट करने की बात कही गई है। जिसका पालन करना सीरिया के लिए अनिवार्य है।

क्या है सीरिया का संकट?

- 2011 में सीरिया में सिविल वॉर हुआ। कुछ मुट्ठीभर बच्चों की गिरफ्तारी से शुरू हुआ ये संघर्ष सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के लिए अब तक का सबसे बड़ा ह्यूमन क्राइसिस बन चुका है। इसके बाद जुलाई 2011 में सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए सीरियन आर्मी के अफसरों के एक ग्रुप ने सेना छोड़ फ्री सीरियन आर्मी का गठन किया।
- दिसंबर 2011 से लेकर 2012 तक जगह-जगह सुसाइड बम ब्लास्ट हुए। इसके बाद अल कायदा के लीडर अयमान अल जवाहिरी ने सीरियाई लोगों से जिहाद के लिए आगे आने की अपील की। बीते दो साल में आईएस ने भी अपने आतंकी भेजने शुरू कर दिए।
- 2015 में रूस ने बशर अल-असद को सपोर्ट कर दिया। असद के लिए सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस (एसडीएफ) को रूस और ईरान सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं, अमेरिका पर आरोप है कि वह असद के खिलाफ विद्रोहियों की मदद कर रहा है।
- प्रेसिडेंट बशर अल-असद के खिलाफ शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों और संघर्ष में अब तक करीब 4 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

संभावित प्रश्न

रसायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध को बनाए रखने के लिए अमेरिका व अन्य राष्ट्रों द्वारा सीरिया पर किये गये हमले की प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हुए इसके वैश्विक प्रभावों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Expalin the relevance of the attack on Syria by America and other nations to maintain the international restrictions on the use of chemical weapons, and discuss its global effects. (250 Words)

GS World Committed to Excellence

क्षेत्रीय पुनर्निर्माण की ओर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

17 अप्रैल, 2018

"द हिन्दू"

लेखक- सुहासिनी हैदर (संपादक)

''चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में भारत को और बेहतर नीति को अपनानी होगी।''

परिवर्तन अक्सर अनपेक्षित होता है और पिछले कुछ महीनों में सरकार की विदेश नीति ने पड़ोसियों के बारे में अपनी सोच में एक अनपेक्षित लेकिन गहरा बदलाव का प्रतिनिधित्व किया है। यह अगले साल आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के पाठ्यक्रम को बदल सकता है।

सुधार

यह स्पष्ट है, जिसे अब चीन के साथ 'रीसेट' कहा जा रहा है। डोकलाम की गतिरोध का शांतिपूर्ण समाधान था और पिछले साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जियामेन में हुई बैठक, तनाव के कम होने के आसार को दर्शाते हैं।

संबंधों को बेहतर बनाने की शुरूआत में, सरकार ने यह ध्यान दिया है कि डोकलाम में चीन की मौजूदगी की रिपोर्ट पर शांति से कार्य किया जाये और किसी भी प्रकार की गलत प्रतिक्रिया न दे। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा नए ठिकानों, बंकरों और हेलिपैड्स का निर्माण, साथ ही साथ इसके सैनिकों द्वारा सर्दियों के दौरान रहना सामान्य गतिविधि से बहुत दूर है।

अपनी प्रतिक्रियाओं को शांत रखते हुए, नई दिल्ली का सार-सार यही कहना है कि डोकलाम का जटिल मुद्दा और सीमा के किनारे चीनी निर्माण से भारत को कोई खतरा नहीं है। नई दिल्ली और बीजिंग ने अब उच्च स्तरीय दौरों पर बहस शुरू कर चुकी है जो दो नेताओं के बीच एक शिखर सम्मेलन की बैठक का नेतृत्व करने के लिए होगी; जिसे वे एक से अधिक बार भी दोहरा सकते हैं।

यह बदलाव दर्शाती है कि दोनों पक्ष सीमा वार्ता के साथ-साथ बकाया मुद्दों पर संबंधों को सुचारू बनाने और व्यापार घाटे को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति करने का इरादा रखते हैं, जो हाल में भारत के चीनी वाणिज्य मंत्री की भारत यात्रा के दौरान की गई चर्चा का एक मुद्दा है।

यह लचीलापन दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सरकार के व्यवहार में भी नजर आता है। मालदीव के विपक्ष के कई अपीलों के बावजूद और यू.एस. द्वारा जोर दिए जाने के बावजूद, मोदी सरकार ने देश में आपात स्थिति की घोषणा के बाद मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन को लाने में कठोर शक्ति का प्रयोग न करने का फैसला किया। न ही उसने चीन को टकराव में शामिल किया जब यामीन ने इस संबंध में बीजिंग के समर्थन की मांग की थी।

इसके अलावा, एक और मसले पर सरकार चुप रही, जब माले ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए और पाकिस्तान के सेना प्रमुख, जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र पर संयुक्त विचार विमर्श किया, हिंद महासागर में ऑपरेशन का एक क्षेत्र जिसे भारत का क्षेत्र माना जाता है।

नेपाल के साथ, प्रधानमंत्री के.पी. ओली ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह चीन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास में कदम बढ़ाएगा, लेकिन भारत ने इसे भी नजरंदाज करते हुए इस महीने के शुरूआती दौर में उनके लिए रेड कार्पेट का आयोजन किया।

यहाँ तक कि इस बैठक में नेपाल के संविधान पर भी भारत ने चिंता जताई, जिसके कारण वर्ष 2015-16 में भारत और नेपाल के बीच टकराव का सामना किया था। हाल के हफ्तों में भी भूटान और बांग्लादेश तक भी पहुँच बढाने की कोशिश की गयी है। भूटान और बांग्लादेश दोनों ही जगह इस साल चुनाव होने हैं और आने वाले परिणाम इन देशों के साथ-साथ भारत पर भी प्रभाव डालेगा।

पाकिस्तान के साथ शांत प्रगति

इस साल, सरकार ने पहली बार संसद में यह कबूल किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष नासर खान जंजुआ को विभिन्न स्तरों पर संचार के स्थापित चैनलों के एक हिस्से के रूप में मुलाकात की थी। पिछले कुछ सालों में, पठानकोट के बाद अधिकारियों ने पुष्टि की है कि दोनों एनएसए के बीच की बातचीत भी सम्मेलनों के मौके पर भी हुई है और काफी नियमित रूप से टेलीफोनिक रूप से भी।

चारों ओर से ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में भारत की हार्ड पावर रणनीति को एक अधिक सुलह के साथ बदल दिया जा रहा है। दो मुद्दे जिन पर दोनों सरकारें लचीलापन दिखा सकती हैं। चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) सदस्यता के लिए भारत का पक्ष।

एनएसजी पर, चीन परमाणु निर्यात नियंत्रण संगठन के भीतर एक अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर भारत की सदस्यता के लिए नए मार्ग खोल सकता है।

बीआरआई पर, अगर दोनों पक्षों में राजनीतिक इच्छा है, तब उन्हें भारत की तीन चिंताओं, अर्थात क्षेत्रीय अखंडता, परियोजनाओं की पारदर्शिता और उनकी स्थिरता के समाधान के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। पहले का समाधान अफगानिस्तान तक चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) का विस्तार करने के लिए विचाराधीन प्रस्ताव में शामिल है।

हालांकि इस पर नतीजे पर चर्चा नहीं हुई है, सीपीईसी से पीएसीई या पाकिस्तान-अफगानिस्तान-चीन आर्थिक गलियारा कहलाए जाने के बदलाव से गिलगिट-बाल्तिस्तान और पाकिस्तान-कब्जे वाले कश्मीर में परियोजनाओं में बदलाव की आवश्यकता होगी।

उन परियोजनाओं को अभी भी बनाया जा सकता है और चीन द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है, लेकिन फिर बीआरआई मार्ग का कोई हिस्सा नहीं होगा; परिणामस्वरूप, संप्रभुता पर भारत की चिंताओं को छोड़ दिया जा सकता है।

चीन के अपने ज्यादातर पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद हैं। ऐसा वह अपने साम्राज्यवादी-विस्तारवादी प्रभाव को बनाए रखने के लिए करता है। चीन इस वक्त तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा है। इसमें उसके सामरिक और व्यापारिक दोनों हित हैं। दक्षिण चीन सागर में सैन्य अड्डा बना कर उसने अमेरिका तक की नींद उड़ा दी है।

इस बीच, यूरोप से मध्य और पूर्वी एशिया के कई देशों ने भी बीआरआई परियोजनाओं के कारण होने वाले पर्यावरण और बढ़ते कर्ज के खतरों के भारत की चिंताओं का समर्थन किया हैं। भारत बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी प्रस्तावों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय टेम्प्लेट बनाने में अग्रणी हो सकता है, जो कि ऋण वित्तपोषण के लिए एक संरचित दृष्टिकोण में चीन और अन्य दाता देशों को शामिल करना चाहता है।

भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को महत्व देते हुए रणनीतिक सामरिक संचार, एक दूसरे की मूल चिंताओं पर ध्यान देने और द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर एवं स्थिर विकास के लिए अच्छा माहौल तैयार करने की आवश्यकता है।

* * *

GS World टीम...

आर्थिक गलियारा क्या है और उसका इतिहास क्या है?

- चूंकि विश्व की अधिकतर जनसंख्या उत्तरी गोलार्द्ध में निवास करती है, इसलिए नए बाजारों की खोज में शुरू से ही समुद्रों का सहारा लिया गया। भारत भी उसी खोज का परिणाम रहा। कुछ एक अपवाद जैसे ब्रिटेन के महाशक्ति रहने के दौरान व्यापार दक्षिण से उत्तर की ओर हुआ, अन्यथा यह सामान्य रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर ही होता आया है। इसी तरह का एक व्यापार मार्ग मध्य एशिया से पाकिस्तान, उत्तरी भारत में होता हुआ प्रायद्वीपीय भारत तक पहुंचा करता था।
- भारत-पाकिस्तान विभाजन के कारण उत्तरी भारत, अफगानिस्तान जैसे बाजारों से कट गया। पाकिस्तान को भी हानि हुई।
- सन् 1991 में भारत में उदारीकरण के साथ ही नए आर्थिक द्वार खुले और तब से पाकिस्तान को भारत के साथ आर्थिक और व्यावसायिक द्वार खोलने पड़े।
- चीन-पाकिस्तान के इस आर्थिक गलियारे ने पारंपरिक उत्तर-दक्षिण व्यापार पथ को पलटकर रख दिया है। पाकिस्तान ने ऐसे आर्थिक और भौगोलिक मार्ग को चुन लिया है, जिसका नक्शा चीन तय करता रहेगा।

'वन रोड वन बेल्ट' पहल क्या है?

- रेशम सड़क आर्थिक पट्टी तथा 21वीं सदी की सामुद्रिक रेशम सड़क की दो परियोजनाओं को मिलाने के लिये सितंबर 2013 में 'वन बेल्ट, वन रोड' कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया था।
- विश्व के 55 प्रतिशत सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी), 70 प्रतिशत जनसंख्या तथा 75 प्रतिशत ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने की क्षमता वाली यह योजना वास्तव में चीन द्वारा भूमि एवं समुद्री परिवहन मार्ग बनाने के लिये है, जो चीन के उत्पादन केंद्रों को दुनिया भर के बाजारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेंगे।
- साथ ही साथ इससे चीन की अर्थव्यवस्था, श्रमशक्ति एवं बुनियादी ढांचा-तकनीक भंडारों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- बेल्ट के गलियारे यूरेशिया में प्रमुख पुलों, चीन-मंगोलिया-रूस, चीन-मध्य एवं पश्चिम एशिया, चीन-भारत-चीन प्रायद्वीप, चीन-पाकिस्तान, बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार से गुजरेंगे।
- सामुद्रिक रेशम मार्ग अथवा "रोड" बेल्ट के गलियारों का सामुद्रिक प्रतिरूप है और उसमें प्रस्तावित बंदरगाह तथा अन्य तटवर्ती बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का नेटवर्क है, जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया से पूर्वी अफ्रीका तथा उत्तरी भूमध्य सागर में बनाए जाएंगे।

भारत एवं दक्षिण-एशिया पर इसका प्रभाव

- यह समझौता पाकिस्तान के लिए भी अनवरत संघर्ष का विषय बना रहेगा। पाकिस्तान को इससे लाभ होने की भी कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। यह एक तरह से चीन का पाकिस्तान में निवेश है, जिसे लौटाया जाना है। इसके अलावा चीन का निवेश पाकिस्तानी जनता के किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि यह चीनी बैंकों से सीधा पाकिस्तान में उसकी निर्माणाधीन उन परियोजनाओं पर लगाया जाएगा, जिनमें चीनी लोग ही काम करेंगे।
- चीन के लिए यह समझौता अवश्य ही बहुत लाभ का है। इससे चीन को हिंद महासागर में प्रवेश मिल गया है। इसके माध्यम से चीन ने भारत और उसके पड़ोसी देशों के अलावा पश्चिम एशिया में अपना राजनैतिक और सैनिक प्रभुत्व बनाने के लिए एक उपनिवेश स्थापित कर लिया है।
- यही कारण है कि इसे चीनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देखा जा रहा है।पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन और पाकिस्तान की सेनाओं का मिलन भी भारत के लिए चिंता का दूसरा विषय है।

संभावित प्रश्न

भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए अपनी विदेश नीति में क्या अपेक्षित बदलाव किए जाने चाहिए? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

What desired changes should be made by India in its foreign policy to establish better relations with neighbors? Discuss. (250 words)

सामान्य मानसून और किसानों की समस्याएं

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-I (भूगोल) से संबंधित है।

18 अप्रैल, 2018

''हाल ही में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इस साल मानसून सामान्य रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि खराब मानसून की संभावना कम हैं। विभाग ने इस साल 97 फीसदी बारिश का अनुमान जताया है। मानसून बेहतर रहने से खरीफ फसलों की बुआई अच्छी हो सकती है।''
इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू'' एवं ''इंडियन एक्सप्रेस'' *में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे* ***"GS World"*** *टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

''द हिन्दू''
(चेसिंग द मानसून)

सामान्य मानसून का पूर्वानुमान चारों तरफ से राहत लेकर आई है। किसानों के लिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान लगाया है कि गर्मी के दौरान वर्षा, अर्थात जून और सितंबर के बीच, अपने 50 वर्षों के 89 सेमी के औसत से 97% होगी, जो नई उम्मीदों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। यह लगातार तीसरा साल है वे विभिन्न फसलों के लिए एक उच्च उत्पादन की आशा कर रहे हैं, यद्यपि राजकोषीय वास्तविकताएं उच्च कृषि आय को दर्शा रही हैं।

केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र के माध्यम से उच्च रिटर्न के समर्थन में रहा है और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए खरीद के लिए अतिरिक्त बोनस की घोषणा की गयी है, लेकिन ये इन्हें मुख्य रूप से चावल और गेहूं में मदद करेगी। जल प्रबंधन का परिप्रेक्ष्य यह है कि इस प्रवृत्ति के कारण इन फसलों को नुकसान होने लगा है क्योंकि ये भूजल पर बड़े स्तर पर निर्भर रहते हैं।

अब एक और वर्ष अच्छे फसल की उम्मीद की जा रही है, जिससे अनियंत्रित कीमतों पर लगाम लगेगा और लोगो को इससे रहत मिलेगी, लेकिन इसके लिए केंद्र को एक नीति का निर्माण करने की आवश्यकता है जो आदर्श फसल मिश्रण पर किसानों को रचनात्मक सलाह दे सके और लागत-प्लस-50% प्राप्त करने में उनकी मदद करे।

मानसून की प्रगति पर विशेष रूप से मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में अधिक सूक्ष्म पूर्वानुमान प्रदान करने के आईएमडी का फैसला, एक लंबे समय से महसूस की जा रही जरूरत को पूरा करेगा और संभावित रूप से किसानों को बेहतर ढंग से मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

लंबी अवधि की चुनौती यह है कि भारत में जो अधिक वर्षा होती है, वह उत्तर-पश्चिम में कुछ सौ मिलीमीटर या इससे कम या कहीं कुछ हजार मिलीमीटर से अधिक। केन्द्र द्वारा तैयार किए गए भूजल के लिए कृत्रिम रिचार्ज की मास्टर प्लान, वैज्ञानिक रूप से अपनाया जाना चाहिए ताकि कृत्रिम रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण के द्वारा सबसे अधिक पानी की आवश्यकता वाले राज्यों की सहायता की जा सके।

इसके अलावा, उन किसानों के लिए जो गेहूं और चावल के साथ जाने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें विशेष जानकारी के हस्तांतरण और उपकरणों की सुविधा प्रदान करके पानी के कुशल उपयोग को सक्षम बनाया जा सकता है। चावल और गेहूं में पानी का उपयोग अनुमानत: घन मीटर प्रति टन है, जो यह दर्शाता है कि भारत, चीन की तुलना में अधिक उपयोग करता है।

''इंडियन एक्सप्रेस''
(हवेन इट रेन्स)

''एक 'सामान्य' मानसून का पूर्वानुमान स्वागतयोग्य है, लेकिन आज किसानों की सबसे बड़ी समस्या उत्पादन नहीं है, बल्कि कीमतें है।''

एक सत्तारूढ़ पार्टी के लिए, सूखे वर्ष में मतदाताओं का सामना करना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हांलाकि, इसकी संभावना अब कम दिख रही है, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दक्षिण-पश्चिमी मानसून के मौसम में जून से सितंबर के दौरान अच्छी वर्षा होने की भविष्यवाणी की है, जहाँ दक्षिणपश्चिम मानसून के दीर्घावधि औसत (एलपीए) का 97 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है।

यह तकनीकी तौर पर 'सामान्य' मॉनसून में तब्दील हो जाता है, जिसमें केवल 14 प्रतिशत बारिश का पूर्वानुमान 'कम' (एलपीए का 90 प्रतिशत से कम) और 30 प्रतिशत 'सामान्य से नीचे' (एलडीए के 90-96 प्रतिशत) होने की संभावना है।

हाल के दिनों में आईएमडी द्वारा किये गये अनुमान सही ही रहे है। ऐसा इसलिए, क्योंकि वर्ष 2014 और 2015 (दोनों में सूखे का अनुमान लगाया गया था) और 2016 और 2017 में सामान्य मानसून का अनुमान लगाया गया था, जहाँ दोनों साल अच्छी फसल हुई, इसलिए यह विश्वास किया जा सकता है कि तीसरी बार भी इसका अनुमान सही साबित होगा।

आज के सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र में है, लेकिन यह अभी भी देश के आधे से ज्यादा कर्मचारियों को रोजगार देता है और मुद्रास्फीति पर असर पड़ता है। आधिकारिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य और पेय पदार्थ का 45.86 प्रतिशत का भार है।

एक सामान्य मानसून खाद्य मुद्रास्फीति पर लगाम लगाएगा, जो मौजूदा संदर्भ में तेल की बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम कर देगा और साथ ही कमजोर होती रुपये पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। सूखे से उच्च खाद्य कीमतों और कृषि संकट एक चुनाव वर्ष में एक शक्तिशाली संयोजन हो सकता है।

नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक सामान्य मानसून का पूर्वानुमान स्वागतयोग्य है और साथ ही यह बाजार के सन्दर्भ में भी अच्छा है। हालांकि, ये सभी इस बात पर निर्भर है कि मौसम के दौरान बारिश कैसे प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, पिछले साल, जून और जुलाई के दौरान पूरे भारत में दक्षिण को छोड़कर अच्छी वर्षा हुई थी।

किसानों के लिए, सिंचाई (सूक्ष्म नहरों, ट्यूबवेलों और जल संचयन, ड्रिप और छिड़काव तकनीकों के उपयोग के माध्यम से) और उचित फसल की योजना बनाकर उनकी मदद की जा सकती है। लेकिन जैसा

कपास के मामले में, आंकड़े और अधिक चौंका देने वाले है: जहाँ भारत को 8,264 घन मीटर कि आवश्यकता होती है, वहीँ चीन को केवल 1,419 घन मीटर की आवश्यकता होती है। इतने अधिक उपयोग के कारण समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है। वर्ष 2002 के बाद से रोजाना औसत वर्षा में वृद्धि हुई है (जो सबसे खराब एल नीनो वाले वर्ष को छोड़कर) अधिकतर भूमि के तापमान और कूलर महासागरों की वजह से है।

अच्छी बात यह है कि इस वर्ष मानसून अच्छा है, एक अच्छा मानसून जीडीपी विकास दर में कृषि के योगदान को बढ़ाता है। जाहिर है, सरकार द्वारा सामुदायिक भागीदारी के साथ, सतह और भूमिगत दोनों पर, मानसून की फसल को लगातार निवेश करने की आवश्यकता है।

* * *

कि पिछले दो वर्षों के अनुभव से पता चलता है, भरपूर उत्पादन कृषि के समृद्धि की गारंटी के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वास्तविक चुनौती जिसे आज के समय में किसानों को सामना करना पड़ रहा है, वह उत्पादन नहीं, बल्कि बढ़ी हुई कीमतें है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आईएमडी ने अच्छी वर्षा होने की भविष्यवाणी या प्रतिकूल मौसम की घटनाओं की जानकारी दे कर अच्छा काम किया है।

आईएमडी के मॉनसून पूर्वानुमान से एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बेहतर खेती और आर्थिक विकास की संभावना बढ़ जाती है। भारत में आज भी आधे से अधिक कृषि भूमि पर पर्याप्त सिंचाई के संसाधनों की कमी है। ऐसे में अच्छे मॉनसून की उम्मीद किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है।

* * *

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने मात्रा की दृष्टि से मानसून सीजन के दौरान कुल वर्षा दीर्घावधि औसत (एलपीए) का 97 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान है। वर्ष 1951 से लेकर वर्ष 2000 तक की अवधि के दौरान देश में मानसून सीजन के दौरान दीर्घावधि औसत (एलपीए) वर्षा 89 सेंटीमीटर रही है। पूर्वानुमान के तहत सीजन के दौरान सामान्य मानसून वर्षा (एलपीए का 96-104 प्रतिशत) की अधिकतम संभावना के साथ-साथ सामान्य से कम वर्षा होने की अल्प संभावना का भी उल्लेख किया गया है।
- भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) दूसरे चरण के पूर्वानुमान के तहत जून 2018 के आरंभ में अपडेट जारी करेगा। अपडेट पूर्वानुमान के साथ पूरे देश में मासिक (जुलाई एवं अगस्त) वर्षा के साथ-साथ भारत के चार भौगोलिक क्षेत्रों में मौसमी (जून-सितंबर) वर्षा के अलग-अलग अनुमान भी जारी किए जाएंगे।

मानसून का अर्थ

- देखा जाये तो, यह अरबी शब्द मौसिम से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है- हवाओं का मजाज।
- शीत ऋतु में हवाएँ उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं जिसे शीत ऋतु का मानसून कहा जाता है। उधर, ग्रीष्म ऋतु में हवाएँ इसके विपरीत दिशा में बहती हैं, जिसे दक्षिण-पश्चिम मानसून या गर्मी का मानसून कहा जाता है।
- चूँकि पूर्व के समय में इन हवाओं से व्यापारियों को नौकायन में सहायता मिलती थी, इसीलिये इन्हें व्यापारिक हवाएँ या 'ट्रेड विंड' भी कहा जाता है।

मानसून की शुरुआत कैसे होती है?

- ग्रीष्म ऋतु में जब हिन्द महासागर में सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है, तो मानसून का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में समुद्र की सतह गरम होने लगती है और उसका तापमान 30 डिग्री तक पहुँच जाता है। जबकि इस दौरान धरती का तापमान 45-46 डिग्री तक पहुँच चुका होता है।
- ऐसी स्थिति में हिन्द महासागर के दक्षिणी हिस्से में मानसूनी हवाएँ सक्रिय हो जाती हैं। ये हवाएँ एक दूसरे को आपस में काटते हुए विषुवत रेखा पार कर एशिया की तरफ बढ़ने लगती है। इसी दौरान समुद्र के ऊपर बादलों के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है।
- विषुवत रेखा पार करके ये हवाएँ और बादल बारिश करते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का रुख करते हैं। इस दौरान देश के तमाम हिस्सों का तापमान समुद्र तल के तापमान से अधिक हो जाता है।
- ऐसी स्थिति में हवाएँ समुद्र से जमीन की ओर बहनी शुरू हो जाती हैं। ये हवाएँ समुद्र के जल के वाष्पन से उत्पन्न जल वाष्प को सोख लेती हैं और पृथ्वी पर आते ही ऊपर की ओर उठने लगती है और वर्षा करती हुई आगे बढ़ती हैं।
- बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पहुँचने के बाद ये मानसूनी हवाएँ दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं।
- एक शाखा अरब सागर की तरफ से मुंबई, गुजरात एवं राजस्थान होते हुए आगे बढ़ती है तो दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर होते हुए हिमालय से टकराकर गंगीय क्षेत्रों की ओर मुड़ जाती हैं और इस प्रकार जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरे देश में झमाझम पानी बरसने लगता है।

अल-नीनो

- वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के निकट खासकर पेरु वाले क्षेत्र में यदि विषुवत रेखा के इर्द-गिर्द समुद्र की सतह अचानक गरम होनी शुरू हो जाए तो अल-नीनो की स्थिति बनती है।
- यदि तापमान में यह बढ़ोतरी 0.5 डिग्री से 2.5 डिग्री के बीच हो तो यह मानसून को प्रभावित कर सकती है। इससे मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में हवा के दबाव में कमी आने लगती है। इसका असर यह होता कि विषुवत रेखा के इर्द-गिर्द चलने वाली ट्रेड विंड कमजोर पड़ने लगती हैं। यही हवाएँ मानसूनी हवाएँ होती हैं जो भारत में बारिश करती है।

ला-नीना

- प्रशांत महासागर में उपरोक्त स्थान पर कभी-कभी समुद्र की सतह ठंडी होने लगती है। ऐसी स्थिति में अल-नीनो के ठीक विपरीत घटना होती है जिसे ला-नीना कहा जाता है।
- ला-नीना बनने से हवा के दबाव में तेजी आती है और ट्रेड विंड को रफ्तार मिलती है, जो भारतीय मानसून पर अच्छा प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2009 में मानसून पर अल-नीनो के प्रभाव के कारण कम बारिश हुई थी, जबकि वर्ष 2010 एवं 2011 में ला-नीना के प्रभाव के कारण अच्छी बारिश हुई थी।

संभावित प्रश्न

हाल ही में मौसम विभाग के पुर्वानुमान के मुताबिक इस साल मानसून सामान्य रहेगा। इसके बावजूद बढ़ी हुई कीमतों ने किसानों की चिंता को कायम रखा है। इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या अपेक्षित कदम उठाये जाने चाहिए? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

According to the Meteorological Department monsoon would be normal this year. Despite this, the increased prices have kept the concern of the farmers. What steps the government should take to resolve this problem? Discuss (250 words)

क्या भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव में मजबूत है?

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

19 अप्रैल, 2018

"द हिन्दू"

लेखक- रमाना रामास्वामी (क्वींस कॉलेज, कैम्ब्रिज में विशिष्ट शैक्षणिक आगंतुक)

"घरेलू नीति विकल्पों की तुलना में बेहतर बुनियादी परिस्थितियों में सुधार करने वाले बुनियादी सिद्धांतों को अपनाना अधिक लाभप्रद साबित होगा।"

भारतीय अर्थव्यवस्था विमुद्रीकरण के कारण 6% से नीचे गिरने के बाद वर्तमान में 7% की दर से बढ़ रही है। साथ ही यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष यह 7% से अधिक तक बढ़ जाएगी, जो कि चीन की विकास दर से तेज है और भारत को प्रभावी ढंग से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनाती है।

पिछले कुछ सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव काफी मजबूत हुई है। मुद्रास्फीति 4-5% तक पहुंच गई है। शेष दुनिया के साथ व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है और चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.5% तक आ गया है। भारत ने व्यवस्थित रूप से अपने विदेशी मुद्रा भंडार को भी बेहतर बनाए हैं, जो अब 420 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है।

ये आंकड़े एक गतिशील अर्थव्यवस्था की कहानी बताते हैं। लेकिन क्या वास्तव में यह तस्वीर उतनी ही वास्तविक है जितनी यह दिख रही है? किये गये कई विश्लेषण यह दर्शाते हैं कि विकास अतिरंजित हो सकता है और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कमजोरियों के कारण होता है।

विकास के लिए उच्च और टिकाऊ दोनों होने के लिए, निवेश मजबूत होना चाहिए। निवेश हमारी उत्पादक क्षमता को बढाने का कार्य करता है अर्थात बुनियादी ढांचें, कारखानों का निर्माण और कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने में। हालांकि, भारत के बारे में उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि वह निवेश में कमजोर है, जो कि हाल के वर्षों में निवेश की दर में तेज गिरावट से स्पष्ट हो जाता है।

वर्ष 2014 में सकल घरेलू उत्पाद का 34% से निवेश की दर घटकर 30% हो गई है। पिछले वर्षों की तुलना में, गिरावट और भी बदतर स्थिति में है अर्थात निवेश दर अब लगभग 15 वर्षों में निम्नतम स्तर पर है। यदि भविष्य में निवेश में गिरावट जारी रहती है तो यह उच्च विकास के साथ असंगत होगा।

देखा जाये तो, वर्ष 2016 में यह लगभग 6% की दर से बढ़ रहा था, लेकिन विमुद्रीकरण के बाद 2017 के मध्य तक 2% तक गिर गया। हालांकि 2017 की चौथी तिमाही में औद्योगिक उत्पादन में तेजी रही, जबकि 2016 की आखिरी तिमाही की तुलना में यह अतिरंजित है। इसलिए, कमजोर औद्योगिक प्रदर्शन के साथ अर्थव्यवस्था की मजबूत समग्र वृद्धि को फिर से सुदृढ़ करना कठिन है।

भारत में विकास के लिए बैंकों में वित्तपोषण महत्वपूर्ण है। यह विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों और कृषि क्षेत्र के कुछ हिस्सों के बारे में सच है जहां श्रम बल का बड़ा हिस्सा नियोजित किया जाता है। जब बैंकिंग प्रणाली पर जोर दिया जाता है, तो विकास हमेशा ग्रस्त होता है।

पिछले पांच वर्षों में बैंक उधार की गति तेजी से नीचे आ रही है। वर्ष 2014-16 के दौरान, बैंक ऋण 10% की रफ्तार से बढ़ गया। जो अब विमुद्रीकरण के बाद लगभग 6% से बढ़ रहा है। मंदी का मुख्य कारण गैर-निष्पादित ऋणों में वृद्धि है।

ये वर्ष 2015 के प्रारंभ में बकाया सकल ऋण के 5% से दोगुना हो गया है, जो वर्तमान में 10% है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के ऋण को वर्गीकृत करने के लिए मजबूर कर दिया है। नतीजतन, बैंक अब उधार देने में अधिक संकोच कर रहे हैं। पुन: बैंक द्वारा ऋण देने की वृद्धि में यह तेज गिरावट 7% से बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था के साथ संगत नहीं लगता है।

यदि लगातार जांच से यह संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था 7% से भी कम की दर से बढ़ रही है, तो क्या यह ये दर्शाता है कि बताई जा रही वृद्धि की संख्याएं बनावटी हैं? मुझे (लेखक) विश्वास नहीं है कि एक मजबूत प्रदर्शन दिखाने के लिए वृद्धि की संख्या में छेड़छाड़ की जा रही है। हमारे सांख्यिकीविदों के लिए जीडीपी की गणना करना स्पष्ट रूप से एक मुश्किल काम है लेकिन ये संकलन करने में ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं।

हालांकि, वृद्धि के शुरुआती अनुमानों को औपचारिक कार्पोरेट सेक्टर पर अधिक नवीन आंकड़ों द्वारा गणना किया जाता है। आर्थिक वृद्धि संख्या लगातार अगले वर्ष या दो में संशोधित हो जाती है, जब अनौपचारिक क्षेत्र से कम समय पर डेटा पूरी तरह से उपलब्ध हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विमुद्रीकरण और वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत, जो दीर्घकालिक रूप से सकारात्मक है, उसका प्रतिकूल प्रभाव औपचारिक क्षेत्र की बजाय अनौपचारिक पर बहुत अधिक पड़ा है।

इसलिए, प्रारंभिक वृद्धि के आंकड़े, मुख्य रूप से औपचारिक क्षेत्र के प्रदर्शन के अनुमानों से गणना की जाती है, जो अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के आंकड़ों को बढ़ाती है। निश्चित रूप से इन्हें निश्चित रूप से संशोधित किया जाएगा। लगातार होने वाली जांच का मुख्य मुद्दा विकास के बारे में खुश होने से पहले सावधानी की आवश्यकता पर जोर देना है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि मुद्रास्फीति में कमी, व्यापार प्रदर्शन में सुधार और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव में सुधार हुए हैं। इसके अलावा, चुनावी चक्र के बावजूद, केंद्र सरकार के बजट घाटे को मोटे तौर पर नियंत्रण में रखा गया है।

फिसलन भरी जमीन पर

हालांकि, सुधारात्मक बुनियादी सिद्धांत फिसलन भरी जमीन पर हैं। लेकिन, नीतिगत उपायों ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद की है, मुद्रास्फीति में गिरावट काफी हद तक बाहरी कारकों से प्रेरित है। खाद्य और ऊर्जा की कीमतें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक हैं और कमोडिटी कीमतों में गिरावट की मुद्रास्फीति को कम करने में बड़ी भूमिका रही है। क्या भविष्य में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि होनी चाहिए, आरबीआई के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए अपनी मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के माध्यम से यह मुश्किल होगी।

तेल, सोना और कोयला भारत में कुल आयात का लगभग 50% है। पिछले कुछ वर्षों में, इन वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट से भारत का व्यापार महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गया है। मजबूत निर्यात के बजाय, भारत का व्यापार सुधार कमोडिटी कीमतों में गिरावट के असाधारण कारक को दर्शाता है।

ऊर्जा संबंधी सब्सिडी पर कम खर्च के जरिए तेल की कीमतों में कमी के कारण केंद्र सरकार के बजट में भी लाभ हुआ है। फोकस आम तौर पर केंद्र सरकार के बजट पर पड़ता है। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण है सरकार का बजट, जो केंद्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त बजट है। यह घाटा अभी भी सकल घरेलू उत्पाद का 6.5% है। इसके अलावा, भारत का कर्ज सकल घरेलू उत्पाद का अपेक्षाकृत 70% है और कई उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, यह पिछले पांच वर्षों में वास्तव में नीचे नहीं आया है। भारत में राजकोषीय स्थिति एक छिपी भेद्यता का गठन करती है।

हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुए हैं। हालांकि, वर्तमान प्रकाशित विकास दर अंतर्निहित ताकत को अतिरंजित करती है। घरेलू नीति विकल्पों की तुलना में बेहतर बुनियादी परिस्थितियों में सुधार करने वाले बुनियादी सिद्धांतों को अपनाना अधिक लाभप्रद साबित होगा।

* * *

GS World टीम...

भारत की अर्थव्यवस्था

- आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में भारत की विकास दर वित्त वर्ष 2017-18 में 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।
- भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने इसके 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
- रिपोर्ट में भारत की विकास दर 2018-19 में 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।
- आईएमएफ का भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर यह अनुमान विश्व बैंक द्वारा इस महीने की शुरुआत में लगाए गए अनुमान 7.3 प्रतिशत से भी अधिक है।
- इस प्रकार भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं मे सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
- भारत के 2018 और 2019 के लिये विकास दर के अनुमान में अक्टूबर 2017 के अनुमान की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- आईएमएफ ने उस समय समान अवधि में चीन की वृद्धि दर क्रमश: 6.6 प्रतिशत और 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, जबकि पिछले वर्ष चीन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था थी और उसकी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रही थी।
- आईएमएफ ने कहा कि उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिये 2018 और 2019 में कुल वृद्धि दर के अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है।
- रिपोर्ट के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है और उसकी वृद्धि दर 2018 और 2019 में 3.9 प्रतिशत रहेगी।
- रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि दर 3.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह पहले के अनुमानों से 0.1 प्रतिशत अधिक है और 2016 के प्रदर्शन से 0.5 प्रतिशत अधिक है।
- चूँकि वैश्विक वृद्धि दर में व्यापक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसके मद्देनजर आईएमएफ ने 2018 और 2019 में वैश्विक वृद्धि दर के अनुमान को क्रमश: 0.2 प्रतिशत बढ़ाकर 3.9 प्रतिशत कर दिया है।

ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के अनुसार

- हाल ही में डब्ल्यूईएफ ने अपनी पहली 'रेडीनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन' रिपोर्ट में वैश्विक विनिर्माण सूचकांक जारी किया था।
- इस वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत को 30वाँ स्थान दिया गया।
- ब्रिक्स देशों में चीन (5वाँ स्थान) को छोड़कर ब्राजील (41), रूस (35) और दक्षिण अफ्रीका (45) की तुलना में भारत की रैंकिंग इस इंडेक्स में बेहतर रही।
- इसमें 100 देशों को चार समूहों (अग्रणी, उच्च क्षमता, लिगेसी और विकासोन्मुख) में वर्गीकृत किया गया।
- इसमें भारत को लिगेसी (मजबूत मौजूदा आधार, भविष्य में जोखिम) वर्ग में रखा गया है।
- इस वर्ग में भारत के अलावा हंगरी, मैक्सिको, फिलीपींस, रूस, थाईलैंड और तुर्की शामिल हैं।
- उत्पादन के पैमाने के संदर्भ में भारत को 9वाँ स्थान मिला।
- जटिलता के मामले में भारत 48वें स्थान पर रहा।
- बाजार के आकार के संदर्भ में भारत तीसरे स्थान पर रहा।
- श्रम बल में महिला भागीदारी, व्यापार टैरिफ, विनियामक कुशलता और टिकाऊ संसाधनों के मामले में भारत की रैंकिंग निम्न स्तर पर रही।

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ

- देश में असमान आय वितरण की चुनौती
- राजकोषीय संतुलन बनाए रखने की चुनौती
- विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाने की चुनौती
- बैंकों के बढ़ते एनपीए की चुनौती
- कालेधन की चुनौती
- कृषि क्षेत्र की चुनौती
- रोजगार की चुनौती
- श्रम सुधारों की आवश्यकता
- निजी (कॉर्पोरेट) निवेश को आकर्षित करने की चुनौती
- कच्चे तेल के चढ़ते दामों की चुनौती

* * *

संभावित प्रश्न

सर्वाधिक तेज विकास दर के बावजूद विश्व के कई अन्य देशों की तरह ही भारत की अर्थव्यवस्था भी कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करते हुए इसके सुधारों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Despite the fastest growth rate, just like many other countries in the world, India's economy is also facing challenges on many fronts. Underlining the major challenges facing the Indian economy, briefly discuss its reforms. (250 words)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम : एक प्रश्न

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

20 अप्रैल, 2018

"द हिन्दू"

लेखक- शशि थरूर (सदस्य, लोकसभा)

''केंद्र को देश भर में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में हो रही कमी की समीक्षा करनी चाहिए।''

संसद का हालिया बजट सत्र सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा विचित्र रूप से विघटित था और हम सभी जानते है कि प्रश्न काल ज्यादातर समय काम नहीं करता। सांसदों द्वारा लिखित प्रश्नों का उत्तर वास्तव में लिखित में दिया गया था, मेरे (लेखक) के अपने 26 प्रश्नों को स्वीकार किया गया और उत्तर दिया गया, और जब अधिक प्रतिष्ठित 'तारांकित प्रश्न' पूछे नहीं जा सके, तो इन 'अतारांकित' प्रश्नों से कुछ महत्वपूर्ण सरकारी नीति के पहलुओं पर बहस की गयी।

शिक्षा पर

मेरा प्रश्न (लेखक) शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के कार्यान्वयन पर लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री के लिए था और इस प्रश्न को इसके अधिनियमित होने के लगभग एक दशक बाद पूछा जा रहा था। इस प्रश्न के जवाब में जो उत्तर लेखक को प्राप्त हुआ वह चिंताजनक था और निश्चित रूप से अधिनियम के कार्यान्वयन के आपातकालीन समीक्षा की मांग करता हैं।

यह मंत्री के जवाब से उभरता है कि पांच राज्य (गोवा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और तेलंगाना) ने आरटीई के तहत प्रवेश के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की है। जैसा कि याद होगा कि अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) निजी अवैतनिक स्कूलों को छह से 14 साल की आयु वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के लिए 25% सीटों को आरक्षित करने के लिए अनिवार्य है।

इसने आर्थिक रूप से हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए राज्य के खर्च पर उच्च गुणवत्ता वाले निजी स्कूलों तक पहुंच को सुनिश्चित बनाया है। हाल ही में इसे तेलंगाना में लागू किया गया है, इसलिए फिलहाल इसे माफ किया जा सकता है, लेकिन आठ साल पहले पारित इस अधिनियम के धारा 12 (1) (सी) को लागू करने के लिए बुनियादी कदम उठाने में असफता, पूरी तरह से असंगत रहा है।

राज्यों को इस प्रावधान के तहत शामिल बच्चों के निजी स्कूलों का भुगतान करने के लिए प्रत्येक बच्चे की लागत को सूचित करना होगा। हालांकि, 29 राज्यों और सात संघ शासित प्रदेशों में से, केवल 14 ने बच्चों की लागत को अधिसूचित किया है।

देखा जाये तो, यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता है और लक्षद्वीप में कोई निजी स्कूल है नहीं; इसलिए, प्रदान किए गए आंकड़ों के मुताबिक, आश्चर्यजनक रूप से 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अभी तक प्रति-बाल लागत और आरटीई की भावना को अधिसूचित नहीं किया है।

यह तथ्य भी चौंकाने वाला है कि वर्ष 2017-18 में, 15 राज्यों में से, जिन्होंने अपनी प्रतिपूर्ति दावों की केंद्र सरकार को सौंप दिया था, केवल छह को मंजूरी दे दी थी। राज्यों के कई मांगो को केंद्र द्वारा धन उपलब्ध नहीं कराए गए, क्योंकि उन्होंने प्रति-बाल लागत को अधिसूचित नहीं किया था।

पिछले तीन वर्षों में धारा 12 (1) (सी) के तहत प्रति राज्य शामिल बच्चों की संख्या के बारे में मेरी (लेखक) के पूछताछ के जवाब में, 18 राज्यों ने दावा किया है कि यह प्रश्न उनके लिए लागू नहीं है। इसका मतलब यह हो सकता है कि 18 राज्यों में, इस अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को लाभ नहीं प्राप्त हुआ है।

यदि शामिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या रिकॉर्ड करने के लिए कोई डेटा नहीं है, तो सवाल यह उठता है कि राज्यों द्वारा निजी स्कूलों की प्रतिपूर्ति कैसे की जा रही हैं? संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र को इस विशिष्ट बिंदु को स्पष्ट करना चाहिए।

व्याप्त अंतराल

इंडस एक्शन, एक संगठन जो विशेष रूप से इस प्रावधान पर 10 राज्यों में काम करता है, के अनुसार प्रति बच्चा लागत और प्रतिपूर्ति में सहायक लागतों की कवरेज की कमी के लिए राज्यों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति, केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक सुव्यवस्थित संवितरण ढांचा की अनुपस्थिति, ऐसी बड़ी वजह है जिसके कारण प्रतिपूर्तियां संसोधित नहीं हुई।

अगर राज्यों को पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो निजी स्कूलों के बच्चों की लागतों को सहन करने के लिए मजबूर किया जाएगा। सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं के अनुसार, अब निजी स्कूलों ने राज्य सरकारों द्वारा बकाया भुगतान का हवाला देते हुए आरटीई प्रावधान के तहत बच्चों को प्रवेश देने से इनकार कर रहे है।

अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत शामिल बच्चों की संख्या के बारे में डेटा, जो राज्यों को आंकड़े प्रदान करते हैं, और भी परेशान करने वाले हैं। इस प्रावधान के तहत अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या 2014-2015 से 2015-16 तक 6,12,053 की वृद्धि हुई, लेकिन 2015-16 से 2016-17 तक 5,02,880 तक बढ़ी।

आईआईएम अहमदाबाद द्वारा स्टेट ऑफ द नेशन 2015 की रिपोर्ट, जो शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के आधारित है, इस प्रावधान के तहत सीटों की कुल संख्या अगले आठ वर्षों में 1.6 करोड़ दर्शाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए प्रतिवर्ष 20 लाख सीट उपलब्ध होनी चाहिए; हालांकि मंत्री के जवाब के अनुसार, वार्षिक आधार पर केवल 5-6 लाख सीटों को ही भरा जा रहा है।

संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुरक्षित रखेगा। नि:संदेह इस अंत को सुरक्षित रखने के लिए आंदोलन में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।

हालांकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के बच्चों को शिक्षा तक पहुंच बनाने का निर्देश देता है और 86 वें संवैधानिक संशोधन और आरटीई ने इसके कार्यान्वयन को निर्देशित करता है, लेकिन यह केवल तभी पूरा होगा जब राज्यों द्वारा मार्गदर्शन और प्रजनन के तहत ईमानदार प्रयास किए जाएंगे।

कार्यकारी आरटीई के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है और कार्यकारी को उत्तरदायी बनाए रखने का कर्तव्य विधायिका के पास है। चूंकि आरटीई के गैर कार्यान्वयन के संबंध में मलिनता पूरे देश में फैली हुई है, इसलिए केंद्र सरकार को सभी राज्य शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक आयोजित करनी चाहिए और कानून के कार्यान्वयन की समीक्षा करनी चाहिए।

आरटीई का लक्ष्य है निजी स्कूलों के लिए शिक्षा के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों को ऊपर उठाने के लिए राज्य के प्रयासों को पूरक बनाने हेतु एक ढांचा प्रदान किया जाये। कानून के कार्यान्वयन में अंतराल को दूर करने के लिए हमें तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य इस पर निर्भर करता है।

* * *

GS World टीम...

क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम?

- 2 दिसंबर, 2002 को संविधान में 86वाँ संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद 21ए के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है।
- इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक युगांतकारी कदम उठाते हुए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया।
- इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना है।
- इसके तहत 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिये शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया।
- शिक्षक एवं बच्चों का उच्च अनुपात, स्कूलों के भवन एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं हेतु उच्च स्तरीय व्यवस्थाएँ करना, शिक्षकों एवं स्कूल के अन्य कर्मचारियों के लिये काम के घंटे तय करना इत्यादि के विषय में उपयुक्त व्यवस्था की गई है।
- इसके अंतर्गत बच्चों के सीखने की प्रवृत्ति एवं शिक्षकों के अध्यापन संबंधी प्रदर्शन के विषय में कोई आवश्यक प्रबंध नहीं किया गया है।
- इस अधिनियम के अनुपालन की अनिवार्यता संबंधी प्रावधान का प्रभाव यह हुआ कि निजी स्कूलों के संचालन के रूप में शिक्षा का व्यवसाय कर रहे कुछ निजी स्कूल या तो स्वयं बंद हो गए या फिर उन्हें नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में स्कूल बंद करने का नोटिस दे दिया गया।

एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ग्रामीण), 2017

- एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER), 2017 के अनुसार ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा की स्थिति उत्साहजनक नहीं है।
- ASER के अनुसार, 14-18 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 14 फीसदी ग्रामीण युवाओं का कहीं भी नामांकन नहीं हुआ है।
- 14-18 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 25% युवा अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से बुनियादी पाठ तक पढ़ने में सक्षम नहीं पाए गए।
- सर्वेक्षण में भाग लेने वालों में से केवल 5% ने किसी तरह का व्यावसायिक पाठ्यक्रम किया है और इनमें से भी बहुत कम लोगों ने 3 महीने या इससे अधिक के लिये नामांकन कराया।
- उच्च विद्यालयी शिक्षा तक पहुँचने वालों में लर्निंग आउटकम (सीखने के परिणाम) काफी कम पाया गया।
- केवल 43% युवा ही एक अंक से तीन अंकों की संख्या का विभाजन करने जैसी अंकगणितीय समस्या को हल कर पाए और अब स्कूल नहीं जाने वालों में तो यह प्रतिशत और भी कम पाया गया।
- स्कूली शिक्षा के स्तर तक नामाँकित नहीं होने वाले युवाओं की संख्या में भी राज्यों के बीच काफी विभिन्नताएँ देखने को मिलीं। जैसे छत्तीसगढ़ के किसी जिले में 17-18 वर्ष के आयु वर्ग में नामाँकित नहीं होने वाले लड़के और लड़कियों दोनों का प्रतिशत 29.4% पाया गया, जबकि केरल के किसी जिले के लिये यह आँकड़ा क्रमश: 4.5% और 3.9% है।
- ASER बड़े पैमाने पर व्याप्त डिजिटल डिवाइड को भी इंगित करता है, जिसके अनुसार इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल कभी नहीं करने वालों की संख्या क्रमश: 61% और 56% पायी गई। कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच के मामले में लड़कों की तुलना में लड़कियों की स्थिति निम्न स्तर पर है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विस्तार के लाभ

- 14-18 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के इससे समावेशन से उन्हें श्रमबल में शामिल होने के लिये आवश्यक परिष्कृत शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- यह उन बच्चों के सशक्तिकरण में सहायक होगा जिनका अब तक कहीं भी नामांकन नहीं हुआ है।
- जनसांख्यिकीय लाभांश की सार्थकता के लिये इन सभी युवाओं को कौशल और रोजगार आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- सभी बच्चों को एक स्कूल, कॉलेज या प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत लाकर इनकी कंप्यूटर और इन्टरनेट तक पहुँच को प्राप्त किया जा सकता है।
- नामांकन में प्रगति के साथ ही लर्निंग आउटकम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उच्च नामांकन का मतलब सदैव उच्च उपस्थिति नहीं होता। यही कारण है कि माध्यमिक स्तर के छात्रों की एक बड़ी संख्या को जूनियर कक्षाओं के लिये निर्धारित पाठ को पढ़ने में मुश्किल हुई और वे मानचित्र पर अपने स्वयं के राज्य की पहचान तक नहीं कर पाए।

संभावित प्रश्न

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के इतने वर्षों पश्चात् भी इसका कार्यान्वयन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है। इसके कारणों को स्पष्ट करते हुए उपयुक्त सुझावों का वर्णन करें। (250 शब्द)

Even after so many years of implementation of the Right to Education Act, its implementation has not been as expected. Describe appropriate suggestions while explaining the reasons for this. (250 words)

महाभियोग का प्रस्ताव : एक प्रश्न

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

21 अप्रैल, 2018

*''हाल ही में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू को दिया है। इसके लिये पांच आधार दिए गए हैं।'' **इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''इकनॉमिक टाइम्स'' एवं ''इंडियन एक्सप्रेस''** में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे **"GS World"** टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

''इकनॉमिक टाइम्स''
(महाभियोग का प्रस्ताव : अस्पष्ट, बुरी राजनीति)

कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दल द्वारा उद्धृत पांच कारणों से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव लाया गया है।

भारतीय संसद के इतिहास में कोई भी महाभियोग प्रस्ताव सफल नहीं हुआ है और वर्तमान सरकार के पास इतनी संख्या मौजूद है जिस पर वो इस प्रस्ताव को विफल बना सकती हैं। इसलिए, यह कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य मुख्य न्यायाधीश को हटाना नहीं था, बल्कि यह न्यायपालिका को प्रभावित करने और राजनीतिक हमले के रूप में था।

इसके विरोध में विपक्ष का कहना है कि अब तक, मुख्य न्यायाधीश ने उन आरोपों का जवाब नहीं दिया है जिसे उनके ही चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने उन पर लगाया था।

विपक्ष ने सीजेआई के खिलाफ पहला आरोप खराब आचरण का लगाया है। उनका आरोप है कि सीजेआई दीपक मिश्रा का व्यवहार उनके पद के मुताबिक नहीं है। कई मामलों में वो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों की राय नहीं लेते। उन्होंने कई मामलों में संवैधानिक आदर्शों का उल्लंघन किया है।

विपक्ष ने सीजेआई पर दूसरा आरोप प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट से फायदा उठाने का लगाया है। विपक्ष का आरोप है कि सीजेआई दीपक मिश्रा ने इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं को प्रशासनिक और न्यायिक परिप्रेक्ष्य में प्रभावित किया। क्योंकि, वह प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई करने वाली बेंच की अगुवाई कर रहे थे। ऐसा करके उन्होंने जजों के आचार संहिता (code of conduct) और आदर्शों की अवहेलना की।

विपक्ष ने सीजेआई दीपक मिश्रा पर सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर में मनमाने तरीके से बदलाव करने का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि सीजेआई ने कई अहम केसों को दूसरे बेंच से बिना कोई वाजिब कारण बताए दूसरे बेंच में शिफ्ट कर दिया। कई अहम मामले जो दूसरी बेंच में विचाराधीन थे, 'मास्टर ऑफ रोस्टर' के तहत सीजेआई ने उन मामलों को भी अपनी बेंच में ट्रांसफर कर लिया।

विपक्ष ने सीजेआई दीपक मिश्रा पर अहम केसों के बंटवारे में भेदभाव का आरोप भी लगाया है। दरअसल, सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज बीएच लोया का केस सीजेआई ने सीनियर जजों के होते हुए जूनियर जज अरुण मिश्रा की बेंच को दे दिया था। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जजों ने जब न्यायिक व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब इस मामले को प्रमुखता से उठाया भी था।

''इंडियन एक्सप्रेस''
(नॉट दिस वे)

वर्तमान में सीजेआई मिश्रा को कई सवालों के जवाब देने होंगे, साथ ही उन्हें कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन पर महाभियोग चलाने की सूचना गुमराह और बीमार सोच वाली प्रतीत होती है।

सात विपक्षी दलों के एक समूह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ पांच कारणों का हवाला देते हुए उन पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव के लिए नोटिस जमा कर दिया है। देश में सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष न्यायाधीश के खिलाफ यह पहला कदम है। एक राष्ट्र के लिए यह एक ऐसा पल है, जहाँ वे गहरी सांस लेते हुए शांत होकर, कुछ सवाल पूछें।

पहला और मौलिक रूप से सवाल यह है कि क्या महाभियोग है, जो एक भटके हुए न्यायाधीश को दंडित करने का चरम पहल है, इस मामले में वैध है? भारत का संविधान कई स्तरों सहित एक स्तरित और बोझिल प्रक्रिया निर्धारित करता है। इस तरह के कदम की स्वीकार्यता पर सीमा जानबूझकर उच्च निर्धारित किया गया है, क्योंकि सिस्टम के परिणाम अस्थिर और कमजोर हो सकते हैं।

न्यायपालिका संविधान का संरक्षक है और साथ ही यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी भी प्रदान करता है। इसकी स्वतंत्रता अन्य संस्थानों के लिए अनिवार्य है और अच्छे स्थिति में रहने के लिए लगातार निरीक्षण इसके लिए आवश्यक है। तो, वे पांच आधार, जिन पर सीजेआई दीपक मिश्रा को दोषी मानने की मांग की गयी है, क्या वे उचित हैं? शायद नहीं।

विपक्ष सीजेआई मिश्रा के खिलाफ तैयार आरोपपत्र में पांच वजहों के आधार पर उनके खिलाफ महाभियोग लाना चाहता है, अर्थात खराब आचरण, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट से फायदा उठाना, रोस्टर में मनमाने तरीके से बदलाव, अहम केसों के बंटवारे में भेदभाव का आरोप, 39 साल पहले जमीन अधिग्रहण का आरोप।

देखा जाये तो, एक महाभियोग प्रस्ताव में स्पष्ट अक्षमता या सिद्ध दुर्व्यवहार शामिल होना चाहिए। यह एक ऐसा उपकरण नहीं है जिसे न्यायाधीश के आचरण के बारे में केवल संदेह होने पर इस्तेमाल किया जाये। इसे अदालत में विचारों के अंतर से प्रेरित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में एक महाभियोग प्रस्ताव राजनीति में फंस चुका है।

सीजेआई के खिलाफ विपक्षी दलों का कदम तब विरोध में बदल गया, जब सीजेआई के नेतृत्व वाले खंडपीठ ने न्यायाधीश बीएच लोया की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जो उस समय सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले से संबंधित था और इस मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आरोपी थे।

विपक्ष ने सीजेआई पर पांचवा आरोप जमीन अधिग्रहण का लगाया है। विपक्ष के मुताबिक, जस्टिस दीपक मिश्रा ने 1985 में एडवोकेट रहते हुए फर्जी एफिडेविट दिखाकर जमीन का अधिग्रहण किया था। एडीएम के आवंटन रद्द करने के बावजूद ऐसा किया गया था। हालांकि, साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने जमीन सरेंडर कर दी थी।

एक आरोप जो साबित नहीं हुआ है उस पर इस तरह का फैसला लेना न्यायोचित नहीं है। फली नरीमन और सोलि सोराबजी, दो सम्मानित न्यायविद, ने शुक्रवार को कहा कि सीजेआई वास्तव में रोस्टर का मालिक है और मामले के आवंटन पर उनके फैसले पर महाभियोग का प्रस्ताव आधारहीन हैं, वो भी कुछ लोग या कुछ न्यायाधीश के असहमति पर।

न्यायपालिका के साथ राजनीति खेलने के बजाय विपक्ष को न्यायिक जवाबदेही के लिए एक तंत्र बनाने हेतु सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, न्यायाधीश पूछताछ (संशोधन) विधेयक 2008 में सुधार करने पर ध्यान देना चाहिए, जो न्यायपालिका के पक्ष में सत्ता के संतुलन में झुकाव को दूर करने में मदद करता है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह महाभियोग को हथियार बनाकर जजों को डराने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने महाभियोग को 'बदले की याचिका' बताते हुए कहा कि इस पूरे मामले को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। यह प्रकरण पूरी न्यायपालिका की आजादी के लिए खतरा है।

निश्चित रूप से आज एक सुप्रीम कोर्ट के भीतर विश्वास का अभूतपूर्व कमी और गतिरोध व्याप्त हो चुका है। प्रक्रिया के स्थगित ज्ञापन या कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नियुक्तियों को मंजूरी देने में सरकारी देरी के मामले में अदालत की क्षमता और निर्णायक जनादेश के साथ सशस्त्र कार्यकारी के लिए खड़े होने की इच्छा के बारे में तीव्र चिंताओं ने भी विकराल रूप ले लिया है।

यह भी सच है कि इन दोनों संकटों के लिए, सीजेआई को मुख्य जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर भी, एक विभाजित विपक्ष द्वारा महाभियोग का प्रस्तावना ही कोई जवाब है और ना ही कोई रास्ता है।

GS World टीम...

क्या है मामला?

- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस की अगुवाई में 7 विपक्षी दलों ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात कर उन्हें ये प्रस्ताव सौंपा है।
- राज्यसभा के 65 मौजूदा सांसदों ने मौजूदा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके अलावा 6 सांसदों के भी दस्तखत हैं मगर वो रिटायर कर चुके हैं। यह प्रस्ताव राज्यसभा के चेयरमैन यानी भारत के उपराष्ट्रपति के सामने पेश कर दिया गया है। इसी के साथ भारत की राजनीति एक चुनौतीपूर्ण दौर में पहुंच गई है।

क्या है वे पांच कारण?

खराब आचरण

- विपक्ष ने सीजेआई के खिलाफ पहला आरोप खराब आचरण का लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि सीजेआई दीपक मिश्र का व्यवहार उनके पद के मुताबिक नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं तब से कई मौकों पर उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि कई मामलों में वो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों की राय तक नहीं लेते।

प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट से फायदा उठाना

- विपक्ष ने सीजेआई पर दूसरा आरोप प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट से फायदा उठाने का लगाया है। विपक्ष का आरोप है कि सीजेआई दीपक मिश्रा ने इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं को प्रशासनिक और न्यायिक परिप्रेक्ष्य में प्रभावित किया। क्योंकि, वह प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई करने वाली बेंच की अगुवाई कर रहे थे। ऐसा करके उन्होंने जजों के आचार संहिता और आदर्शों की अवहेलना की।

रोस्टर में मनमाने तरीके से बदलाव

- विपक्ष ने सीजेआई दीपक मिश्रा पर सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर में मनमाने तरीके से बदलाव करने का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि सीजेआई ने कई अहम केसों को दूसरे बेंच से बिना कोई वाजिब कारण बताए दूसरे बेंच में शिफ्ट कर दिया। कई अहम मामले जो दूसरी बेंच में विचाराधीन थे, 'मास्टर ऑफ रोस्टर' के तहत सीजेआई ने उन मामलों को भी अपनी बेंच में ट्रांसफर कर लिया।

अहम केसों के बंटवारे में भेदभाव का आरोप

- विपक्ष ने सीजेआई दीपक मिश्रा पर अहम केसों के बंटवारे में भेदभाव का आरोप भी लगाया है। दरअसल, सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज बीएच लोया का केस सीजेआई ने सीनियर जजों के होते हुए जूनियर जज अरुण मिश्रा की बेंच को दे दिया था। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जजों ने जब न्यायिक व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब इस मामले को प्रमुखता से उठाया भी था।

जमीन अधिग्रहण का आरोप

- विपक्ष ने सीजेआई पर पांचवा आरोप जमीन अधिग्रहण का लगाया है। विपक्ष के मुताबिक, जस्टिस दीपक मिश्रा ने 1985 में एडवोकेट रहते हुए फर्जी एफिडेविट दिखाकर जमीन का अधिग्रहण किया था। एडीएम के आवंटन रद्द करने के बावजूद ऐसा किया गया था। हालांकि, साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने जमीन सरेंडर कर दी थी।

महाभियोग लाने का नियम

- महाभियोग की प्रक्रिया जटिल है। संसद के वर्तमान स्वरुप को देखते हुए, विपक्ष इस प्रक्रिया को पहले चरण से आगे ले जाने में सक्षम नहीं होगा। इस प्रक्रिया में अनुच्छेद 124 (2), 124 (4), 124 (5) और जजेज इन्क्वायरी एक्ट, 1968 की अहम भूमिका होती है। इस प्रकार, सबसे पहले महाभियोग के प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा के 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा दी जाती है।
- राज्यसभा में विपक्ष के पास इसके लिए पर्याप्त संख्या है। इसके बाद, लोकसभाध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति इस प्रस्ताव को ठुकरा या स्वीकार कर सकते हैं। अगर किसी तरह से इन चरणों को पार कर लिया गया, जिसकी संभावना क्षीण है, तब एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमे सुप्रीम कोर्ट के जज, किसी एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक नामचीन जूरिस्ट शामिल होंगे।
- यह समिति संबंधित जज, इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश, के खिलाफ एक ठोस आरोपपत्र तैयार करेगी। यह समिति एक बेंच के तौर पर कार्य करेगी और जरुरी लगने पर गवाहों से पूछताछ करेगी। अपनी कवायद पूरी करने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेगी। अगर समिति महाभियोग प्रस्ताव को मान लेती है, तो उसे दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित होना जरुरी

GS World Committed to Excellence

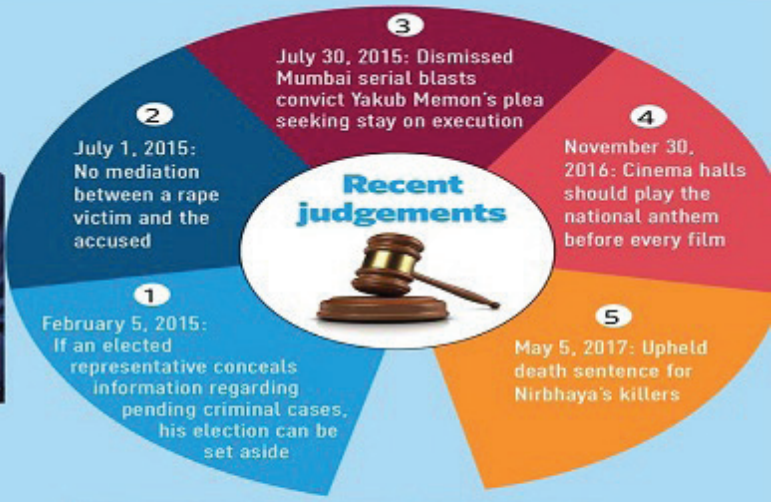

DIPAK MISRA

Born on October 3, 1953 in Cuttack, Orissa. Became an advocate on February 14, 1977. • Served as Chief Justice of the High Court of Patna (December 2009 – May 2010), and as Chief Justice of the High Court of Delhi (May 2010 - October 2011). • Paternal uncle Ranganath Misra was former chief justice of India. • Married to Suprama Misra; daughters Kajal and Sheetal are lawyers.

The challenges

- Heads the three-judge bench hearing petitions challenging the Allahabad High Court verdict in the Ayodhya land dispute case
- Will seek to restore the collegiate nature of the CJI's office
- Has to make six Supreme court appointments and several High Court appointments
- Has to organise a mechanism to reduce pending cases

है। अभी सभी विपक्ष दलों को मिलाकर भी इतना बहुमत नहीं है। इसके आलावा, समिति द्वारा जज को दोषी मान लिए जाने के बावजूद संसद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का विकल्प चुन सकती है।

- अगर इस चरण को भी पार कर लिया जाता है, जोकि पिछले मामलों में नहीं हुआ, तो राष्ट्रपति से उस जज को बर्खास्त करने की सिफारिश की जायेगी। राष्ट्रपति ऐसा तभी करेंगे जब संसद के दोनों सदनों द्वारा उस जज को बर्खास्त करने के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया हो। भारत में महाभियोग का सामना करने वाले जजों की सूची ज्यादा लंबी नहीं है। इस सूची पर निगाह डालने से यह साफ होता है कि यहां महाभियोग की प्रक्रिया कभी भी आखिरी मुकाम तक नहीं पहुंची, लेकिन इसने जजों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर जरुर कर दिया।

इन 6 न्यायाधीशों पर भी चल चुका है महाभियोग

- **2011 में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन** का मामला महाभियोग के काफी करीब पहुंचा। श्री सेन पहले ऐसे जज बने जिनके खिलाफ राज्यसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लोकसभा द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा करने के पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
- **सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी. डी. दिनाकरण** ने भ्रष्टाचार का आरोप में एक न्यायिक जांच समिति का सामना किया। जुलाई, 2011 में संसद द्वारा उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू किये जाने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
- **गुजरात हाईकोर्ट के न्यायधीश जे.बी. पर्दीवाला** के खिलाफ 2015 में राज्यसभा के 58 सदस्यों ने "आरक्षण के मुद्दे पर उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी" के लिए महाभियोग का नोटिस दिया। सांसदों द्वारा राज्यसभा के तत्कालीन सभापति और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को नोटिस सौंपे जाने के कुछ घंटों के भीतर ही न्यायमूर्ति जे.बी. पर्दीवाला ने अपनी टिप्पणी वापस ली।
- **पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वी रामास्वामी** पहले ऐसे जज बने जिनके खिलाफ 1993 में लोकसभा के माध्यम से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गयी। सदन में अनुपस्थित रहने के कांग्रेस पार्टी के निर्णय की वजह से महाभियोग के प्रस्ताव को पारित होने के लिए आवश्यक दो ख़तिहाई बहुमत नहीं जुट सका।
- **आंध्र और तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नागार्जुन रेड्डी** के खिलाफ 2016 में एक दलित न्यायाधीश को प्रताड़ित करने के लिये पद का दुरुपयोग करने का आरोप था। जिसके चलते राज्यसभा के 61 सदस्यों ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के लिये एक याचिका दी थी। बाद में राज्यभा के 54 सदस्यों में से उन 9 ने अपना हस्ताक्षर वापस ले लिया था, जिन्होंने न्यायमूर्ति रेड्डी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का प्रस्ताव दिया था।
- **मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसके गंगेले** के खिलाफ वर्ष 2014 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। जिसके चलते राज्यसभा के 58 सदस्यों ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के लिये एक याचिका दी थी।

* * *

संभावित प्रश्न

देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव की प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हुए न्यायालय की गरिमा और अखंडता को कायम रखने हेतु सरकार द्वारा क्या अपेक्षित कदम उठाये जाने चाहिए? चर्चा कीजिये।

(250 शब्द)

Describing the relevance of impeachment motion in the Parliament against the Chief Justice of India, Deepak Mishra, What steps should the government take to maintain the dignity and integrity of the court? Discuss.

(250 Words)

मृत्युदण्ड जवाब नहीं है

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

23 अप्रैल, 2018

"द हिन्दू"

लेखक- माया जॉन (जीसस और मैरी कॉलेज, नई दिल्ली में सहायक प्रोफेसर)

"हमे बलात्कार के दोषियों को सजा दिलाने के दरों में सुधार और पीड़िता को सशक्त बनाने के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।"

बलात्कारियों के लिए मौत की सजा के लिए विद्रोही मांगों के बीच, रविवार को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर किया जो 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार करने वालों के लिए मौत की सजा की बात करता है। लेकिन इस सबसे कठोर सजा को पेश करने के लिए व्याप्त कोलाहल ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न को संबोधित करने में व्यवस्थित विफलताओं की अधिक जटिल आलोचना को आसानी से दूर कर दिया है।

वैसे लोग जो इस मामले को दुष्कर्म पीड़िता और आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ उनके कड़वी अनुभवों के दृष्टिकोण से इसे देख रहे हैं, इनके लिए बलात्कार के लिए मौत की सजा की मांग करना सबसे आसान है, इसके बावजूद ये दुष्कर्म पीड़िता के लिए सबसे हानिकारक है।

गौरतलब हो कि ऐसे कई उदहारण है जहाँ अपराधियों द्वारा पीड़िता की हत्या कर दी गयी हो, इसलिए ऐसे कठोर बलात्कार विरोधी कानूनों को बचाओं के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह पीड़ितों पर हमला करने के लिए बलात्कारियों को प्रेरित करेंगे, जिससे वे उनके खिलाफ शिकायत ना कर सके।

वास्तव में, धारणा यह है कि कठोर कानून अपराध के लिए पर्याप्त है, लेकिन तथ्य यह भी है कि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रवर्तन के बावजूद भारत में बलात्कार में कमी नहीं आई है, ऐसा कानून जो यौन उत्पीड़न के लिए मृत्युदंड और आजीवन कारावास का निर्धारण करता है, वह पीड़िता के मौत या पूर्ण रूप से उनकी मानसिक स्थिति को अस्वस्थ करने की संभावना को भी सुनिश्चित करता है।

पितृसत्तात्मक प्रभाव

दुनिया भर में महिलाओं ने लगातार यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कई प्रयास किए है और साथ ही अत्यधिक पितृसत्तात्मक विचारों पर नियंत्रण के लिए भी आवाज उठाई है, क्योंकि ये यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों को बल प्रदान करते हैं और इससे बलात्कार से जुड़े कलंक को मजबूतह प्रदान करते हैं। बलात्कार के लिए मौत की सजा की मांग पुलिस जांच में कमी, दोषसिद्ध होने की डर में कमी, न्यायपालिका के भीतर गंभीर दंड देने में हिचकिचाहट की समग्र प्रवृत्ति के कारण है।

भारत में महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन हमले के बढ़ते अनुपात की पूरी प्रक्रिया पर चर्चा की जरुरत है: शुरुआती शिकायतें पुलिस स्टेशनों तक पहुँचती तो जरूर हैं, लेकिन अधिकाँश मामलों में परिणाम के रूप में यौन उत्पीड़कों को निर्दोष मान लिया जाता है।

हमे यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि इस समय से आपराधिक न्याय प्रणाली को और बेहतर करने की आवश्यकता है, ऐसा इसलिए भी क्योंकि पुलिस द्व ारा लापता व्यक्ति कि शिकायत दर्ज करने और यौन पीड़िता की लिखित शिकायतों को दर्ज करने में जान बूझकर देरी की जाती है।

इस तरह की पुलिस निष्क्रियता का कारण अक्सर वर्ग, जाति, धर्म और लिंग के मौजूदा पूर्वाग्रहों से जुड़ा हुआ रहता है। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुलिस जांच में देरी न्याय में बाधक बनने के बराबर होती है, क्योंकि इससे अपराधियों को महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने का अवसर मिल जाता है।

पीड़िता को पुलिस द्वारा दी जाने वाली यातनाएं और अस्पतालों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक और प्रासंगिक मुद्दा है जो निरंतर विचलित करता है।

इसके अलावा, पुलिस जांच की असंवेदनशील विधियों, चार्जशीटों की खराब फाइलिंग, फोरेंसिक रिपोर्ट में देरी, असंवेदनशील परामर्श, पीड़िता को मुआवजे का असमान वितरण, गलत व्यवहार द्वारा पूछताछ, अपर्याप्त गवाह संरक्षण और बोझिल अदालत कार्यवाही एक साथ मिलकर पीड़िता की शिकायत को कमजोर बना देता है।

निम्न दोषसिद्धि दर

दंड का स्तर और गंभीरता का राग गाने के बजाये, हमें बलात्कार के लिए निम्न दोषसिद्धि दर के मुद्दे को उजागर करना होगा। इस तथ्य को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा में अच्छी तरह से देखा जा सकता है, जहाँ बार-बार यौन अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों के उच्च आंकड़े को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

क्या काम करेगा

पुलिस और न्यायिक प्रणालियों में सुधारों के माध्यम से और पीड़िता को पुनर्वास और सशक्त बनाने के उपायों को सुनिश्चित कर भारत की बढ़ती बलात्कार की संस्कृति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। देखा जाये तो, एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में बीते वर्ष 993 लोगों को मौत की सजा दी गई। यदि मृत्युदंड देने से ही लोगों को सुधारा जा सकता तो चीन कब का अपराधमुक्त देश बन चुका होता। इसके बावजूद चीन में मृत्युदंड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

इससे जाहिर है कि मृत्युदंड से किसी अपराध को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका भय दिखाकर किसी की मानसिकता में बदलाव नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इस सजा को क्रूर मानते हुए विश्व में इसकी पाबंदी को लेकर सतत् मुहिम छेड़े हुए है।

विश्व के कई देशों ने इस सच्चाई को स्वीकार किया है कि मृत्युदंड देने से अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। गुएना और मंगोलिया जैसे पिछड़े देशों ने इस अमानवीय सजा को खत्म कर दिया। गंबाला ने वैश्विक संधि पर हस्ताक्षर करके मृत्युदंड नहीं देने का वादा किया है।

वर्त्तमान में हमे फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के लिए संसाधनों का अधिक आवंटन; वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर; गवाहों के संरक्षण हेतु उचित प्रबंधन; पीड़िता के लिए अधिक विस्तृत मुआवजा और मौजूदा बाल संरक्षण सेवाओं का नियमित रूप से निरीक्षण जैसे उपायों को शामिल करने पर ध्यान देना होगा। जब तक इन मुद्दों को संबोधित नहीं किया जाता है, तब तक इस मामले की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा।

* * *

GS World टीम...

क्या है पॉक्सो एक्ट

- पोक्सो, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (Protection of Children from Señual Offenees Act – POCSO) का संक्षिप्त नाम है।
- पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इसके तहत बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- 2012 में बने पॉक्सो एक्ट के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान है। जिसका सख्ती से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है।

पॉक्सो एक्ट में सजा

- इस कानून की धारा 3 के तहत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्टश्को परिभाषित किया गया है।
- पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में बच्चे के साथ दुष्कर्म या कुकर्म के मामले को शामिल किया गया है। जिसके तहत 7 साल से लेकर उम्रकैद और अर्थदंड का प्रावधान है।
- पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अधीन वे मामले लाए जाते हैं जिनमें बच्चों को दुष्कर्म या कुकर्म के बाद गम्भीर चोट पहुंचाई गई हो। इसमें दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- इस अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत वो मामले शामिल किए गए हैं, जिनमें बच्चों के गुप्तांग से छेडछाड़ की जाती है। इस धारा में पाए गए दोषियों को 5 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान है।
- वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा-11 में बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट को परिभाषित किया गया है। जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति बच्चों को गलत नियत से छूता है या सेक्सुअल हरकतें करता है या उसे पोर्नोग्राफी दिखाता है तो उसे इस धारा के तहत 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है।
- बता दें कि 18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों के साथ किया गया किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के अन्तर्गत आता है।
- पॉक्सो एक्ट लड़के और लड़कियों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं इस कानून के तहत रजिस्टर मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है।

संवैधानिक मौलिक अधिकार

- भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार पुरुषो की तरह सभी क्षेत्रो मे महिलाओ को बराबर अधिकार देने के लिए कानूनी स्थिति है। भारत मे बच्चो और महिलाओ के उचित विकास हेतु इस क्षेत्र मे महिला और बाल-विकास अच्छे से कार्य कर रहा है ।
- संविधान के अनुच्छेद-14 मे कानूनी समानता, अनुच्छेद-15 (3) मे जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना।
- अनुच्छेद-16 (1) मे लोक सेवाओ मे बिना भेदभाव के अवसर की समानता। अनुच्छेद-19 (1) मे समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद-21 मे स्त्री एवं पुरुषो दोनो को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना।
- अनुच्छेद-23-24 मे स्त्री एवं पुरुष दोनो को ही शोषण के विरूद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त।
- अनुच्छेद-25-28 मे धार्मिक स्वतंत्रता दोनो को समान रूप से प्राप्त।
- अनुच्छेद-29-30 मे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार।
- अनुच्छेद-32 मे संवैधानिक उपचारो का अधिकार।
- अनुच्छेद-39(घ) मे पुरुषो एवं स्त्रियो दोनो को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार।
- अनुच्छेद-42 महिलाओ हेतु प्रसुति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था।
- अनुच्छेद-51(क)(ड) मे भारत मे सभी लोग ऐसी प्रथाओ का त्याग करे जो स्त्रियो के सम्मान के विरुद्ध हो।
- अनुच्छेद-33 (क) मे प्रस्तावित 84वे संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा मे महिलाओ के लिए आरक्षण की व्यवस्था।
- अनुच्छेद-332 (क) मे प्रस्तावित 84वें संशोधन के जरिए राज्यों की विधानसभाओ मे महिलाओ के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।
- गर्भावस्था मे ही मादा भ्रूण हत्या करने के उद्देश्य से लिंग परीक्षण को रोकने हेतु पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 निर्मित किया गया।इसका पालन न करने वालो को 10-15 हजार रुपए का जुर्माना तथा 3-5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दहेज जैसे सामाजिक अभिशाप से महिला को बचाने के लिए 1961 मे 'दहेज निषेध अधिनियम' बनाया गया। 1986 मे इसे भी संशोधित कर समयानुकूल बनाया गया।

* * *

संभावित प्रश्न

हाल ही में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर नियंत्रण पाने हेतु सरकार द्वारा लाये गये मृत्युदंड जैसे कठोर दण्ड के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए बताये कि क्या यह कानून इस समस्या के निदान हेतु प्रभावी साबित होगा? तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत कीजिये। (250 शब्द)

Explain whether the provision of rigorous punishment like death penalty brought by the government to have control over heinous crime such as rape, will prove to be effective for the resolution of this problem? Give answer with reasons. (250 words)

GS World Committed to Excellence

भारत और चीन संबंध

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

24 अप्रैल, 2018

"इंडियन एक्सप्रेस"

लेखक- सी. राजा मोहन (निदेशक, कार्नेगी इंडिया, दिल्ली)

"प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक शिखर सम्मेलन, उन्हें द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिबिंबित करने और व्यावहारिक लक्ष्यों को निर्धारित करने का अवसर प्रदान करेगा।"

यांग्त्जी के तट पर वुहान शहर में इस सप्ताह के अंत में एक 'अनौपचारिक शिखर सम्मेलन' से सहमत होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने का फैसला किया है।

हांलाकि, भारत और चीन के लिए नेता-नेतृत्व वाला संबंध इतनी जल्दी नहीं संभव है। दुनिया में कुछ प्रमुख द्विपक्षीय संबंध ऐसे हैं जो नौकरशाही के गिरफ्त से अधिक प्रभावित है, जिसमें दिल्ली और बीजिंग भी शामिल है। दोनों पक्षों के पेशेवर कुछ हद तक अब ऐसी कोड में बात करते हैं जो उनके कुछ विदेशी कार्यालय के सहयोगी ही समझ सकते हैं।

दोनों बड़े राष्ट्रों के बीच व्याप्त अंतर ठीक हो सकता है अगर इसे दीर्घकालिक और बड़ी द्विपक्षीय वार्ताओं द्वारा सुलझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दुखद तथ्य यह है कि ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं रहा है।

साधारण तथ्य पर विचार करें तो हम पाएंगे कि दोनों देश अपनी विवादित सीमा की लंबाई पर भी सहमत नहीं हैं। जहाँ एक तरफ दिल्ली इसे 4,000 किमी कहती है तो वहीं दूसरी तरफ बीजिंग का कहना है कि यह लगभग 2,000 किमी हो सकता है।

हालांकि भारत और चीन के बीच एक अनौपचारिक शिखर बैठक का प्रारूप नया हो सकता है, दोनों देशों ने इसे अन्य देशों के साथ प्रयोग भी किया है। शी जिनपिंग ने ओबामा (कैलिफोर्निया में सनीलैंड्स) और डोनाल्ड ट्रम्प (फ्लोरिडा में मार-ए-लागो में) के साथ ऐसी बैठकें की हैं।

मोदी ने भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों के साथ अपनी भागीदारी के लिए अनौपचारिक आयाम स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। लेकिन वुहान में शी के साथ दो दिवसीय बैठक शायद मोदी का पहला पूर्ण अनौपचारिक शिखर सम्मेलन है।

यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस तरह के शिखर सम्मेलन का निर्णय द्विपक्षीय संबंधों में सबसे बुरे वर्षों के बाद आता है। डोकलाम का विवाद दोनों देशों के बीच 2017 की गर्मियों में 72 दिनों के गतिरोध के रूप में रहा था जो आसानी से परमाणु सशस्त्र एशियाई दिग्गजों के बीच एक पूर्ण युद्ध के रूप में बदल सकता था।

पिछले साल सीमा पार आतंकवाद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की भारत की सदस्यता के लिए पाकिस्तान के समर्थन के सवाल पर मतभेदों को और बढ़ते देखा गया था। एशिया में कनेक्टिविटी के सवाल पर विचलन एक नया स्पष्ट क्षेत्र उभर कर सामने आया है। जहाँ भारत शी जिनपिंग के बेल्ट और रोड पहल में शामिल न होकर सबसे मजबूत आलोचक बन गया और इस विवाद ने दोनों देशों के रिश्ते को और अधिक खराब कर दिया।

विशिष्ट समस्याओं को ठीक करने के लिए उच्च स्तरीय जुड़ाव अक्सर उपयोगी होता है। हमें यह याद रखना होगा कि पिछले साल एक बहुपक्षीय सम्मेलन के मार्जिन पर अनौपचारिक वार्ता ने दोनों नेताओं को डोकलाम टकराव को कम करने के लिए अपने नौकरशाहों को आगे रखा था। लेकिन वर्ष 2016 में, दोनों नेताओं के बीच सीधी बातचीत एनएसजी की भारत की सदस्यता पर मतभेदों को हल करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी।

भारत और चीन के बीच की समस्याओं की गहराई और चौड़ाई को देखते हुए, वुहान शिखर सम्मेलन में नाटकीय सफलता की उम्मीद करना मूर्खता होगी। उदाहरण के लिए, संबंधों की वर्तमान स्थिति पर विचार करें। सीमा विवाद को हल करने के लिए बातचीत लंबे समय से अवरुद्ध है,यहां तक कि सीमा की संरचना दो सशस्त्र बलों के बीच सीमित हो गई है।

तिब्बत और कश्मीर दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद के संकल्प को जटिल बनाते रहे हैं। सीमा पर कठिनाइयां केवल द्विपक्षीय नहीं हैं; यहाँ उत्तरी सीमा पर तीन अन्य देश - पाकिस्तान, नेपाल और भूटान- भी इसमें शामिल हैं।

यह तनाव हिमालय तक सीमित है, जो लगातार भारत-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर, चीन के साथ व्यापार घाटे का बढ़ना जारी है और विश्व के साथ भारत के कुल घाटे के एक तिहाई से अधिक का निर्माण करता है।

ये मुद्दे दोनों नेताओं के बीच एक बैठक के लिए उपयुक्त नहीं हैं। न ही मोदी और शी एक-दूसरे को खुश करने के लिए तीसरे पक्ष के साथ अपने रिश्ते की प्रकृति को बदल सकते हैं। दिल्ली यह नहीं कह सकता कि चीन की सभी साझेदारी में पाकिस्तान शामिल ना हो और न ही बीजिंग यह उम्मीद कर सकती है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर रोक लगा देगा।

देखा जाये तो, दोनों देशों के बीच संबंधों को बेदखल करने वाले मुद्दों की प्रकृति निश्चित रूप से 2017 और 2018 के बीच नहीं बदली है। कुछ सालों के बाद कि प्रमुख शक्तियों और पड़ोसियों के पास चीन के उदय को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, बीजिंग अब ट्रम्प द्वारा बड़े पैमाने पर भूगर्भीय जोखिम को कवर करने के लिए लचीलेपन का संकेत दे रहा है।

चूंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संभावित समझौता के पड़ताल की कोशिश है, इसलिए चीन, जापान, वियतनाम और भारत समेत अपने एशियाई पड़ोसियों तक पहुंच बना रहा है।

अनौपचारिक शिखर सम्मेलन नेताओं के बीच वार्ता के संबंध में नहीं हैं। वुहान में, मोदी और शी के पास एक-दूसरे की चिंताओं और हितों की बेहतर सराहना करने का अवसर है, दोनों देशों के बीच कई समस्याएं मौजूद है जिन पर उन्हें विचार करने, रिश्ते की पुनर्निर्देशन की कल्पना करने, व्यावहारिक लक्ष्यों को निर्धारित करने और नौकरशाहों को उन परिणामों का बेहतर रूप से उपयोग करने पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 27-28 अप्रैल को बातचीत होगी। इस मुलाकात पर दोनों देशों की जनता के साथ-साथ दुनिया की नजरें टिकी हैं। क्योंकि अचानक पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर कोई बातचीत का खास एजेंडा तय नहीं है। ऐसे में जिन मुद्दों पर बात होगी वो बेहद अहम होंगे।

भारत-चीन संयुक्त आर्थिक समूह

- भारत-चीन JEG मंत्रिस्तरीय वार्ता है जिसे 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की चीन यात्रा के दौरान स्थापित किया गया था।
- ऐसी पिछली बैठक (10वीं JEG) सितंबर 2014 में बीजिंग में आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने और इसमें विविधता लाने के लिये सहमति दी थी।
- 2012 में 9वीं JEG के दौरान दोनों पक्षों ने आर्थिक और व्यापार योजना सहयोग, व्यापार सांख्यिकीय विश्लेषण और सेवा व्यापार संवर्द्धन पर तीन वर्किंग ग्रुप स्थापित किये थे।

11वीं JEG के प्रमुख बिंदु

- 11वीं JEG की सह-अध्यक्षता दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों द्वारा की गई थी।
- दोनों देशों ने एक निश्चित कार्ययोजना और समयसीमा के साथ एक मध्यम और दीर्घकालिक रोडमैप तैयार करने के लिये सहमति व्यक्त की, ताकि +51 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार घाटे का समाधान किया जा सके।
- दोनों मंत्रियों ने संतुलित एवं सतत् द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के प्रति अपनी कटिबद्धता दोहराते हुए चीन और भारत के बीच सितंबर 2014 में हस्ताक्षरित 'आर्थिक एवं व्यापार सहयोग के लिये पंचवर्षीय विकास कार्यक्रम' में चिह्नित पहलों को और आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है।
- सितंबर, 2014 में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देकर वर्ष 2019 तक द्विपक्षीय व्यापार संतुलन के लिये समझौता किया गया था।
- चीनी पक्ष ने गैर-बासमती चावल, रेपसीड भोजन, सोया भोजन, अनार एवं अनार छिल्का, भिंडी, केला और अन्य फलों एवं सब्जियों से संबंधित भारतीय कृषि उत्पादों के साथ-साथ बोवाइन मीट के बाजार तक पहुँच को संवर्द्धित करने के लिये अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- दोनों पक्षों ने फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लक्ष्य के लिये अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें चीन के बाजारों को भारतीय फार्मा उत्पादों के निर्यात से जुड़े मुद्दों, जैसे- नॉन-टैरिफ बाधाओं को सुलझाना भी शामिल है।
- निवेश को बढ़ावा देने के लिये एक अधिक स्थिर, पारदर्शी और प्रीडिक्टबल कानूनी वातावरण सुनिश्चित करने हेतु द्विपक्षीय निवेश समझौते को रीनिगोशीएट करने पर भी दोनों पक्ष सहमत हुए हैं।
- दोनों पक्षों ने अपने साझा हितों को बनाए रखने के लिये विश्व व्यापार संगठन के साथ-साथ अन्य बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय ढाँचे के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताने के साथ ही नियम आधारित बहुपक्षीय वैश्विक व्यायपार के लिये अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

व्यापार घाटा (Trade Deficit)?

- जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है तो इसे व्यापार घाटा कहते हैं। इसे नकारात्मक व्यापार संतुलन भी कहा जाता है।
- स्पष्ट है कि जब आयात अधिक होगा तो विदेशी मुद्रा, विशेष रूप से डॉलर में भुगतान होने के कारण देश में विदेशी मुद्रा (डॉलर) की कमी होगी।
- जब विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है, तो उसकी माँग भी बढ़ती है और रुपया उसके मुकाबले कमजोर हो जाता है।
- रुपए के कमजोर होने से उसकी कीमत में गिरावट आती है। ऐसी परिस्थिति में आयातकों को विदेशों से माल के आयात के लिये अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।
- इस तरह आयात महँगा हो जाता है। इसके विपरीत निर्यातकों को फायदा होता है।
- व्यापार घाटे में केवल वस्तुओं के आयात-निर्यात को शामिल किया जाता है, जबकि चालू खाते के घाटे में अदृश्य मदों, यथा-सेवाओं को भी शामिल किया जाता है।
- वस्तुओं के मामले में भारत हमेशा से ही घाटे की स्थिति में रहा है क्योंकि भारत के समग्र आयात में कच्चे तेल की हिस्सेदारी काफी अधिक है, किन्तु सेवाओं के मामले में भारत की स्थिति सकारात्मक रहती है।
- भारत में कच्चे तेल की माँग का एक बड़ा भाग आयात से पूरा किया जाता है। कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है।
- जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका प्रभाव भारत के व्यापार घाटे पर पड़ता है।
- अधिक व्यापार घाटे का मतलब है कि कोई देश कुछ उत्पादों को घरेलू स्तर पर उत्पादित करने की बजाय अन्य देशों से आयात कर रहा है।
- इससे स्थानीय कंपनियाँ व्यवसाय से बाहर निकलना शुरू कर देती हैं और उस क्षेत्र में रोजगारों की संख्या भी कम होने लगती है।
- यही कारण है कि हाल ही में अमेरिका ने चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार में उच्च व्यापार घाटे (लगभग 370 बिलियन डॉलर) के कारण अमेरिका में 20 लाख नौकरियों के नुकसान का हवाला देते हुए चीन से लगभग 60 अरब डॉलर के आयात पर शुल्क आरोपित किया है।

* * *

संभावित प्रश्न

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चीन में ष्अनौपचारिक शिखर सम्मेलनष में भाग लेना दोनों देशों के संबंधों को बेग्तर बनाने में काफी मददगार सिद्ध हो सकता है। इस कथन के सन्दर्भ में भारत-चीन संबंध को स्पष्ट करे। **(250 शब्द)**

Participation in Prime Minister Modi's "informal summit" in China can prove to be very helpful in making relations between the two countries strong. In relation to this statement, clarify the Indo-China relationship. (250 words)

आर्थिक अपराधियों पर नकेल

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

25 अप्रैल, 2018

"द हिन्दू"

''अध्यादेश पर्याप्त नहीं है; सरकार को कई और कानूनी खामियों पर विचार करने की आवश्यकता है।''

पिछले शनिवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से दिल्ली लौटने के कुछ घंटों के भीतर ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश में किसी व्यक्ति को आर्थिक अपराध का भगोड़ा घोषित करने के लिए धनशोधन कानून 2002 के तहत विशेष अदालत का प्रावधान किया गया है।

आर्थिक अपराध का भगोड़ा उस व्यक्ति को कहा जाता है, जिसके खिलाफ अनुसूचित अपराध में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है और वह आपराधिक अभियोग से बचने के लिए देश से पलायन कर चुका है या विदेश में निवास कर रहा है और आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत आने से इनकार करता है।

हाल के हफ्तों में, बैंकों को अनिवार्य रूप से 50 करोड़ से ऊपर उधार लेने वालों के पासपोर्ट विवरण एकत्र करने के लिए कहा गया है और कुछ विलफुल्ल डिफॉल्टर्स के पासपोर्ट भी जब्त किये जा रहे हैं।

यह देखते हुए कि प्रस्तावित कानून की घोषणा एक साल पहले की गई थी। बजट 2017-18 पेश करते समय वित्त मंत्री ने न्याय प्रणाली से बचने के लिए देश से भागने वाले अपराधियों के उदाहरणों का उल्लेख किया था और कहा था कि सरकार ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने के लिए कानून देख रही है, जब तक कि वे कानून का सामना न करें।

हालांकि इस अध्यादेश के तहत धोखाधड़ी, चेक लौटने तथा ऋण का भुगतान नहीं किये जाने के वैसे मामले ही आएंगे जो 200 करोड़ रुपये से अधिक के हों। इस अध्यादेश के तहत व्यक्ति को भगोड़ा घोषित करने और उसकी अपराध से अर्जित सम्पत्तियों की कुर्की और नीलामी के लिए आवेदन करना होगा।

सितंबर तक, वित्त और कानून मंत्रालय एक मसौदे विधेयक पर सहमत हुए थे, लेकिन यह केवल एक सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था, जो समर्थन प्राप्त नहीं होने के कारण पारित नहीं हो सका। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार फरार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, खासतौर पर आर्थिक दुश्मनों और विलुप्त डिफॉल्टर्स के लिए।

देश के शराब व्यापारी विजय माल्या का देश छोड़ कर भाग जाने की घटना काफी चिंतनीय है, क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस पर भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया ऋण है। श्री माल्या और पूर्व इंडियन प्रीमियर लीग के कमिश्नर ललित मोदी, जो विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन के लिए प्रवर्तन निदेशालय के जांच का सामना कर रहे हैं, ब्रिटेन में हैं।

उन्होंने एनडीए सरकार के वक्त अपनी सुरक्षा हेतु भारत को छोड़ दिया था। इसके अलावा, हीरा व्यापारियों नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और उनके सहयोगियों ने 12,800 करोड़ रुपये से अधिक देश के दूसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को धोखा दिया।

इसकी जरूरत बताते हुए बयान में कहा गया कि इस तरह के अपराधियों के भारतीय अदालतों के सामने हाजिर नहीं होने से जांच में बाधाएं आती हैं तथा अदालत का समय बर्बाद होता है। इससे कानून का शासन भी कमजोर होता है। बयान में कहा गया, ''कानून में मौजूद दीवानी एवं फौजदारी प्रावधान इस तरह की समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं हैं।''

भारत वर्त्तमान में मोदी या श्री माल्या को वापस लाने के स्थिति में नहीं है। पिछले हफ्ते अपने ब्रिटिश समकक्ष थेरेसा मे के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के दौरान उनकी वापसी के लिए बातचीत की गयी थी, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। इस बीच, हालांकि सरकारी एजेंसियों ने भारत में हीरा व्यापारी की दोनों जगह की संपत्तियों को संलग्न किया है, लेकिन अमेरिकी अदालत ने अन्य अधिकार क्षेत्र के सन्दर्भ में इसे खारिज कर दिया।

इसका कारण यह है कि भारत ने अभी तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीमा पार दिवालिया मामलों के लिए एक आदर्श कानून को पारित नहीं किया है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह अध्यादेश इस प्रमुख समस्या से जूझ सकता है या नहीं।

हो सकता है कि सरकार ने धोखाधड़ी के इन मामलों के कारण विरोध को दबाने हेतु इस अध्यादेश का चयन किया हो, लेकिन इसे उन भगोड़ों को वापस लाने की अपनी योजनाओं के बारे में एक सुसंगत दृष्टि प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो पहले से ही दूर हो चुके हैं और इस सिस्टम में व्याप्त कमियों को सुधारना होगा।

* * *

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में आर्थिक अपराध कर देश छोड़कर भागने वाले अपराधियों पर सरकार सख्ती करने के उद्देश्य से ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त करने से जुड़े आर्थिक अपराध अध्यादेश 2018 को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी।

सरकार क्यों लाई अध्यादेश?

- केंद्र सरकार ने लोकसभा में 12 मार्च को भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल 2018 पेश किया था, लेकिन हंगामे के चलते यह बिल पास नहीं हो पाया। यही वजह है कि सरकार अब इसे अध्यादेश के रूप में लाई है।

किसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी?

- अध्यादेश के प्रावधान के मुताबिक, फाइनेंशियल फ्रॉड कर रकम चुकाने से इनकार करने वालों पर।
- आर्थिक अपराध में जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो।
- 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया वाले बैंक लोन डिफॉल्टर्स पर।
- भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियां बेचकर भी कर्ज देने वालों की भरपाई की जा सकेगी।

भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई कौन करेगा?

- अध्यादेश के प्रावधान के मुताबिक, डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर स्तर का अधिकारी किसी आरोपी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर सकेगा। इसके लिए विशेष अदालत में याचिका देनी होगी। इसमें आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत देने होंगे।

आरोपी को पेश होने का समय मिलेगा

- आवेदन मिलने के बाद स्पेशल कोर्ट आरोपी को 6 हफ्ते के अंदर पेश होने के लिए नोटिस जारी करेगा। अगर आरोपी तय जगह पर पेश हो जाता है तो कोर्ट भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल के तहत कार्रवाई नहीं करेगा।

विधेयक की मुख्य-मुख्य बातें

- किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन करना।
- इस आवेदन में किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी मानने के कारण, वर्तमान में वह कहाँ हो सकता है इसकी कोई उपलब्ध सूचना, संबंधित संपत्ति और इस संपत्ति से जुड़े सभी लोगों की जानकारी का उल्लेख होना चाहिये।
- भगौड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में घोषित व्यक्तिं की संपत्ति को जब्त करना और अधिनियम के अंतर्गत जब्त की गई संपत्ति के प्रबंधन व निपटान के लिये एक प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी।
- भगौड़ा आर्थिक अपराधी होने के आरोपित व्यक्ति को विशेष न्यासयालय द्वारा नोटिस जारी करना।
- भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित व्यक्ति के अपराध के फलस्वरूप कमाई गई संपत्ति को जब्त करना।
- ऐसे अपराधी की बेनामी संपत्ति सहित भारत और विदेशों में मौजूद अन्य संपत्तियों को जब्त करना
- भगौड़े आर्थिक अपराधी को किसी सिविल दावे का बचाव करने से अपात्र बनाना।
- हालाँकि ऐसे मामले में जहाँ किसी व्यक्ति के भगौड़ा घोषित होने के पूर्व किसी भी समय कार्यवाही की प्रक्रिया के दौरान आर्थिक अपराधी भारत लौट आता है और सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश होता है, तो उस स्थिति में प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही रोक दी जाएगी।
- सभी आवश्यक संवैधानिक रक्षा उपाय जैसे अधिवक्ता के माध्यम से व्यक्ति को सुनवाई का अवसर, उत्तर दाखिल करने के लिये समय प्रदान करना, उसे भारत अथवा विदेश में समन भिजवाना तथा उच्च न्यायालय में अपील करने जैसे प्रावधान शामिल किये गए हैं।

प्रभाव

- इस विधेयक से भगौड़ा आर्थिक अपराधियों के संबंध में विधि के शासन की पुनर्स्थापना होने की आशा है क्योंकि इससे उन्हें सूचीबद्ध अपराधों संबंधी मुकदमे का सामना करने हेतु भारत वापस आने के लिये बाध्य किया जाएगा।
- इससे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को इस तरह के भगोड़ा आर्थिक अपराधियों के वित्तीय बकाया की उच्च वसूली करने में मदद मिलेगी जिससे इन संस्थानों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
- यह आशा की जाती है कि भारत और विदेशों में भगौड़े अपराधियों की संपत्तियों को तेजी से जब्त करने, उन्हें भारत लौटने और सूचीबद्ध अपराधों के संबंध में कानून का सामना करने के लिये बाध्य कर भारतीय न्यायालयों के समक्ष पक्ष रखने के लिये एक विशेष तंत्र का सृजन किया जा सकेगा।

अध्यादेश किसे कहते है?

- **अध्यादेश की परिभाषा :** वह अधिकारिक आदेश जो, किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए राज्य के 'प्रधान' शासक द्वारा जारी किया जाए या निकाला जाए, उसे अध्यादेश कहा जाता है। साफ शब्दों में कहे तो सरकार आपात स्थिति में किसी कानून को पास कराना चाहती है, लेकिन उसे अन्य दलों का समर्थन उच्च सदन में प्राप्त नहीं हो रहा है, तो सरकार अध्यादेश के रास्ते इसे पास करा सकती है।
- **अध्यादेश की अवधि (समय सीमा) :** अध्यादेश की अवधि केवल 6 सप्ताह की होती है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा पास कराने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता हैं, लेकिन अध्यादेश को 6 हफ्ते के भीतर फिर से संसद के पास वापस आ जाता है। इसके बाद फिर से इसे सामान्य बिल के तौर पर सभी चरणों से गुजरना पड़ता है।

- **अध्यादेश कौन जारी करता है? :** राष्ट्रपति द्वारा सरकार के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद-123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जा सकता हैं, जब दोनों सदनों में से कोई भी सत्र में न हो। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है।
- अध्यादेश किसी भी विधेयक को पारित करने का अस्थायी तरीका है। कोई भी अध्यादेश सदन के अगले सत्र के अंत के बाद 6 हफ्तों तक बना रहता है। जिस भी विधेयक पर अध्यादेश लाया गया हो, उसे संसद के अगले सत्र में वोटिंग के जरिये पारित करवाना होता है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो राष्ट्रपति इसे दोबारा भी जारी कर सकते हैं। संविधान के रचनाकारों ने अध्यादेश का रास्ता ये सोचकर बनाया था कि किसी आपातकालीन स्थिति में जरूरी विधेयक पारित किए जा सकें। इस स्थितियों के उदाहरण इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी और वो समय जब 1996 से लेकर 1998 तक सरकार गिरने बनने का दौर चल रहा था।

सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी करने वाला राष्ट्रपति

- भारत के पाँचवें राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति थे। वर्ष 1975 में संविधान के अनुच्छेद-352 के तहत फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी।

अध्यादेश के प्रयोग की सीमाएं

- राष्ट्रपति उन्हीं विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है।
- अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद में केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो क्योंकि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना होता है। हालांकि जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो तो उस समय जारी किया गया अध्यादेश अमान्य माना जाएगा।
- अध्यादेश के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है क्योंकि अनुच्छेद 13(क) के अधीन विधि शब्द के अंतर्गत 'अध्यादेश' भी शामिल है।
- राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद के पुन: सत्र में आने के 6 सप्ताह के अन्दर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन मिलना जरूरी है अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि बीत जाने पर अध्यादेश प्रभावहीन हो जाएगा।
- कूपर केस (1970) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। हालांकि 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी और न्यायिक समीक्षा से परे होगी। परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस उपबंध को खत्म कर दिया गया और अब राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है।
- राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को अस्पष्टता, मनमाना प्रयोग, युक्तियुक्त और जनहित के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।
- राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को उसके द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।
- राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश उस परिस्थिति में भी जारी किया जा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी विधि को अविधिमान्य घोषित कर दिया गया हो और उस विषय में कानून बनाना जरूरी हो।
- संसद सत्रावसान की अवधि में जारी किया गया अध्यादेश संसद की अगली बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संसद इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो संसद की दुबारा बैठक के 6 हफ्ते पश्चात अध्यादेश समाप्त हो जाता है। अगर संसद के दोनों सदन इसका निरामोदन कर दे तो यह 6 हफ्ते से पहले भी समाप्त हो सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों को अलग-अलग तिथि में बैठक के लिए बुलाया जाता है तो ये 6 सप्ताह बाद वाली तिथि से गिने जाएंगे।
- किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने, संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में 6 सप्ताह होती है।
- अध्यादेश विधेयक की तरह ही पूर्ववर्ती हो सकता है अर्थात् इसे पिछली तिथि से प्रभावी किया जा सकता है। यह संसद के किसी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित अथवा निरसित कर सकता है। यह किसी कर कानून को भी परिवर्तित कर सकता है। हालांकि संविधान संशोधन हेतू अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अनुच्छेद 352 में वर्णित आपातकाल से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह ने होने की स्थिति में भी अध्यादेश जारी कर सकता है।

संभावित प्रश्न

देश के कानून का मजाक बनाकर और देश के पैसों का गबन कर देश छोड़कर बाहर भागे अपराधियों के लिए हाल ही में सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश कहा तक प्रभावी होगा और सरकार द्वारा ऐसे मामलों के संबंध में और कौन-कौन से कदम उठाये जाने चाहिए? तर्क सहित उत्तर दीजिये। (250 शब्द)

To what extent the order passed by the government recently will be effective for the criminals mocking the law of the country, embezzling the money of the country and running out of the country and what other steps should be taken by the government regarding such cases? Give answer with reason. (250 words)

अफस्पा से राहत

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

26 अप्रैल, 2018

*''हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को मेघालय से विवादास्पद आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स ऐक्ट (AFSPA) को पूरी तरह से हटा लिया। अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों से भी इस ऐक्ट को हटा दिया गया है। इस कानून के तहत सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार मिलते हैं, जिसका काफी समय से विरोध किया जाता रहा है।'' **इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू'' एवं ''इंडियन एक्सप्रेस''** में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे **"GS World"** टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

''द हिन्दू''

(अफस्पा की समीक्षा)

''सरकार द्वारा अफस्पा का कुछ क्षेत्रों में किया गया निरसन एक स्वागतयोग्य पहल तो है, लेकिन क्या इस कानून को सभी जगहों से हटाया नहीं जाना चाहिए?''

मेघालय में विवादास्पद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को रद्द करने और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों से इसे हटाने का केंद्र के निर्णय का स्वागत है क्योंकि यह विशेष कानून के उपयोग पर पुनर्विचार करने की इच्छा को दर्शाता है जब वास्तविक स्थिति में सुधार हो रही हो। मेघालय में 'अशांत क्षेत्रों' की सीमा पहले असम के साथ अपनी सीमा के 20 किमी के भीतर ही सीमित थी। सम्पूर्ण नागालैंड, असम और मणिपुर के अधिकांश इलाकों में इम्फाल में सात विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, इस कानून के तहत जारी है, जो अधिसूचित क्षेत्रों में चल रही सुरक्षा बलों के लिए अभियोजन पक्ष से कुल प्रतिरक्षा के बिंदु पर सुरक्षा प्रदान करती है।

अरुणाचल प्रदेश में, असम के सीमा के अंतर्गत तीन जिलों में अफस्पा के तहत के क्षेत्रों को पिछले 16 की बजाय आठ पुलिस स्टेशनों की सीमा तक घटा दिया गया है।

यह केवल पिछले महीने था कि अधिनियम असम में छह महीने तक बढ़ाया गया था, भले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति में काफी सुधार हुआ है। जनवरी से छह महीने तक नागालैंड में अफस्पा बढ़ाया गया था।

इस बात का कोई संकेत नहीं है कि कानून की शक्ति को कमजोर बना दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ-साथ इसके उपयोग के क्षेत्र को समय के साथ क्रमशः कम भी किया जाना चाहिए। इसे 2015 में त्रिपुरा में वापस ले लिया गया था। असम को यह तय करने का अधिकार दिया गया है कि उसे अफस्पा कानून की कितनी आवश्यकता है।

भले ही पर्याप्त सबूत हैं कि इस कानून को जहां भी लागू किया गया है, वहां सुरक्षा बलों के बीच दंड की भावना पैदा हुई है, फिर भी केंद्र अभी भी इस अधिनियम को रद्द करने से बहुत दूर है, मुख्य रूप से सेना अपनी निरंतरता का पक्ष लेती है।

''इंडियन एक्सप्रेस''

(अफस्पा का खात्मा)

''पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में कोई 27 साल बाद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) का खात्मा उग्रवाद से जूझ रहे समूचे इलाके के लिए एक सकारात्मक संकेत है।''

केंद्र द्वारा पूरे मेघालय राज्य से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (अफस्पा) को वापस लेना और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अपने ऑपरेशन को प्रतिबंधित करना एक बेहतर प्रयास है। वर्ष 2017 में इन राज्यों से विद्रोह की किसी भी घटना की सूचना नहीं मिली है।

तीन साल पहले, मणिक सरकार की सरकार ने इस तथ्य के आधार पर त्रिपुरा से इस अधिनियम वापस ले लिया था कि राज्य में विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यह अधिनियम असम, नागालैंड और मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में अभी भी लागू है।

अफस्पा एक कठोर कानून है जो सशस्त्र बलों को नागरिको पर असाधारण विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है। बेशक, इसे चरम परिस्थितियों में और स्थानीय प्रशासन की याचिका पर लागू किया गया है कि यह राज्य के रिट को लागू करने में असमर्थ है। पिछले 27 सालों से अफस्पा मेघालय में लागू है जबकि राज्य में पिछले साल कोई सक्रिय विद्रोह नहीं देखा गया था।

कई नागरिक समाज अभियानों और मणिपुर में सार्वजनिक के बाद 2004 में इम्फाल नगर क्षेत्र से इसे अनिच्छुक रूप से वापस ले लिया गया था, जिसमें इरॉम शर्मिला की भूख हड़ताल उनमें से सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी। असम सरकार ने पूरे राज्य को 'अशांत' घोषित कर दिया और इस साल फरवरी में इस अधिनियम को गले लगा लिया, हालांकि राज्य में आतंकवाद लगभग खत्म हो चुका है।

जाहिर है, सरकार इस कानून से प्यार करती है, जो मूल नागरिक अधिकारों का हनन है। हालांकि, 2016 के सुप्रीम कोर्ट

मणिपुर ने पिछले कुछ वर्षों में सेना के अतिसंवेदनशीलता का शिकार रही है। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित किसी मामले में दुर्लभ हस्तक्षेप में, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सशस्त्र बल 'अशांत क्षेत्रों' में भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए अतिवाद के लिए जांच से बच नहीं सकते हैं।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट मामलों की जांच का भी आदेश दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जवाबदेही उचित है और अफस्पा द्वारा दी गई कानूनी सुरक्षा पूर्ण नहीं हो सकती है।

बजट सत्र के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहिर ने लोकसभा को एक लिखित उत्तर में सूचित किया था कि सरकार अफस्पा को 'सक्रिय रूप से प्रभावी और मानवीय' बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। वर्ष 2005 में, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी.पी. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को अफस्पा में संशोधन का सुझाव दिया था।

समिति ने सिफारिश की कि कानून पूरी तरह से निरस्त किया जाए, और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम इस तरह से संशोधित किया जाए जो विद्रोह और संघर्ष को कानूनी रूप से सुलझाने में सक्षम होगा।

अब कुछ आधिकारिक मान्यता है कि सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनके परिचालनों और अत्याचारों के कानूनी परिणामों से बचाने के लिए विशेष कानून अनिश्चित काल तक जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसे पूरी तरह से रद्द नहीं किया जा रहा है तो यह समय केंद्र सरकार के जीवन रेड्डी समिति की रिपोर्ट पर फिर से विचार करने और अफस्पा के मानवीय तरीके खोजने के लिए उपयुक्त है।

* * *

के फैसले ने स्पष्ट किया था कि ऐसी धारणा कि अधिनियम सुरक्षा बलों को अपनी मनमानी करने का पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, वह त्रुटिपूर्ण है।

अतिरिक्त न्यायिक निष्पादन पीड़ित परिवार संघ, जो मणिपुर के लोगों का एक प्रतिनिधि मंच है, जिनके परिवार के एक सदस्य का कथित तौर पर सुरक्षा बलों ने हत्या कर दिया था, के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि अफस्पा के तहत क्षेत्रों से मिली नागरिक शिकायतों में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए और यह अधिनियम सेना के कर्मियों को विद्रोह विरोधी अभियानों में किसी तरह की प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, विस्तारित अवधि के लिए किसी भी क्षेत्र में अधिनियम की निरंतरता 'नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलों की विफलता' का प्रतीक है। यह जम्मू-कश्मीर में सबसे स्पष्ट है, जबकि केंद्र के पास इस कानून को अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण जिलों से हटाने का और स्थानीय एजेंसियों को कानून के शासन को लागू करने का कार्य सौंपने का अवसर था।

इससे भी बदतर, इस वर्ष जनवरी में शोपियां में तीन नागरिकों की हत्या जैसे मामलों से यह स्पष्ट है कि केंद्र द्वारा वर्ष 2016 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधिकारों को नजरअंदाज करने और प्रतिरक्षा तर्क पर वापस आने के प्रयासों को अनदेखा करने का प्रयास किया गया है। मेघालय का अनुभव यह उम्मीद दिलाता है कि अधिनियम और इसकी सीमाओं पर एक गंभीर बहस को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

* * *

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- अफस्पा छह दशक पुराना कानून है। इसे एक सितंबर 1958 को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड में लागू किया गया था। इन राज्यों की सीमाएं चीन, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश से मिलती हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पूरे मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) हटाने का फैसला बहुत ही सकारात्मक कदम है। 2017 से इन राज्यों में विद्रोह से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है।
- तीन साल पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक सरकार ने इस आधार पर राज्य से अफस्पा हटाने की मांग की थी कि वहां विद्रोही गतिविधियां पूरी तरह खत्म हो गई हैं। इसके बाद पूर्वोत्तर के इस राज्य से यह कानून हटा लिया गया था। हालांकि यहां के राज्यों में असम, नगालैंड और मणिपुर के ज्यादातर हिस्से में अफस्पा कानून फिलहाल लागू रहेगा।
- जम्मू-कश्मीर में भी अफस्पा 1990 से लागू है। हालांकि हालात को देखते हुए केंद्र ने वहां से इसे हटाने से इनकार कर दिया है।

अफस्पा क्या है?

- अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एक फौजी कानून है, जिसे 'अशांत' क्षेत्रों में लागू किया जाता है। यह कानून सुरक्षाबलों और सेना को कुछ विशेष अधिकार देता है, जो आमतौर पर सिविल कानूनों में वैध नहीं माने जाते। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ों आंदोलन को कुचलने के लिए अफस्पा को अध्यादेश के जरिए 1942 में पारित किया था।
- भारत में संविधान की बहाली के बाद से ही पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे अलगाववाद, हिंसा और विदेशी आक्रमणों से प्रतिरक्षा के लिए मणिपुर और असम में वर्ष 1958 में अफस्पा लागू किया गया था। वर्ष 1972 में कुछ संशोधनों के साथ इसे लगभग सारे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में लागू कर दिया गया। अस्सी और नब्बे के दशकों में पंजाब और कश्मीर में भी राष्ट्रविरोधी तत्वों को नष्ट करने के लिए अफस्पा के तहत सेना को विशेष अधिकार प्रदान किए गए।
- अफस्पा की वैधता पर समय-समय पर मानवाधिकार संगठन, अलगाववादी और राजनीतिक दल सवाल उठाते रहे हैं। उनका

तर्क है कि इस कानून से प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इस कानून के सेक्शन 3, 4, 6 और सेक्शन 7 पर विवाद रहा है।

- सेक्शन 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार को ही किसी क्षेत्र को 'डिस्टर्बड' घोषित करने का अधिकार है। राज्य सरकारों की इसमें कोई खास भूमिका नहीं होती। वहीं सेक्शन 4 आर्मी को बिना वारंट के हिरासत में लेने, किसी भी वाहन की जांच का अधिकार और उग्रवादियों के ठिकानों का पता लगाकर नष्ट करने का अधिकार देता है।
- सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का सेक्शन 6 फौज को संबंधित व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने और गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। जबकि सेक्शन 7 के अनुसार इन मामलों में अभियोजन की अनुमति केवल केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति के बाद ही होती है।
- साल 2005 में जीवन रेड्डी कमेटी और वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्टों में सेना और सुरक्षाबलों पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। इसी आधार पर अफस्पा पर रोक लगाये जाने की मांग की गई थी, जिससे रक्षा मंत्रालय और सेना ने असहमति जताते हुए सिरे से नकार दिया।
- यह एक्ट सुरक्षा बलों को सशक्त करता है। इसी वजह से नगालैंड, पंजाब और कश्मीर में शांति बहाली में काफी सफलता मिली है। माना जाता है कि अधिकतर आरोप अलगाववादियों की शह पर होते हैं और सिर्फ 3% मामलों में ही सेना पर लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं।
- जम्मू-कश्मीर के नेशनल कांफ्रेस, पीडीपी और वाम दलों सहित देश के कई राजनीतिक दलों ने अफस्पा एक्ट में संशोधन की मांग की है। हालांकि इस पर केंद्र सरकारों की स्पष्ट राय रही है कि "आप सेना के हाथ बांधकर सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते।"
- जम्मू और कश्मीर से अफस्पा हटाये जाने की मांग को लगभग सभी रक्षा विशेषज्ञ इस तर्क से खारिज करते रहे हैं कि कश्मीर के प्रति पाकिस्तान की नीति में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। पाकिस्तान अब भी पाक अधिकृत कश्मीर (POK) क्षेत्र का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करता रहा है। वहीं कश्मीर में अलगाववादी बयारें अभी तक थमीं नहीं है। ऐसे में अफस्पा पर रोक लगाना राष्ट्र की संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है।
- वर्ष 2000 में इम्फाल में कथित तौर पर असम राइफल्स के जवानों ने 10 लोगों पर गोली चला दी थी। जिसके विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मीला पिछले 15 सालों से आमरण अनशन कर रही हैं।
- मानवाधिकार समर्थक क्षेत्रीय जनता द्वारा सेना पर लगाए गए मर्डर, रेप और जबरन वसूली के आरोपों को सिविल कानूनों के दायरे में रखने की मांग करते रहे हैं। माना जाता है कि ऐसा कदम घातक होगा, क्योंकि इससे सेना पर झूठे आरोप गढे जाएंगे और सेना के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

बी.पी. जीवन रेड्डी समिति

- 2004 में असम राइफल्स की हिरासत में मणिपुर में थांगजम मनोरमा नाम की एक महिला की हत्या के बाद हुए आंदोलन के मद्देनजर तत्कालीन केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी.पी. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसने 2005 में दी गई अपनी अनुशंसा में इस कानून को 'दमन का प्रतीक' बताते हुए इसे निरस्त करने की सिफारिश की थी।
- इस घटना के विरोध में इरोम शर्मिला ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया था, जो आज भी जारी है।
- बी.पी. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने 6 जून, 2005 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 147 पन्नों की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी, 'सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून, 1958 को निरस्त करना चाहिए। चाहे जिस भी कारण से हो, लेकिन यह कानून दमन का प्रतीक बन गया है।
- समिति ने कहा था, 'यह बेहद वांछनीय और उपयुक्त परामर्श देने योग्य है कि कानून को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए उस क्षेत्र (पूर्वोत्तर) की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग चाहता है कि सेना वहां बनी रहे (हालांकि कानून हटा लिया जाना चाहिए)।'

* * *

Committed To Excel

संभावित प्रश्न

हाल ही में केंद्र द्वारा मेघालय से अफस्पा (सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम) का हटाया जाना एक सकारात्मक पहल दृष्टीगत होता है। जिसके कारण वहां नागरिक अधिकार पुनः बहाल होंगे और लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत होगा। इस कथन का विश्लेषण कीजिये। **(250 शब्द)**

Recently, the removal of AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) from Meghalaya by the Center is a positive initiative. Due to this, civil rights will be restored there and the democratic structure will be strong. Analyze this statement. **(250 words)**

क्या नाबालिकों के साथ बलात्कार करने वालों को मौत की सजा मिलनी चाहिए?

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

27 अप्रैल, 2018

"द हिन्दू"

पक्ष

लेखक- प्रवीण घुज (बाल अधिकार संरक्षण के लिए महाराष्ट्र राज्य आयोग के अध्यक्ष)

''कानून में विश्वास केवल तभी बहाल किया जा सकता है जब कुकृत्य करने वाले लोगों के लिए कठोर दंड का प्रावधान हो।''

मृत्युदंड आज की उम्र में जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि यह एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करता है। लेखक ने इस आलेख में इसे एक उदाहरण के साथ चित्रित करने की कोशिश की है। जब हम बच्चे थे, तो हमें बताया गया था कि जमीन पर नमक डालना बुरा कर्म है और यदि हमने ऐसा किया, तो भगवान हमें दंडित करेंगे। अब, कोई भी इस बात पर बहस नहीं कर सकता कि क्या नमक बर्बाद करने वालों को भगवान से मिलने वाला दंड नैतिक रूप से सही है या गलत। लेकिन कहानी का नैतिक यह है कि कभी-कभी किसी निश्चित खतरे का दबाव बच्चे में भगवान के डर को रखने के लिए पर्याप्त होता है। तब, लोग अंधविश्वास से शासित थे; आज, वे कानूनों द्वारा शासित हैं और लोगों के मन में कानून का उल्लंघन नहीं करने का डर होना चाहिए।

विश्वास और भय

यदि कानून का उद्देश्य न्याय के कुछ समानता को प्राप्त करना है, तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि इसे दो उद्देश्यों को पूरा करना होगा। एक, लोगों को कानून में विश्वास होना चाहिए जिसे अधिनियमित किया गया है। और दूसरा, कानून ऐसा होना चाहिए जो संभावित अपराधियों और उल्लंघन करने वालों के दिल में डर पैदा करे।

यदि 12 साल से कम उम्र की बच्ची बलात्कार जैसे दर्दनाक घटना का शिकार होती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमें ऐसे अपराधी या अपराधियों से दृढ़ता से निपटना होगा। कोई भी जो बच्ची की मासूमियत का लाभ उठाता है उसे एक कठोर कानून के तहत गुजरना होगा। केवल एक कठोर कानून ही इस तरह के अपराध के लिए एक निवारक के रूप में काम कर पायेगा। और तभी कानून में लोगों का विश्वास फिर से कायम हो सकेगा और साथ ही इससे संभावित अपराधियों के मन में कानून तोड़ने का डर भी व्याप्त रहेगा। एक बच्ची से बलात्कार करना बहुत ही कठोर दंड का हकदार है और वह केवल मौत की सजा ही हो सकती है।

अध्यादेश मदद करेगा

लेकिन, सिर्फ एक कानून बनाने से ही कुछ नहीं बदलेगा। इसे सफल बनाने के लिए एक कठोर न्याय प्रणाली का पालन करने की जरूरत है। एक अध्यादेश निश्चित रूप से इस सन्दर्भ में निवारक के रूप में कार्य करेगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आखिर क्यों बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाती है या मामलों का पंजीकरण आदर्श नहीं होता है। बलात्कार के विषय से एक निश्चित कलंक जुड़ा हुआ है, सबसे अधिक तब, जब यह परिवार के भीतर और बच्ची को जानने और समझने वाला हो। यही कारण है कि रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन अगर समाज को आश्वस्त किया जाये कि इस तरह के मामलों के लिए एक बेहतर और कठोर कानून है जो पीड़िता की सहायता के लिए हमेशा मौजूद है, फिर इस मुद्दे के आस-पास की गोपनीयता गायब हो जाएगी। एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद, रिपोर्टिंग में भी वृद्धि होगी। हमें यह याद रखना चाहिए कि ज्यादातर मामलों में, व्यक्ति जो बलात्कार करता है वह उससे भली भांति परिचित होता है। इसलिए, नए कानून में ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए लोगों के अन्दर विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, नाबालिगों के साथ बलात्कार करने वालों के लिए मौत की सजा का मतलब यह नहीं है कि सभी आरोपियों को फांसी दी जाएगी। जैसे ही शिकायत दर्ज होती है, कानून की उचित प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

विपक्ष

लेखक- महारुख एडनवाला (वकील, बाल अधिकारों पर काम कर रहे हैं, मुम्बई)

''इस संदर्भ में ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है जो यह दर्शाता हो कि इस समस्या के लिए मृत्युदंड एक निवारक के रूप में कार्य करेगा।''

यौन हिंसा के कारण अक्सर हमें सार्वजनिक बहस और विद्रोह देखने को मिलती रहती है और सरकार इस कारण को हल करने के लिए एक बेहतर समाधान को ढूंढने के बजाय कठोर कानून बनाने पर ज्यादा केंद्रित रहती है। यह निर्भया बलात्कार के मामले के बाद हुआ जब किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को लागू किया गया, जिसने किशोर न्याय के सुव्यवस्थित दृश्य को उलट दिया और फिर से इसे अंजाम दिया जा रहा है।

प्रावधान के स्थान पर

सरकार द्वारा एक भ्रम पैदा किया गया है कि अध्यादेश से पहले बलात्कार/सामूहिक बलात्कार की सजा बच्ची को 'न्याय' दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पॉक्सो अधिनियम के तहत इस तरह के अपराधों की सजा, बच्चे की उम्र के बावजूद आजीवन कारावास तक पहुंच गई, जो समानता के सिद्धांत से संबंधित है। बाल अधिकार पेशेवर की मांगों के अनुसार, पॉक्सो अधिनियम बच्चों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था – यौन अपराधों का बेहतर अंशांकन; पुलिस स्टेशनों और अदालतों में बच्चों के लिए विशेष प्रक्रियाएं; इस तथ्य की स्वीकृति कि आपराधिक न्याय प्रणाली के माध्यम से गुजरते वक्त बच्चों को समर्थन और पुनर्वास उपायों की आवश्यकता होती है। उनकी मांग मृत्युदंड नहीं थी। हालांकि पॉक्सो अधिनियम ने कुछ पहलुओं में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सक्षम प्रावधान लागू नहीं किए गए हैं, इस प्रकार बच्चों के 'सुरक्षा' पर विचार नहीं किया गया है।

निवारक नहीं

इसके अलावा, आईपीसी/पॉक्सो अधिनियम यौन उत्पीड़न के बाद ही उत्पन्न होता है। इसलिए सवाल यह है कि ऐसी घटना को रोकने के लिए सरकार कर क्या रही है? क्या बच्चों की सुरक्षा प्रमुख चिंता नहीं होनी चाहिए? कैसे फांसी की सजा हमारे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त साबित होगी? इन सवालों पर एक ही जवाब देती है कि मृत्युदंड यौन अपराधों को रोक देगा। जबकि इस संदर्भ में इनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, जिसे मृत्युदंड पर भारत के कानून आयोग की रिपोर्ट संख्या 262 में उल्लेख किया गया है- सांख्यिकीविदों, चिकित्सकों और सिद्धांतकारों के बीच कई वर्षों के शोध और बहस के बाद, विश्वव्यापी सर्वसम्मति अब उभरी है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मृत्युदंड का इस संबंध में कोई प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। यदि मृत्यु की सजा एक निवारक नहीं है, तो बाल बलात्कार के लिए ऐसी सजा देने का उद्देश्य क्या है? रिपोर्ट संख्या 262 इसका उत्तर देता है- पीड़ितों को न्याय के अंतिम उपाय के रूप में मृत्युदंड पर ध्यान केंद्रित करने में, न्याय का पुनर्स्थापनात्मक और पुनर्वास पहलु खो जाता है। मृत्युदंड पर भरोसा आपराधिक न्याय प्रणाली को बीमार करने वाली अन्य समस्याओं से ध्यान हटा देता है।

भारत में, दंड की अनिश्चितता के कारण निवारण पहलू और भी कमजोर हो जाता है, अपराधियों का मानना है कि अपराध की पुष्टि या सजा की संभावना बहुत कम है, जो डेटा द्वारा भी प्रतिबिंबित होती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित स्टडी ऑन चाइल्ड एब्यूज: इंडिया 2007 से पता चलता है कि 72.1% बच्चों के अभिवावकों ने यौन हमले की रिपोर्ट नहीं की है। इसका मुख्य कारण यह है कि ज्यादातर अपराधी ज्ञात आरोपी होते हैं। क्राइम इन इंडिया: 2015 इंगित करता है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 (भेदनीय यौन आक्रमण) और धारा 6 (संगीन भेदनीय यौन आक्रमण) के तहत 94.8% आरोपी 'ज्ञात आरोपी' थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि मृत्युदंड के कारण बच्चे पर अपराध की रिपोर्ट न करने के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा। हांलाकि, क्राइम इन इंडिया, 2016 के अनुसार पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत 28.2% आरोपी थे। नाबालिगों के संभावित बलात्कारियों के दिमाग में डर पैदा करने के प्रयास के बजाय, सरकार को कुशल जांच, आधुनिक फोरेंसिक सभा, और पीओसीएसओ अधिनियम के तहत संरचनाओं की स्थापना/मानव संसाधनों की नियुक्ति के माध्यम से बच्चों के आत्मविश्वास को जीतने पर ध्यान देना चाहिए।

तटस्थ

लेखक- नंदिता राव (वकील, दिल्ली उच्च न्यायालय)

''सजा की निश्चितता, एकरूपता और इसकी गंभीरता अपराध को कम नहीं करेगी।''

आंकड़े एक निवारक के रूप में मृत्यु दंड की प्रभावकारिता को साबित या अस्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं। जहाँ एक तरफ यूके ने 1965 से हत्याओं में वृद्धि देखी है, जब कानून की किताब से हत्या के लिए मौत की सजा हटा दी गई थी, वही दूसरी तरफ कनाडा ने इस तरह के प्रभाव का अनुभव नहीं किया जब उसने 1976 में मृत्युदंड को खत्म कर दिया था। समाज में अंतर्निहित सामाजिक-आर्थिक स्थितियां अपराधों में वृद्धि या कमी का कारण बनता है। 2015 की तुलना में 2016 में भारत में बच्चों के बलात्कार के मामलों में 82% की वृद्धि हुई थी। ऐसा लगता है कि हिंसा, सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा, अलगाव और महिलाओं और बच्चों की स्थिति की प्रगतिशील कमी ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने के लिए बढ़ावा दिया है। इसलिए, मैं मौत की सजा के समर्थकों से सहमत हूं जब वे कहते हैं कि कानूनी व्यवस्था को स्पष्ट संकेत देना चाहिए कि हम एक राष्ट्र के रूप में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बलात्कार को सबसे जघन्य अपराध मानते हैं। ऐसे अपराध के लिए मौत की सजा को सुनिश्चित करना निश्चित रूप से एक संकेत प्रदान करता है।

घृणा के पात्र

मैंने (लेखक) पांच साल दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा प्राधिकरण में रक्षा सलाहकार के रूप में कार्य किया है, जहाँ मुझे आज भी याद है कि तिहाड़ जेल में अपसाधियों की आबादी के बीच बच्चों के साथ बलात्कार करने वाले अपराधियों को घृणा की दृष्टी से देखा जाता था। यहां तक कि कई हत्याओं के लिए जेल में रहने वाले निर्दयी अपराधी भी नाबालिगों से बलात्कार करने वालों से घृणा करते थे और जेल कर्मचारियों को अक्सर इनकी (बच्चों से बलात्कार करने वाले को) अलग से रक्षा करनी पड़ती थी। समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण को देखते हुए और दोनों पुलिस और न्यायपालिका समाज के उत्पाद हैं, यह अस्पष्ट लगता है कि राज्य एक निः शुल्क और निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित करने में सक्षम हो पाएगी या नहीं।

निस्संदेह, कठोर दंड के बजाये इसकी निश्चितता और एकरूपता अपराध को कम करेगी। यहां तक कि एक निवारक के रूप में काम करने के लिए मौत की सजा के लिए, जांच की निष्पक्षता, दृढ़ता की निश्चितता और परीक्षण की गति महत्वपूर्ण है। पुलिस और न्यायिक आजादी संदेह के घेरे में है, खासकर कठुआ और उन्नाव में होने वाली घटनाओं के बाद, इसलिए जब तक कि पुलिस सुधार और फास्ट ट्रैक कोर्ट को अपनाया नहीं जाता है तब तक मौत की सजा का निवारक मूल्य कम ही रहेगा।

मौत की सजा के खिलाफ उठाई गई चिंता का भी समान महत्व है कि बलात्कार के अधिकांश पीड़ितों को नुकसान पहुंचाया जाएगा ताकि गवाह समाप्त हो जाए। साथ ही हमे इस सवाल का जवाब ढूँढना होगा कि क्या कोई कानून अकेले सामाजिक परिवर्तन ला सकता है या क्या हमें खुद इस मुद्दे से जूझने के लिए वैज्ञानिक जांच, बेहतर पुलिस और लिंग संवेदना जैसे अन्य मजबूत उपायों की आवश्यकता है?

एक बेईमान निर्णय

मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि पूरी तरह से बहस के बिना अध्यादेश मार्ग के माध्यम से मौत की सजा पेश करना एक बेईमान निर्णय है। हम कानून की संसदीय प्रक्रिया से वंचित हैं, जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक दोनों है और यह सभी पेशेवरों और विपक्षों पर चर्चा करने, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का अध्ययन करने और मौत की सजा के प्रभाव का पता लगाने के लिए सभी हितधारकों को सुनने का मौका देता है। यह एक स्वागतयोग्य पहल है जहाँ दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस जल्दबाजी वाले अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।

GS World टीम...

क्या है पॉक्सो एक्ट

- पोक्सो, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (Protection of Children from Señual Offences Act – POCSO) का संक्षिप्त नाम है।
- पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इसके तहत बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- 2012 में बने पॉक्सो एक्ट के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान है। जिसका सख्ती से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है।

पॉक्सो एक्ट में सजा

- इस कानून की धारा 3 के तहत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्टश्को परिभाषित किया गया है।
- पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में बच्चे के साथ दुष्कर्म या कुकर्म के मामले को शामिल किया गया है। जिसके तहत 7 साल से लेकर उम्रकैद और अर्थदंड का प्रावधान है।
- पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अधीन वे मामले लाए जाते हैं जिनमें बच्चों को दुष्कर्म या कुकर्म के बाद गम्भीर चोट पहुंचाई गई हो। इसमें दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- इस अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत वो मामले शामिल किए गए हैं, जिनमें बच्चों के गुप्तांग से छेडछाड़ की जाती है। इस धारा में पाए गए दोषियों को 5 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान है।
- वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा-11 में बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट को परिभाषित किया गया है। जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति बच्चों को गलत नियत से छूता है या सेक्सुअल हरकतें करता है या उसे पोर्नोग्राफी दिखाता है तो उसे इस धारा के तहत 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है।
- बता दें कि 18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों के साथ किया गया किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के अन्तर्गत आता है।
- पॉक्सो एक्ट लड़के और लड़कियों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं इस कानून के तहत रजिस्टर मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है।

संवैधानिक मौलिक अधिकार

- भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार पुरुषो की तरह सभी क्षेत्रो मे महिलाओ को बराबर अधिकार देने के लिए कानूनी स्थिति है। भारत मे बच्चो और महिलाओ के उचित विकास हेतु इस क्षेत्र मे महिला और बाल-विकास अच्छे से कार्य कर रहा है ।
- संविधान के अनुच्छेद-14 मे कानूनी समानता, अनुच्छेद-15 (3) मे जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना।
- अनुच्छेद-16 (1) मे लोक सेवाओ मे बिना भेदभाव के अवसर की समानता। अनुच्छेद-19 (1) मे समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद-21 मे स्त्री एवं पुरुषो दोनो को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना।
- अनुच्छेद-23-24 मे स्त्री एवं पुरुष दोनो को ही शोषण के विरूद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त।
- अनुच्छेद-25-28 मे धार्मिक स्वतंत्रता दोनो को समान रूप से प्राप्त।
- अनुच्छेद-29-30 मे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार।
- अनुच्छेद-32 मे संवैधानिक उपचारो का अधिकार।
- अनुच्छेद-39(घ) मे पुरुषो एवं स्त्रियो दोनो को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार।
- अनुच्छेद-42 महिलाओ हेतु प्रसुति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था।
- अनुच्छेद-51(क)(ड) मे भारत मे सभी लोग ऐसी प्रथाओ का त्याग करे जो स्त्रियो के सम्मान के विरुद्ध हो।
- अनुच्छेद-33 (क) मे प्रस्तावित 84वे संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा मे महिलाओ के लिए आरक्षण की व्यवस्था।
- अनुच्छेद-332 (क) मे प्रस्तावित 84वें संशोधन के जरिए राज्यों की विधानसभाओ मे महिलाओ के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।
- गर्भावस्था मे ही मादा भ्रूण हत्या करने के उद्देश्य से लिंग परीक्षण को रोकने हेतु पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 निर्मित किया गया।इसका पालन न करने वालो को 10-15 हजार रुपए का जुर्माना तथा 3-5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दहेज जैसे सामाजिक अभिशाप से महिला को बचाने के लिए 1961 मे 'दहेज निषेध अधिनियम' बनाया गया। 1986 मे इसे भी संशोधित कर समयानुकूल बनाया गया।

* * *

संभावित प्रश्न

हाल ही में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर नियंत्रण पाने हेतु सरकार द्वारा लाये गये मृत्युदंड जैसे कठोर दण्ड के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए बताये कि क्या यह कानून इस समस्या के निदान हेतु प्रभावी साबित होगा? तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत कीजिये। (250 शब्द)

Explain whether the provision of rigorous punishment like death penalty brought by the government to have control over heinous crime such as rape, will prove to be effective for the resolution of this problem? Give answer with reasons. (250 words)

चौराहे पर सुप्रीम कोर्ट

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

28 अप्रैल, 2018

"द हिन्दू"

लेखक - संजय हेगड़े (सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील)

"कॉलेजियम में पांच न्यायाधीशों में से प्रत्येक को इतिहास से मिलने वाले सबक को ध्यान में रखना चाहिए।"

24 अप्रैल, 1973 को दो घटनाएं हुई थी, जिसने तब से भारत को एकजुट किया है। पहला सचिन तेंदुलकर का जन्म बॉम्बे में हुआ और दूसरा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने केशवनंद भारती मामले में 7-6 बहुमत से अपना फैसला सुनाया था। हांलाकि, तेंदुलकर को अपना प्रभाव दर्शाने में वक्त लगा, लेकिन केशवानंद मामले ने अपना प्रभाव तुरंत दिखा दिया था।

निर्मम महीने

अगले दिन 25 अप्रैल, 1973 को, सात न्यायाधीशों में से तीन न्यायाधीशों, जिन्होंने अपना बहुमत सरकार के खिलाफ दिया था, उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश दौर से अलग कर दिया गया। जस्टिस जेएम शेलाट, जस्टिस केएस हेगड़े और जस्टिस एएन ग्रोवर को नजरअंदाज करके वरिष्ठता में चौथे नंबर के अपने प्रिय जस्टिस एएन राय को इंदिरा गांधी ने देश का प्रधान न्यायाधीश बना दिया गया। जिसके बाद न्यायमूर्ति एएन राय ने 26 अप्रैल, 1973 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला।

1973 के अधिक्रमण ने जून, 1975 की आपातकाल के लिए मंच स्थापित किया। आपातकाल के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को निलंबित कर दिया। इसके अलावा, अदालत ने केशवानंद भारती में अपने फैसले की समीक्षा करने की भी इच्छा जाहिर की।

आपातकालीन युग में एक लालसापूर्ण अदालत को जरूरत के वक्त नागरिकों का पक्ष लेने के बजाये केंद्र की गुलामी करते हुए देखा गया। दूसरे शब्दों में कहे तो ये तानाशाही पर लगाम लगाने के सन्दर्भ में असफल रहा।

इस सप्ताह, 25 अप्रैल, 2018 को ठीक 45 साल बाद, सरकार ने इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने का फैसला किया है और जस्टिस केएम की नियुक्ति न करने का फैसला लिया है। गौरतलब हो कि सर्वोच्च न्यायालय के पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों के कॉलेजियम द्वारा सुश्री मल्होत्रा के साथ उनके नाम की भी सिफारिश की गई थी।

संकल्प दर्ज किया गया : कॉलेजियम मानता है कि वर्तमान में न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ, जो केरल उच्च न्यायालय से हैं और वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अन्य मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ न्यायालयों के वरिष्ठ न्यायाधीशों की तुलना में सभी सन्दर्भ में अधिक योग्य और उपयुक्त हैं।

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ के नाम की सिफारिश करते समय, कॉलेजियम ने मुख्य योग्यता के अखिल भारतीय आधार पर संयुक्त वरिष्ठता और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अवर न्यायाधीशों को उनकी योग्यता और अखंडता के अलावा संयुक्त वरिष्ठता पर विचार किया है।

न्यायमूर्ति जोसेफ के बारे में

न्यायमूर्ति जोसेफ की आजादी और राजनीतिक परिणामों के प्रति उनकी उदासीनता का प्रदर्शन तब दिखा, जब उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने 2016 में राज्य में सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रपति शासन की घोषणा को अमान्य घोषित कर दिया था। वह एक बेहतर कानूनी परिवार से आते हैं। उनके पिता, न्यायमूर्ति के.के. मैथ्यू, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे।

वह केरल के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, जो परंपरा द्वारा एक या दो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में भेजते हैं। इस साल नवंबर में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की आगामी सेवानिवृत्ति होने वाली है जिसके बाद न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ को एक उपयुक्त उत्तराधिकारी माना जा रहा था।

सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद, अदालत द्वारा कॉलेजियम के माध्यम से इनके नाम की सिफारिश करने के बावजूद, ऐसा लगता है कि शक्तिशाली लोगो का विरोध करने के कारण इनसे प्रतिशोध लिया जा रहा हैं। एक ऐसे पेशे में जहां सहकर्मी समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है, न्यायमूर्ति जोसेफ की अखंडता या योग्यता के बारे में जो कुछ भी व्यक्त किया गया है, उसके बारे में कोई संदेह नहीं है।

फिर भी वर्तमान सरकार ने इस मामले में कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों पर पुनर्विचार के लिए कहा है। सरकार कहती है, इस स्तर पर, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में केरल उच्च न्यायालय के एक और न्यायाधीश की पदोन्नति को उचित नहीं मानता है, क्योंकि यह कई अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अवर न्यायाधीशों के वैध दावों को संबोधित नहीं करता है।

इसका अर्थ यह हुआ कि न्यायमूर्ति जोसेफ अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं हैं। दूसरा, यह कहता है कि केरल उच्च न्यायालय में पहले से ही एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायाधीश हैं जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन दोनों तर्क आधारहीन हैं।

आने वाले महीनों में

निश्चित रूप से देशव्यापी वरिष्ठता को ध्यान में रखना उचित है, लेकिन यह एकमात्र निर्धारक कारक नहीं है। दूसरा, केरल में वर्तमान में अखिल भारतीय स्तर पर चार वरिष्ठ न्यायाधीश हो सकते हैं, लेकिन जल्द ही इस साल निर्धारित दो सेवानिवृत्त होने के साथ दो से कम हो जाएंगे। नियुक्ति के लिए सिफारिश करते समय उसे रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है कि उसके पास उत्कृष्ट योग्यता है।

जब सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए दावेदार इस तरह की उत्कृष्ट योग्यता प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी, कम या ज्यादा समान डिग्री में आवश्यक योग्यता है, तो उनमें से एक की सिफारिश की जा सकती है, क्योंकि, उदाहरण के लिए, देश का विशेष क्षेत्र जिसमें उनके मूल उच्च न्यायालय स्थित है, सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ पर प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

नियुक्ति के लिए सिफारिश करते समय सभी को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है। 11 जनवरी, 2018 को कॉलेजियम की पूर्व सिफारिश, न्यायमूर्ति जोसेफ की योग्यता और उपयुक्तता के बारे में स्पष्ट है। सरकार जो भी इंगित करती है वह क्षेत्रीय असंतुलन की धारणा है और वरिष्ठता की अनदेखी है।

यह इंगित किया जाना चाहिए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में, कम से कम पांच न्यायाधीश (बार से दो नियुक्तियों सहित) बॉम्बे हाईकोर्ट से हैं, कम से कम तीन दिल्ली उच्च न्यायालय से हैं। तो फिर यह कहना कि केरल के अदालत में दो न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, क्या यह अनुचित नहीं है।

ऐसा लगता है कि दोनों आपत्तियों को न्यायमूर्ति जोसेफ की सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति को रोकने या देरी करने के विचार से अपनाया गया है। मान लेते हैं कि पेश किये गये आपत्तियों में कोई तथ्य छिपा हो, फिर भी इसे बाद की तारीख में बेहतर तरीके से उपचार किया जा सकता था।

लेकिन मुद्दा यह है कि क्या न्यायपालिका अपने भाइयों पर एक स्पष्ट रूप से प्रतिशोधपूर्ण कार्यकारी द्वारा प्रतिशोध की किसी भी उपस्थिति की अनुमति दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में अब उपलब्ध कार्रवाई का सही तरीका सरकार के नवीनतम पत्र के प्रकाश में प्रस्ताव पर पुनर्विचार के बाद अपनी सिफारिश दोहराना है।

* * *

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को मंजूरी दे दी है। इस तरह, बार से सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली वह पहली महिला जज होंगी।

सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों का इतिहास

- सुप्रीम कोर्ट 1950 में बना उसके 39 साल बाद 1989 में एम फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त हुईं। फातिमा बीवी केरल हाईकोर्ट से सेवानिवृत होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुई थी। वे 29 अप्रैल, 1992 को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुईं। बाद में वे तमिलनाडु की राज्यपाल भी नियुक्त हुईं।
- सुप्रीम कोर्ट में दूसरी महिला जज सुजाता वी मनोहर हुईं जिन्होंने जज के रूप में अपने कैरियर की शुरूआत बाम्बे हाईकोर्ट जज से की थी। वे सुप्रीम कोर्ट में 8 नवंबर, 1994 से 27 अगस्त, 1999 तक न्यायाधीश रहीं। जस्टिस सुजाता मनोहर के सेवानिवृत होने के करीब पांच महीने बाद जस्टिस रूमा पाल सुप्रीमकोर्ट की जज बनीं। जस्टिस पाल सबसे लंबे समय तक रहीं। वे 28 जनवरी, 2000 से लेकर 2 जून, 2006 तक सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रहीं। उनके बाद चार साल तक सुप्रीम कोर्ट मे कोई महिला जज नहीं रही।
- चार साल बाद झारखंड हाईकोर्ट की तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त हुईं। जस्टिस मिश्रा 30 अप्रैल, 2010 को सुप्रीम कोर्ट जज बनी और 27 अप्रैल, 2014 को सेवानिवृत हुईं। इसी दौरान जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट की जज बनीं। जस्टिस देसाई 13 सितंबर, 2011 से लेकर 29 अक्टूबर, 2014 तक सुप्रीम कोर्ट की जज रहीं। इस दौरान पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक साथ दो महिला जज रहीं।
- जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की सेवानिवृति के करीब दो महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान महिला जज आर. भानुमति सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुईं। जस्टिस भानुमति 13 अगस्त, 2014 को सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश नियुक्त हुईं। वे 19 जुलाई, 2020 को सेवानिवृत्त होंगी। सुप्रीम कोर्ट के 67 सालों के इतिहास में सिर्फ दो बार एक साथ दो महिला जज रहीं

जस्टिस केएम जोसेफ के लिए रुकावट का कारण

- सूत्रों के मुताबिक जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश पर सरकार को लग रहा है कि कोलेजियम ने वरिष्ठता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को नजरअंदाज किया है। जस्टिस जोसेफ हाईकोर्ट के 669 जजों की वरिष्ठता सूची में 42वें नंबर पर हैं।
- दरअसल जस्टिस जोसेफ ने अप्रैल, 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था। इससे पहले कानूनी विशेषज्ञों ने एक नाम को मंजूरी देने और दूसरे को रोके रखने की सरकार की मंशा के खिलाफ अपनी राय दी थी।

केशवानंद भारती मामला

- 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में यह विषय फिर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया। जिस न्यायपीठ ने इसे सुना उसमें 13 न्यायाधीश थे। बहुमत अर्थात् 7 न्यायाधीशों ने 24वें संविधान संशोधन को विधिमान्य ठहराते हुए "गोलकनाथ मामले" में दिए फैसले को उलट दिया, किन्तु साथ ही एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। न्यायालय ने यह कहा कि संसद् मूल अधिकारों वाले भाग में संशोधन करने के लिए उतनी ही सक्षम है जितनी कि संविधान के किसी अन्य भाग का।
- परन्तु संविधान का संशोधन करके संसद् संविधान की आधारभूत संरचना (जिसे आधारभूत लक्षण भी कहा गया है) को न तो संक्षिप्त कर सकती है, न समाप्त कर सकती है और न नष्ट कर सकती है। गोलकनाथ मामले के बाद किसी भी मूल अधिकार को न तो छीना जा सकता था और न ही नष्ट किया जा सकता था। केशवानंद मामले के बाद न्यायालय को यह विनिश्चय करना है कि कोई मूल अधिकार आधारभूत लक्षण है या नहीं। यदि वह आधारभूत लक्षण है तो उसे कदापि हटाया नहीं जा सकता।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

- भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि न्यायपालिका की सलाह से कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी। इस संबंध में अनुच्छेद 124 और 217 प्रासंगिक प्रावधान हैं।

GS World Committed to Excellence

- अनुच्छेद 124 में उल्लिखित है कि उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, परंतु मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के प्रधान न्यायाधीश से सदैव परामर्श किया जायेगा।
- अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि श्भारत के प्रधान न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित। अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा।

कॉलेजियम व्यवस्था?

- देश की अदालतों में जजों की नियुक्ति की प्रणाली को कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है।
- कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी वरिष्ठ जजों की समिति जजों के नाम तथा नियुक्ति का फैसला करती है।
- सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। उच्च न्यायालय के कौन से जज पदोन्नत होकर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है।
- उल्लेखनीय है कि कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख न तो मूल संविधान में है और न ही उसके किसी संशोधित प्रावधान में। वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था के अध्यक्ष चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं और जस्टिस जे. चेलामेश्वरम, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी. लोकूर और जस्टिस कुरियन जोसेफ इसके सदस्य हैं।

विवाद?

- दरअसल, कॉलेजियम पाँच लोगों का समूह है और इन पाँच लोगों में शामिल हैं- भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीश। कॉलेजियम के द्वारा जजों के नियुक्ति का प्रावधान संविधान में कहीं नहीं है।
- कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर विवाद इसलिये है क्योंकि यह व्यवस्था नियुक्ति का सूत्रधार और नियुक्तिकर्त्ता दोनों स्वयं ही है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका की भूमिका बिल्कुल नहीं है या है भी तो बस मामूली।

सुधार के प्रयास

- गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले के लिये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बनाया था।
  उल्लेखनीय है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले इस आयोग की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश को करनी थी। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश, केन्द्रीय विधि मंत्री और दो जानी-मानी हस्तियाँ भी इस आयोग का हिस्सा थीं।
  आयोग में जानी-मानी दो हस्तियों का चयन तीन सदस्यीय समिति को करना था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता विपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल थे।
  आयोग से संबंधित एक दिलचस्प बात यह थी कि अगर आयोग के दो सदस्य किसी नियुक्ति पर सहमत नहीं हुए तो आयोग उस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगा।

कॉलेजियम की समीक्षा का प्रस्ताव

- शीर्ष न्यायपालिका ने वर्ष 1961 में एस.पी. गुप्ता मामले में अपने लिये वरीयता का दावा त्याग दिया था और जजों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण के सिलसिले में होने वाले पत्र व्यवहार को गोपनीय नहीं रखने का आदेश देते हुए कहा था कि पारदर्शिता के बिना भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद मुक्त प्रशासन की कल्पना नहीं की जा सकती।
- इसी प्रकार 31 अगस्त, 2017 को केनरा बैंक बनाम सी.एस. स्याम मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि जब जजों की नियुक्ति, पदस्थापना और स्थानांतरण से संबंधित कारणों और उनके प्रस्तावों के बारे में जाना जा सकता है तो फिर क्लर्कों और अन्य सरकारी अधिकारियों के बारे में सूचना निजी कैसे हो सकती है और इस बारे में कुछ भी सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा सकता?

संभावित प्रश्न

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा का चुना जाना और न्यायाधीश के. एम.जोसेफ को फिर से विचार के लिए कॉलेजियम के पास भेज देना न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप को दर्शाता है। इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

Recently, the appointment of senior advocate Indu Malhotra as the judge of the Supreme Court judge and sending back the name of M. Josef to the collegiums for consideration reflects political interference in the judiciary. Analyze this statement. (250 Words)

शिखर सम्मेलन का सार और दृष्टिकोण

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

30 अप्रैल, 2018

"द हिन्दू"

लेखक - हैप्पीमोन जैकब (प्रोफेसर, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय)

वुहान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाल ही में संपन्न 'अनौपचारिक' शिखर सम्मेलन बैठक अपने आप में दुनिया के लिए एक अहम संदेश है। यह इस तथ्य से दूर नहीं है कि शिखर सम्मेलन बेहद जरूरी था और इसने दो एशियाई दिग्गजों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वापस ट्रैक पर लाने के लिए अहम भूमिका निभाई है। वुहान शिखर सम्मेलन ने दोनों देशों के बीच एक महाद्वीप की आवश्यकता को रेखांकित किया हैं। इसलिए, समयरेखा पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

वुहान के लिए रन-अप

हाल के वर्षों में भारत-चीन संबंधों में काफी तनाव रहा है। 2017 में डोकलाम त्रि-जंक्शन में सैन्य गतिरोध और उन शब्दों के युद्ध के बाद रिश्ते खराब हो चुके थे जो पहले से ही बहुत दबाव में था। वुहान शिखर सम्मेलन को इस विचलित माहौल के संदर्भ में और स्थिरता और पुनरुत्थान की मजबूत इच्छा के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

दोनों पक्ष डोकलाम गतिरोध से उभर रहे थे और घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस गतिरोध के समाप्त होने के बाद, रिश्ते को स्थिर करने की इच्छा पिछले साल के अंत से दिखाई दे रही थी।

दिसंबर में, दोनों विदेश मंत्रियों ने नई दिल्ली में चीन के तत्कालीन राज्य काउंसलर यांग जिची और श्री मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच नई दिल्ली में बैठक की थी। फिर इस साल फरवरी में विदेश सचिव विजय गोखले ने चीन का दौरा किया।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठकों के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की चीन यात्रा के बाद वुहान शिखर सम्मेलन का पहल किया गया।

इन व्यस्त राजनयिक गतिविधियों के साथ बीजिंग और नई दिल्ली में स्वर का स्पष्ट परिवर्तन हुआ, जो द्विपक्षीय संबंधों पर सकारात्मक पुनर्विचार और भविष्य के सैन्य गतिरोध से बचने की इच्छा को दर्शाता है।

चुनावी कार्यक्रम

वुहान में प्राप्त भारत-चीन के पुनर्निर्माण के बावजूद, शिखर सम्मेलन के समय के महत्व को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। तथ्य यह है कि बैठक में कोई पूर्व परिभाषित एजेंडा नहीं था और इसे 'अनौपचारिक' कहा जाता था, जो यह इंगित करता है कि यह घरेलू राजनीतिक संदेश के लिए भी महत्वपूर्ण था।

जाहिर है, श्री मोदी को इस बैठक की जरूरत शी जिनपिंग से अधिक थी। इस पर विचार करें: भारत-पाकिस्तान संबंध सामान्य के करीब कहीं नहीं हैं, भारत की पड़ोस नीति समस्याओं से घिरी हुई है (नेपाल की ओर हालिया पहल के बावजूद) और भारत-चीन संबंध मुश्किल हो रहे हैं।

जबकि पाकिस्तान के साथ तनाव एक चुनावी दृष्टिकोण से बीजेपी के लिए महंगा नहीं साबित होगा, लेकिन एक 'असफल चीन नीति' संभावित रूप से विपक्ष द्वारा बीजेपी की पड़ोस असफल नीति के संदर्भ में श्री मोदी के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है।

चीन भारत के अन्य पड़ोसियों के विपरीत है। यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और कई तरीकों से आर्थिक और भूगर्भीय दृष्टिकोण से अपरिहार्य है। वुहान शिखर सम्मेलन को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

परिणाम

शिखर सम्मेलन के परिणाम सीमित हो सकते हैं लेकिन रिश्ते को स्थिर करने के लिए यह बहुत मूल्यवान हैं। इस परिणाम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रतिस्पर्धी सीमा से संबंधित है। वुहान में, श्री मोदी और श्री शी ने भारत-चीन सीमा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया है।

इसके अलावा, उन्होंने विश्वास बनाने के लिए संचार को मजबूत करने के लिए अपने संबंधित सेनाओं को सामरिक मार्गदर्शन दिया और साथ ही अपने सेनाओं को निर्देश दिया कि वे दोनों पक्षों के बीच सहमत विभिन्न आत्मविश्वास निर्माण उपायों को ईमानदारी से लागू करें।

इसका मूल रूप से मतलब है कि दोनों देशों ने महसूस किया है कि सीमा पर सामरिक और राजनीतिक प्रभावों पर स्थानीय सैन्य गतिविधियों में सामरिक और राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं - और यह भी कि दोनों सेनाओं के बीच भारत-चीन सीमा पर होने वाली हर चीज राजनीतिक रूप से स्वीकृत नहीं है।

सीमा तनाव, जो अक्सर केंद्रीय नेतृत्व के स्पष्ट निर्देशों के बिना होता है, संभावित रूप से संबंधों को दूर कर सकता है और इस बात का अहसास काफी महत्वपूर्ण है और दोनों पक्षों को इसे संबोधित करने के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए।

दोनों नेताओं ने आतंकवाद को दोनों देशों के लिए खतरा माना और इससे निपटने के लिए सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। आपसी संवाद मजबूत करने और परस्पर विश्वास विकसित करने के लिए दोनों अपनी-अपनी सेना को रणनीतिक दिशा-निर्देश जारी करेंगे। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि सीमा संबंधी मामले के लिए विशेष दूत नियुक्त किए जाएं जो पारदर्शी तरीके से यह मुद्दा सुलझाने की तरकीब सुझाएं।

हांलाकि, यह कोई नई प्राप्ति नहीं है। वर्ष 2013 में भी, नई दिल्ली और बीजिंग ने सीमा सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया था जिसका उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ शांति बनाए रखना था।

इसके बाद वर्ष 2015 में, श्री मोदी की चीन यात्रा के दौरान, दोनों देश आगे बढ़कर सैन्य मुख्यालयों और पड़ोसी सैन्य आदेशों के बीच वार्षिक यात्राओं और आदान-प्रदान करने के लिए सहमत हुए थे, दोनों सैन्य मुख्यालयों के बीच हॉटलाइन को कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया और भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों में सीमावर्ती कर्मियों की बैठक के लिए भी वादे किये गये थे। लेकिन, इनमें से कई सुझाए गए उपायों को अभी तक लागू नहीं किया गया है, विशेष रूप से, दोनों सैन्य मुख्यालयों के बीच हॉटलाइन की स्थापना को।

इसी बीच, अफगानिस्तान में प्रस्तावित संयुक्त आर्थिक परियोजना दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चीन, भारत-चीन सहयोग के संभावित पाकिस्तानी नकारात्मक प्रतिक्रिया के बारे में पूरी तरह से जागरूक है, जिसे पाकिस्तान अपने प्रभाव के क्षेत्र में मानता है। हालांकि, अगर चीन अफगानिस्तान में भारत-चीन (और संभावित रूप से पाकिस्तान) सहयोग की उपयोगिता को दर्शाते हुए पाकिस्तान को राजी कर सकता है, तो यह चारों ओर विश्वास और सहयोग को बढ़ावा दे सकता है।

भारत और पाकिस्तान के बीच अगर रिश्ते में सुधार नहीं हुआ तो चीन की बेल्ट ऐंड रोड परियोजना, जिसमें चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा एक हिस्सा है, उसमें रुकावट आएगी। हम एक नई दिशा में जा रहे हैं क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भारत, चीन और पाकिस्तान रहेगा और रूस भी इसका हिस्सा होगा। यह चीन के हित में है कि भारत-पाकिस्तान आर्थिक मामले में सहयोग करें, तो संभव है चीन की तरफ से यह कोशिश हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो।

अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि चीन और भारत अफगानिस्तान में सहयोग कर सकते हैं, तो वे पड़ोस के अन्य हिस्सों में निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। उस अर्थ में, भारत, प्रभाव के अपने पारंपरिक क्षेत्र में चीनी अतिक्रमण के बारे में चिंतित होने के बजाय, इस क्षेत्र में संयुक्त भारत-चीन परियोजनाओं पर विचार करना चाहिए।

* * *

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक बातचीत समाप्त हो गई है।। इस मुलाकात पर दोनों देशों की जनता के साथ-साथ दुनिया की नजरें टिकी थी, क्योंकि अचानक पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर कोई बातचीत का खास एजेंडा तय नहीं था।

क्यों हुई अनौपचारिक बातचीत?

- दोनों देशों के बीच हुई इस अनौपचारिक बातचीत पर पहली बार देश के राजनीतिक हलकों में सहमति नहीं बनी थी और विपक्ष प्रधानमंत्री को विश्वास में नहीं लिए जाने पर सवाल उठा रहा था। बातचीत अनौपचारिक हो रही है, इसे लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर प्रधानमंत्री से सवाल भी पूछा था।
- इस तरह की अनौपचारिक बैठक चीन सभी देशों के साथ नहीं करता है। इससे पहले उसने ओबामा और ट्रंप के साथ ही ऐसी बातचीत की है और अब मोदी के साथ। तो कहीं न कहीं वो यह संकेत दे रहा है कि वो भारत के नेतृत्व को गंभीरता से लेता है और भारत की बढ़ती छवि को स्वीकार करता है।

भारत-चीन संयुक्त आर्थिक समूह

- भारत-चीन JEG मंत्रिस्तरीय वार्ता है जिसे 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की चीन यात्रा के दौरान स्थापित किया गया था।
- ऐसी पिछली बैठक (10वीं JEG) सितंबर, 2014 में बीजिंग में आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने और इसमें विविधता लाने के लिये सहमति दी थी।
- 2012 में 9वीं JEG के दौरान दोनों पक्षों ने आर्थिक और व्यापार योजना सहयोग, व्यापार सांख्यिकीय विश्लेषण और सेवा व्यापार संवर्द्धन पर तीन वर्किंग ग्रुप स्थापित किये थे।

11वीं JEG के प्रमुख बिंदु

- 11वीं JEG की सह-अध्यक्षता दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों द्वारा की गई थी।
- दोनों देशों ने एक निश्चित कार्ययोजना और समयसीमा के साथ एक मध्यम और दीर्घकालिक रोडमैप तैयार करने के लिये सहमति व्यक्त की, ताकि 51 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार घाटे का समाधान किया जा सके।
- दोनों मंत्रियों ने संतुलित एवं सतत् द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के प्रति अपनी कटिबद्धता दोहराते हुए चीन और भारत के बीच सितंबर, 2014 में हस्ताक्षरित 'आर्थिक एवं व्यापार सहयोग के लिये पंचवर्षीय विकास कार्यक्रम' में चिह्नित पहलों को और आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है।

- सितंबर, 2014 में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देकर वर्ष 2019 तक द्विपक्षीय व्यापार संतुलन के लिये समझौता किया गया था।
- चीनी पक्ष ने गैर-बासमती चावल, रेपसीड भोजन, सोया भोजन, अनार एवं अनार छिल्का, भिंडी, केला और अन्य फलों एवं सब्जियों से संबंधित भारतीय कृषि उत्पादों के साथ-साथ बोवाइन मीट के बाजार तक पहुँच को संवर्द्धित करने के लिये अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- दोनों पक्षों ने फार्मास्यूटिकिल्स के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लक्ष्य के लिये अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें चीन के बाजारों को भारतीय फार्मा उत्पादों के निर्यात से जुड़े मुद्दों, जैसे- नॉन-टैरिफ बाधाओं को सुलझाना भी शामिल है।
- निवेश को बढ़ावा देने के लिये एक अधिक स्थिर, पारदर्शी और प्रीडिक्टबल कानूनी वातावरण सुनिश्चित करने हेतु द्विपक्षीय निवेश समझौते को रीनिगोशीएट करने पर भी दोनों पक्ष सहमत हुए हैं।
- दोनों पक्षों ने अपने साझा हितों को बनाए रखने के लिये विश्व व्यापार संगठन के साथ-साथ अन्य बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय ढाँचे के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताने के साथ ही नियम आधारित बहुपक्षीय वैश्विक व्यापार के लिये अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

व्यापार घाटा (Trade Deficit)?

- जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है तो इसे व्यापार घाटा कहते हैं। इसे नकारात्मक व्यापार संतुलन भी कहा जाता है।
- स्पष्ट है कि जब आयात अधिक होगा तो विदेशी मुद्रा, विशेष रूप से डॉलर में भुगतान होने के कारण देश में विदेशी मुद्रा (डॉलर) की कमी होगी।
- जब विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है, तो उसकी माँग भी बढ़ती है और रुपया उसके मुकाबले कमजोर हो जाता है।
- रुपए के कमजोर होने से उसकी कीमत में गिरावट आती है। ऐसी परिस्थिति में आयातकों को विदेशों से माल के आयात के लिये अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।
- इस तरह आयात महँगा हो जाता है। इसके विपरीत निर्यातकों को फायदा होता है।
- व्यापार घाटे में केवल वस्तुओं के आयात-निर्यात को शामिल किया जाता है, जबकि चालू खाते के घाटे में अदृश्य मदों, यथा-सेवाओं को भी शामिल किया जाता है।
- वस्तुओं के मामले में भारत हमेशा से ही घाटे की स्थिति में रहा है, क्योंकि भारत के समग्र आयात में कच्चे तेल की हिस्सेदारी काफी अधिक है, किन्तु सेवाओं के मामले में भारत की स्थिति सकारात्मक रहती है।
- भारत में कच्चे तेल की माँग का एक बड़ा भाग आयात से पूरा किया जाता है। कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है।
- जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका प्रभाव भारत के व्यापार घाटे पर पड़ता है।
- अधिक व्यापार घाटे का मतलब है कि कोई देश कुछ उत्पादों को घरेलू स्तर पर उत्पादित करने की बजाय अन्य देशों से आयात कर रहा है।
- इससे स्थानीय कंपनियाँ व्यवसाय से बाहर निकलना शुरू कर देती हैं और उस क्षेत्र में रोजगारों की संख्या भी कम होने लगती है।
- यही कारण है कि हाल ही में अमेरिका ने चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार में उच्च व्यापार घाटे (लगभग 370 बिलियन डॉलर) के कारण अमेरिका में 20 लाख नौकरियों के नुकसान का हवाला देते हुए चीन से लगभग 60 अरब डॉलर के आयात पर शुल्क आरोपित किया है।

* * *

संभावित प्रश्न

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चीन में 'अनौपचारिक शिखर सम्मेलन' में भाग लेना दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने में काफी मददगार सिद्ध हो सकता है। इस कथन के सन्दर्भ में भारत-चीन संबंध को स्पष्ट करे। (250 शब्द)

Participation in Prime Minister Modi's "informal summit" in China can prove to be very helpful in making relations between the two countries strong. In relation to this statement, clarify the Indo-China relationship. (250 words)